राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] **तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का तीसरा दिवस** **[संख्या : 3**

बुधवार;

01 सितम्बर, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

मरुस्थलीय क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मानदण्डों का सरलीकरण

16. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मरुस्थलीय भौगोलिक स्थिति एवं सुदूर ढाणियों में बसे हुए ग्रामीणों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदण्डों में सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मरुस्थलीय क्षेत्र या जिला जोधपुर में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृति के मानदण्ड में हिस्सा पूंजी 3.00 लाख व जनसंख्या 3000 करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल मीणा): (1) ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित मुख्य मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम जनसंख्या 5000 ;

(श्री परसादी लाल मीणा)

2. दो हजार हेक्टेयर भूमि ;
3. न्यूनतम सदस्य संख्या 500 ;
4. न्यूनतम हिस्सा राशि रु. 7.00 लाख ;
5. सदस्यों से न्यूनतम अमानत रु. 1.0 लाख ;
6. स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालय भवन/गोदाम हेतु निशुल्क भूखण्ड आबंटित करना।

निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु मंत्रीमण्डल आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 तथा 113/2009 के निर्देशानुसार आर्थिक सक्षमता मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन संबंधी मापदण्ड उनकी आर्थिक रूप से सक्षमता को मध्यनजर रखते हुए न्यूनतम हिस्सा पूंजी रु. 15.00 लाख को घटाकर रु. 7.00 लाख एवं न्यूनतम जनसंख्या 5000 निर्धारित की गयी है। ये मापदण्ड भी मंत्रीमण्डल आज्ञा 183/2008 दिनांक 6.10.2008 तथा 113/2009 के निर्देशानुसार निर्धारित किए गए हैं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की सहकारिता डिमांड में यह घोषणा थी कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलना चाहते हैं व तीन लाख हिस्सा पूंजी कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को यूनिट मान करके ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोली जायें। मरुस्थलीय इलाके, और पहाड़ी इलाके, दूरस्थ पंचायतें हैं। पहले भी मरुस्थलीय इलाकों और पहाड़ी इलाक़ों को छूट दी जाती रही है। अगर सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर खुलें, और खोलना आवश्यक इसलिए है कि नरेगा के सारे खाते उनमें खुल रहे हैं और 15 किलोमीटर दूर जाकर वहां से भुगतान लेना, ये एक और मिनी बैंक के रूप में काम करेंगे। लघु कुटीर उद्योग लोन इनको मिलता है, कृषक लोन मिलता है, स्वयं सहायता समूह के खाते खुलते हैं, उपभोक्ता सामग्री वहां मिलती है, खाद बीज की व्यवस्था होती है। इसलिए

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मरुस्थलीय क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र में आप इस मापदण्ड को कम कर हिस्सा पूंजी तीन लाख या पांच लाख करने व जनसंख्या को भी पांच हजार से कम कर तीन हजार करने का विचार रखते हैं या नहीं? आपने कहा, मंत्रीमण्डल का फैसला है, वह तो वापस ले जा सकते हो मंत्रीमण्डल में लेकिन यह छूट होगी तभी होगा। नहीं तो मेरा निवेदन है कि शेरगढ़ तहसील में 65 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 30 थीं और अभी इस मापदण्ड में एक हुई है तो 31 हुईं, शेष 34 पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। इसी प्रकार से दूसरे मरुस्थलीय इलाक़ों में यह हालात है, पहाड़ी इलाक़ों में यह हालात है। इसलिए पंचायतों से भी ज्यादा इसका काम रहता है तो आप इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत पर करें।

मैं सरकार को धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि आपने एक हजार करोड़ के लोन पहली बार दिये, नये लोन और लोनी भी काफी तादाद में आपने नए बनाये हैं, तो हिस्सा पूंजी भी हुई है लेकिन अभी थोड़ी कम पड़ रही है। इसको अगर आप मापदण्ड में कम करेंगे तो नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगी। तो इसमें आप मंत्रीमण्डल में ले जाकर के इसको कम करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? यह मैंने निवेदन किया है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य की भावना है, उसी के अनुरूप पिछले मंत्रीमण्डल में जो शेयर राशि थी वह 15 लाख की गई थी, उसके बाद में कोई भी एक सहकारी समिति का राजस्थान में गठन नहीं हुआ। जब हमारी सरकार के मंत्रीमण्डल के चिंतन शिविर में यह बात आई, मुख्य मंत्रीजी का और हमारे कैबिनेट के साथियों का इस ओर ध्यान दिलाया, उन्होंने 15 लाख से घटाकर इसको 7 लाख रुपए शेयर मनी किया और उसके बाद में मुझे खुशी है कि आप बता रहे हैं, मरुस्थलीय इलाके, बाड़मेर सबसे ज्यादा मरुस्थलीय इलाका है, दूरदराज का इलाका है, वहां सबसे ज्यादा सहकारी समितियों का गठन हुआ है। इसलिए कोई शेयर मनी अगर हम घटाएंगे, पहले ही 15 से 7 कर दिया, टेन टाइम, एक लाख होगा तो दस लाख का ऋण किसान को मिलेगा। अगर शेयर मनी हम घटाएंगे, अभी सात लाख का है, वहां पर 70 लाख तक हम किसानों को ऋण दे सकते हैं। अगर और शेयर मनी घटाएंगे तो वह वायबल नहीं होगी, आर्थिक रूप से; किसानों को उनकी गठन की जो बात थी, वह उनकी जो मंशा थी, वह मंशा पूरी नहीं होगी। हमने इसमें यह किया है, अभी दूसरी समिति से जो सदस्य

(श्री परसादी लाल)

आएंगे, अभी जिस समिति में जो सदस्य हैं, उनकी शेयर मनी है, उस सदस्य को भी काउंट करेंगे और उनकी जो शेयर मनी ट्रांसफर होकर आएगी, वह भी हम सात लाख में से उसको माइनस कर देंगे और जो शेष रहेगी, मान लो तीन लाख आई, दो लाख आई, शेष शेयर मनी आपसे जमा करके नई समितियों का गठन करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी।

यह हम चाहते हैं, पांच हजार का जो राइडर लगा है, हम चाहते हैं, हर ग्राम पंचायत स्तर पर हो। इसको हम मंत्रीमण्डल में लेकर दुबारा जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि पाँच हजार की जनसंख्या के राइडर को हटाकर मरुस्थलीय व दूसरे इलाकों में उसको घटाकर आप पंचायत स्तर पर करें। यह हम मंत्रीमण्डल में दुबारा लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समितियां बने सरकार की ऐसी मंशा है, हमारा जो को-आपरेटिव आंदोलन है गांव-गांव व ढाणियों-ढाणियों तक जाये, किसानों को ज्यादा कर्ज मिले। उसी के अनुरूप मुख्य मंत्रीजी ने अभी 3,200 करोड़ का जो हमारा फसल क्राप लोन था, उसको बढ़ाकर पांच हजार करोड़ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पाँच हजार करोड़ से भी ज्यादा क्राप लोन किसानों को इस साल देंगे।

नरेगा के खातों में भी हमारे 3500 के करीब मिनी बैंक हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संचालित हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके सबके सहयोग से, मैं सदस्यों को कहना चाहूंगा, हमारे गोदाम वगैरह नई समितियां बनें। वैसे मुख्य मंत्रीजी ने सारे जिलों में आई सी डी पी प्रोजेक्ट लागू किया है, शेष 11 जिले थे, उनमें भी गोदाम वगैरह का है, अगर कहीं आवश्यकता हो, मैं माननीय सदस्यों को पत्र भी लिखूंगा। आप अपने विधायक कोटे से गोदाम वगैरह के लिए, उसके लिए, आप सहयोग करें। यह आंदोलन आपका, आपकी मंशा के अनुरूप सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: हो गया, सफिशिएंट जवाब है। अगला प्रश्न पुकार लिया है मैंने। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अगर पंचायत मुख्यालय पर आप छूट दे दें, जो भी नियम आयेंगे ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बनाने की छूट जारी कर देंगे। कैबिनेट में इस मामले को लेकर जाएंगे, छूट वहां से होगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) दूसरे अन्य विभागों में चाहे पी डब्ल्यू डी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सबमें यह अंतर रखा है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं व रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इनमें दूरियां ज्यादा हैं, 30-30 किलोमीटर दूर हैं। कोई भी मिनी बैंक में भुगतान के लिए जाना पड़ता है, बार-बार चक्कर काटना पड़ता है। यह थोड़ा फर्क रखें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान) सब में रखा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जयपुर संभाग की अलग परिस्थिति है। आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र में यह अंतर रख दें तो काफी इसमें लाभ मिल जाएगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मरुस्थलीय पहाड़ी में थोड़ा सा हिस्सा पूंजी में अंतर रखें। आप कर दें तो ठीक है, नहीं तो आने वाली भाजपा सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

औद्योगिक क्षेत्र पाली की आवासीय भूमि का नगर परिषद को हस्तान्तरण

17. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) औद्योगिक क्षेत्र पाली शहर के चतुर्थ चरण हेतु अवाप्त भूमि के एक भाग में बसी आवासीय बस्ती में कौन-कौन से परिवार कितने-कितने समय से मकान निर्माण कर निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तकरण अपने नाम पर रीको पाली द्वारा नहीं करवाये जाने के कारण खातेदारों ने अवाप्त भूमि के कुछ भाग में आवासीय भूखण्ड काट कर बेच दिये थे? क्या सरकार उक्त भूखण्ड धारकों को उनके भूखण्ड का मालिकाना हक देने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रीको की भूमि पर आवासीय बस्ती बस जाने पर रीको द्वारा उक्त भूमि नगर परिषद को हस्तान्तरित कर दी गई थी? क्या सरकार चतुर्थ चरण की अवाप्त भूमि पर बसी आवासीय बस्ती की भूमि को नगर परिषद को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद पाली ने पत्र लिखकर उक्त आवासीय बस्ती की भूमि को नगर परिषद को हस्तान्तरित करने का आग्रह किया है? यदि हां, तो रीको द्वारा इस भूमि को नगर परिषद पाली को कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र (चतुर्थ चरण) हेतु कुल अवाप्त भूमि 355 बीघा 6 बिस्वा के एक भाग में 27 परिवार आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। इन परिवारों में से 11 परिवार 15 से 20 वर्ष से तथा 16 परिवार गत 2 से 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं।

(2) जी हां। वस्तुस्थिति की जांच हेतु आयुक्त उद्योग, प्रबंध निदेशक रीको तथा उप सचिव उद्योग (प्रथम) की तीन सदस्यीय समिति का गठन कर इसे एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अधीन राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(3) जी हां। इसका जवाब बिन्दु संख्या 2 में दिया जा चुका है।

(4) सभापति, नगर परिषद, पाली द्वारा पत्र दिनांक 15.7.2010 द्वारा राज्य सरकार से रीको की उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर बसी आवासीय बस्ती की भूमि नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित करने का आग्रह किया है। इसका जवाब बिन्दु संख्या 2 में दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है, खण्ड-दो में एक तो मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि यह कमेटी आपने कब गठित की? दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है, रीको पाली द्वारा यह भूमि कब अवाप्त की गई? और इस भूमि को अपने पक्ष में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नामान्तरण करने की कार्यवाही रीको द्वारा कब की गई? नामान्तरण की कार्यवाही में जो अत्यधिक देरी हुई है, उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? बहुत लम्बा समय बीता और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि अरबों रुपये की जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। करोड़ों की नहीं अरबों की जमीन है। तीसरा मेरा पूरक प्रश्न है, अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा लिये जाने के बाद भी संबंधित खातेदार ने इस भूमि को अन्य लोगों को बेच दिया, क्योंकि रीको के नाम वह नामांतरित नहीं हुई, बेच दी, तो क्या ऐसे खातेदारों के विरुद्ध रीको कुछ कार्यवाही करेगी? इसका जवाब भी आप मुझे दे दो। जो भूमि अभी आपकी रिक्त पड़ी है अभी भी आपके पास सैकड़ों बीघा भूमि रिक्त पड़ी है, वह भूमि भूमाफियों के हत्थे नहीं चढ़े उसके लिए विभाग उस पर कोई औद्योगिक भूखण्ड काट कर उद्यमियों को आबंटित करने की मंशा रखता है या कोई प्रस्तावित है आपकी योजना? यह आप मुझे बताने का श्रम करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली के चतुर्थ फेज में 355 बीघा 6 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई और यह 1984 में अवाप्त की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल सही है कि 1984 में भूमि अवाप्त की गई और लम्बे समय तक उसका नामान्तरण नहीं हुआ और यह भी सही है कि नामान्तरण नहीं होने की वजह से और कुछ लोगों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजा राशि भी नहीं ली। एक लम्बे समय से, 1984 से लेकर 2010 तक नामान्तरण नहीं हुआ। मात्र 25 बीघा भूमि का नामान्तरण हुआ। उसके बाद में किस पर हम जिम्मेदारी तय करें, एक लम्बा समय हो गया, उसमें कितने आफिसर्स गये, लगातार रिटायर भी हुए होंगे। निश्चित रूप से रीको के द्वारा उनको कई बार पत्र भी लिखे गये कि यह जमीन रीको द्वारा अवाप्त कर ली गयी है, आप इसका नामांतरण करें लेकिन लम्बे समय तक नामांतरण नहीं हुआ और इसी का फायदा उठाकर जो खातेदार थे, जिन्होंने अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा नहीं लिया और मुआवजा नहीं लेने के बाद जब नामान्तरण नहीं खुला तो इसका फायदा उठाकर के उन्होंने इस जमीन का कब्जा किया और कब्जेशुदा जमीन का उन्होंने विक्रय भी कर दिया। जब वहां पर नामांतरण नहीं खुला और जमीन को विक्रय कर दिया तो कुछ लोगों ने वहां पर जमीन जो अतिक्रमित भूमि थी जिनको बेच दिया गया था, उस पर मकान बनाकर, पक्के मकान

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बना लिये। आवासीय भूमि बन गयी वहां पर । कमेटी का गठन, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीस तारीख को किया गया अभी जब मेरी जानकारी में आया और मामला न्यायालय में प्रकरणाधीन है। दो मामले हाई कोर्ट में हैं, नौ मामले स्थानीय कोर्ट्स में हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल हो गया कि किस पर हम जिम्मेदारी डालें। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा जिन लोगों ने नहीं लिया, उनके लिए हमने तलाश भी की लेकिन पता चला कि वे कहीं बाहर रहते हैं इसलिए उनके खातों में मुआवजा राशि जो जमा होनी थी, वह भी जमा नहीं हो पायी।

लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूं पूरे हाउस को कि रीको की और सरकार की कतई यह मंशा नहीं है कि रीको की अवाप्तशुदा जमीन पर कोई अतिक्रमण हो। इससे निश्चित रूप से न केवल पाली में, बल्कि पूरे स्टेट में जहां कहीं भी रीको की जमीन है, उस पर अतिक्रमण की एक तरह से और लोगों की भी मंशा बढ़ती रहती है। हम किसी को इस तरह से प्रेरित नहीं करना चाहते हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि विवादास्पद जमीन होने के नाते और तत्काल उसका नामांतरण नहीं हो तो ऐसे में उस पर कब्जे हो जाते हैं लेकिन कमेटी निश्चित समय पर, एक महीने का मैंने समय निश्चित किया है, इस पर अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के आधार पर निश्चित रूप से मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा, यह माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा कि जब रीको की जानकारी में यह आ गया कि यह भूमि रीको की है और इसके ऊपर भूमाफिया, ये जो मकान बन गये उनको तो छोड़ दो आप, ये तो मामूली 10-15 बीघा में हैं, उसके अलावा आपके पास डेढ़ सौ बीघा के करीब भूमि और खाली पड़ी है। जब यह जानकारी में आ गया कि यह रीको की जमीन है, उसके बाद में तीन महीने तक अपने पक्ष में नामान्तरण नहीं करवा पाने के क्या कारण रहे? जिसके कारण से भूमाफिया ने अदालत में जाकर स्टे ले लिया। स्टे दो महीने बाद मिला है। राजस्थान पत्रिका ने लगातार छापा है, तब रीको सक्रिय हुआ कि यह भूमि हमारी है। तो यह तीन महीने का समय जानकारी में आने के बाद, जिसका फायदा भूमाफिया ने उठाया, इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, यह बता दो। क्योंकि आपके एम डी ने भी पत्र लिखे हैं पाली कलक्टर को कि इसका रीको

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

के नाम नामान्तरण करो। उसके बावजूद भी तहसीलदार ने डेढ़ महीने तक नामान्तरण नहीं किया, कोर्ट में जाने का अवसर दिया भूमाफिया को और जब स्टे ले आये तब नामान्तरण हुआ। तो आप इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? आप बात की सच्चाई का पता लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकार्ड मंगवा लें। आपके एम डी ने तीन पत्र लिखे हैं पाली जिला कलेक्टर को। उसके बावजूद भी नामान्तरण नहीं किया जाना सरकारी पक्ष में, यह सरकार के लिए बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि अरबों रुपयों की जमीन है, वह मामूली जमीन नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे क्या? यह बता दें आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न को मैंने बजट सत्र में रखा था और माननीय मंत्रीजी ने यह जवाब दिया था ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या रीको के पास रिकार्ड है कि हमारी भूमि कहां-कहां पड़ी है?

श्री अध्यक्ष: दोनों को मैंने अलाऊ नहीं किया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अलाऊ करो तो।

श्री अध्यक्ष: एक-एक को अलाऊ करूंगा। बैठिये पहले। पहले बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अलाऊ करो।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट सत्र में इसी प्रश्न को किया था, फोर्थ फेज की रीको की पाली के इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन के लिए और माननीय मंत्रीजी ने यह जवाब दिया था कि हम जल्दी से जल्दी अतिक्रमणों को हटाकर के वहां से रीको की जमीन को ...

श्री अध्यक्ष: आपको क्या गलतफहमी हो गयी? अभी इन्होंने मना कर दिया क्या कि जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उस समय भी वह ही कहा था और आज भी वह ही।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 6 महीने पहले भी वह ही कह

(श्री केसाराम चौधरी)

रहे थे और अभी भी वह ही कह रहे हैं और 12 महीने बाद भी वह ही कहेंगे। इसका मतलब यह है कि इनका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं। बैठिये बैठिये। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या रीको के अधिकारियों के पास और मंत्रीजी के पास यह भी रिकार्ड है कि हमारी जमीन कहां-कहां पड़ी है? एक बात।

श्री अध्यक्ष: पाली का मामला।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाली का नहीं।

श्री अध्यक्ष: पाली का है, प्रश्न पाली से संबंधित है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान का सवाल है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, पाली की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर-2, एक बात ...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कितना गम्भीर प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको की जमीनों पर लोग ..

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...भूमाफियाओं ने कब्जा करके मकान बना लिया और ...(व्यवधान) राजस्थान घाटे में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्न का, विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लोगों की जमीन आक्युपाई की आपने, उसका यूज नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलवा रहा हूं आपके प्रश्न का। भाषण की आवश्यकता नहीं है, आपके प्रश्न का जवाब दिलवा रहा हूं। पूरक प्रश्न का जवाब देने के लिए मंत्रीजी खड़े हुए हैं, आप सुनिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप। आप प्रश्न पूछ चुके हैं। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ चुके हैं। जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984 में जमीन अवाप्त हुई, उसके बाद में इनकी सरकार रही, पिछली बार दो बार सरकार रहने के बाद भी इन्होंने एक दिन कार्यवाही नहीं की। मुझे जब यह जानकारी में आया ...(व्यवधान)। देखिये, सुनिये आप। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दीजिये। इन्होंने नहीं किया, किया, आप तो स्पेसिफिक जो है उसका जवाब दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं वह ही जवाब दे रहा हूं। 5.4.2010 को जब मेरी जानकारी में आया यह कि लम्बे समय से 326 बीघा जमीन का नामान्तरण नहीं हो रहा है तो मैंने मेरे अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया है कि तत्काल इसका नामान्तरण करायें। 5.4.10 को मैंने इसका नामान्तरण कराया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रवण कुमार जी जो फरमा रहे हैं, 651 बीघा हमारी जमीन आज भी अतिक्रमित है, मान रहे हैं हम इस बात को लेकिन हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो रीको की जमीन है...

श्री अध्यक्ष: आप इधर संबोधित करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ... वह हम अतिक्रमणों को हटाकर के अपने पजेशन में लेंगे। आप बिलकुल निश्चिंत रहिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आखिरी पूरक प्रश्न होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, 26 साल पहले सरकार

(श्री अमराराम)

ने एक्वायर की इंडस्ट्रीज के लिए और आज तक उसके प्लाट नहीं कटे। इसका मतलब रीको उसको चाहता नहीं सरकार के आदेश के बाद भी वहां के कलक्टर और तहसीलदार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपकी सरकार के आदेश तो मान ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह पाली में किस्सा ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, पाली का ही है, पाली का ही है। पाली में जब 26 साल पहले एक्वायर की और नामान्तरण अभी आज 2010 में 26 साल बाद हो रहा है। कलक्टर को रीको के एम.डी. के लिखने के बाद में भी कलक्टर नामान्तरण नहीं खुलवाता है तो क्या सरकार उन भू-माफियाओं से मिली हुई है? कब्जा करके कोर्ट में स्टे लेने के लिये पूरी सरकार मिली हुई है। क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जाहिर है, आपका सिस्टम फेल हो चुका है। आपके रीको के अधिकारियों की कोई नहीं सुने, कलक्टर की कोई नहीं सुने।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तहसीलदार मनमानी करे और आपकी योजना 1984 में बनी, आज भी वहीं खड़ी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 355 बीघा 6 बिस्वा जमीन जो एक्वायर की रीको ने, पूरी जमीन पर नहीं है, मात्र 39 बीघा जमीन है जिसका नामान्तरण नहीं हो सका।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बाकी तो कट गयी क्या? (व्यवधान) बाकी तो कट गये? 24 के अलावा तो प्लाट कट गये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बाकी योजना बनाकर के दे चुके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। आपका जवाब दे रहे हैं, आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, 24 बीघा की बात कर रहे हैं। पूरी जमीन पर आज तक एक इंडस्ट्री का प्लाट नहीं कटा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके पूरक प्रश्न में, फिर अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं आगे बढ़ूं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी जो जमीन थी, उसके प्लाट काट दिये, उस पर हमारी योजनाएं बन गयीं। मात्र 39 बीघा जमीन थी और उसको हम कमेटी बनाकर के उसका निर्णय कर देंगे तत्काल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तो 300 बीघा में कितनी फैक्टरियां लग गईं?

श्री अध्यक्ष: समाप्त, चर्चा समाप्त। श्री रघु शर्मा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। 39 बीघा पर तो रहवास की बस्ती है, बाकी आपकी सैकड़ों बीघा भूमि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यातायात मंत्रीजी। आप तो जवाब दीजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसको भू-माफिया हड़प करना चाहता है, मेहरबानी करके उसको बचा लो आप। (व्यवधान)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सुविधा

18. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2008 से अब तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितनी बसें (सभी प्रकार की) क्रय की गई तथा उक्त बसों की खरीद पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में इनमें से कितनी नई बसों का संचालन किया जा रहा है एवं कितने रूट पर बस चलाये जाने की मांग है? सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

(3) वर्ष 2008 से पूर्व उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन मार्गों एवं गांवों तक पथ परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध थी और उक्त में से कितनी बसों को किन-किन कारणों से बंद किया गया? क्या सरकार बंद बसों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(डा. रघु शर्मा)

(4) नई क्रय की गई बसों में से कितनी बसें विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के लिये देने का सरकार विचार रखती है?

(5) उपनगरीय बस सेवा से उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपनगरों को जोड़ने हेतु सरकार कब तक निर्णय करेगी?

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2008 से अब तक कुल 1,744 बसें खरीदी गई तथा इन बसों की खरीद पर अब तक कुल 221.78 करोड़ रुपये राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त 450 और बसें खरीदने के आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं 550 बसें इसी वर्ष खरीदने की योजना है। श्रेणीवार एवं वर्षवार बसों की खरीद की सूचना परिशिष्ट-1 पर दी गई है।

(2) इनमें से 106 नई बसों का संचालन विधान सभा क्षेत्र केकड़ी होकर विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार पृथक से नई बसों का आबंटन नहीं किया जाता है। वर्तमान में आगारवार आयु पूर्ण कर चुकी कण्डम वाहनों के स्थान पर नई बसों का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

वर्ष 2008 से जुलाई, 2010 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नये मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन करने के लिये 52 मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 15 पर वाहन संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा शेष परीक्षणाधीन हैं। वाहन संचालन हेतु प्राप्त मांग एवं उन पर निगम स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2008 तक जिन मार्गों पर बस संचालन बंद किया गया था उनकी सूची परिशिष्ट-4 पर है। दिसम्बर, 2008 के पश्चात् बन्द किये गये मार्गों की सूची परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है। परिशिष्ट-5 में उपलब्ध सूची में से दो मार्गों पर इस शीतकालीन सत्र में चालू करना प्रस्तावित है।

(4) निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार आगारों को पृथक से नई बसों का आबंटन नहीं किया जाता अपितु आगारवार आयु पूर्ण कर चुकी कण्डम योग्य वाहनों के प्रतिस्थापन में ही नई बसों का आबंटन किया जाता है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र से होकर 106 नई बसें संचालित की जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांति-शांति।

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (5) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित नगरपालिकाओं को उपनगरीय सेवा से जोड़ने में एक मात्र बाधा यह है कि इस क्षेत्र की किसी भी नगरपालिका को अजमेर का उप-नगर घोषित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग से विमर्श जारी है एवं उपनगर घोषित होने के पश्चात् उपनगरीय सेवा का संचालन किये जाने का प्रयास किया जायेगा। (व्यवधान)

(विवरण व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। मंत्रीजी, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन एक बात आप बता दो पहले। खरीद में तो आपके सी.एम.डी. ने रिकार्ड बीट कर लिया होगा शायद लेकिन खरीदने के बाद उसमें स्टाफ है क्या? फ्लीट है क्या? खाली बसें खड़ी रहेंगी क्या खरीदने के बाद? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सवाल हम सबकी तरफ से है जो अध्यक्षजी ने पूछा है। (व्यवधान) अध्यक्ष के आसन से सवाल किया गया है, जवाब दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अधिकांश सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे। (व्यवधान) कण्डक्टर-ड्राइवर बिना बसें खरीदी हुई खड़ी रहेंगी? या अभी भी आपके पास खड़ी हैं? या चल रही हैं? (व्यवधान) और दूसरा, साथ में यह भी बता दो कि सी.एम.डी. आपकी सुन रहा है? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं सुन रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले यह दे दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जब सी.एम.डी. इनकी नहीं सुने तो हम क्यों सुनेंगे इनकी? (व्यवधान) नहीं, अध्यक्ष महोदय, जिनकी सी.एम.डी. नहीं सुने, उनकी हम क्यों सुनें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य पूछें, उनका जवाब दूं? या पहले आपने जो पूछा, उसका जवाब दूं?

श्री अध्यक्ष: पहले पुछवा देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले अध्यक्षजी का, आसन सर्वोपरि है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, यह बताएं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज, जवाब। मैं आपको अलाऊ करूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 106 बताकर सारे सदन में मेरे को टार्गेट बनाने का प्रयत्न किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टार्गेट नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरी भी पीड़ा सुन लो, मेरे भाइयों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 106 रूट बनाकर दिये हैं, इसी प्रकार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह 108 हैल्थ डिपार्टमेंट का प्रश्न नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 106 रूट की बात चल रही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो सूची मंत्री महोदय को विभागीय अधिकारियों ने पकड़ाई है, वह मेरे आसपास से गुजरने वाले जितने विधान सभा क्षेत्र हैं, चाहे उसमें केकड़ी टच कर रहा है या नहीं कर रहा, वह भी पकड़ा दी। मैंने आपको एतराज भी दर्ज करा दिया, वह सूची सही नहीं है। जब मैं 52 रूट लिख रहा हूं तो केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में क्या कोई 20 लाख लोग रहते हैं क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही सवाल है कि मेरे 51 पंचायतें हैं और 2 नगरपालिकाएं हैं, कितनी पंचायतों को इन्होंने रोडवेज से जोड़ा है यातायात की सुविधा के लिये? उससे आपको पता चल जाएगा, कितनी बसें हमारे यहां चल रही हैं।

दूसरी चीज, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक स्कीम निकाली है, अध्यक्ष महोदय, उसमें इन्होंने धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात कही है। मैंने

(डा. रघु शर्मा)

कई जगह इनको लिखकर दिया है, 52 जगह लिखकर दी हैं और उसका जवाब अगर आप देखेंगे तो उसमें अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है।

अब आपको बहुत-बहुत बधाई, आपने बसें खरीदीं, अब ये बसें 221.78 करोड़ की तो खरीद चुके, इसके मापदंड क्या रहे खरीदने के? कितनी बसें आज खरीदी हैं? कौनसी कम्पनी से खरीदी हैं? इन बसों के संचालन की क्या कार्य-योजना सरकार ने बनाई है? ये सब चीजें भी आप हाउस में लेकर आइये, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में सरकार, खरीदने पर तो ठीक है, अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको लेकिन इनके संचालन की क्या कार्ययोजना है?

श्री अध्यक्ष: बसें सरकार नहीं खरीदती है, निगम खरीदता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): निगम भी सरकार का ही अंग है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

दूसरी बात, यह जो बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि साहब, पंचायतों को तहसील से जोड़ने की कोई योजना सरकार लेकर आ रही है, तो तहसील के अलावा इसमें जिले को भी सम्मिलित करते हुए कि हर पंचायत हमारे जिले की या केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की, वह जिला मुख्यालय से और तहसील मुख्यालय से जुड़े, इसकी कोई योजना ये बना रहे हैं? यह योजना आप कब तक बनाएंगे और कब तक इन पर बसों का संचालन प्रारम्भ हो जाएगा? नम्बर-एक।

नम्बर-2, धार्मिक स्थलों को जोड़ने की रोडवेज की कोई योजना है?

नम्बर-3, आपने कहा कि हम आगारों को बसें देते हैं, विधान सभा क्षेत्र को नहीं देते। यह आगार बड़े हो गये या विधान सभा क्षेत्र बड़ा आपके लिए? क्योंकि हमारे यहां काम करने की जो नोडल एजेंसी है वह विधान-सभा क्षेत्र वार है।...(व्यवधान) अच्छा, चलिये, कोई बात नहीं, आप आगार में खुश हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि नए आगार खोलने के मापदंड क्या हैं सरकार के और आपके मापदंड का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह अलग प्रश्न है। यह अलग प्रश्न है, आगार वाला। खोलने के मापदंड हैं, वह अलग प्रश्न है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जी, जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा कि ये आयु पूर्ण कर चुकी बसें, अब मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंत्री

(डा. रघु शर्मा)

महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह आयु पूर्ण, पहले तो बतायें कि कौनसी कैटेगरी की बसें हैं जिनकी आयु पूर्ण हो गयी है? आयु पूर्ण, आयु पूर्ण बसें कितनी हैं?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। समाप्त करें, फिर जवाब दिलवा देते हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अंतरात्मा की बात मंत्रीजी की आपने पहले ही कह दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज विराजो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो केकड़ी से आते हैं, इन्होंने तीन-चार बातें उठायी हैं। पहली बात तो यह उठायी है कि इन बसों को खरीदने का क्या मापदंड है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक ही मापदंड है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): वह जो आपने किया था। वह जो आप लोगों ने किया था, वही है, वही मापदंड है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मापदंड का अनुभव आपको अधिक है, आप विराजें। आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं, एक सेकंड, एक सेकंड, इन्होंने मंत्रीजी ने इधर का इशारा किया, इसलिए मैं एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने का मेरे को प्रोटेक्ट करिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका अनुभव अच्छा है, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा अनुभव अच्छा है और मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब है, यह न तो रोडवेज बस खरीदती है, न सरकार करती है; सरकार ने एक परचेज कमेटी बनाई हुई है, उस परचेज कमेटी में फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, उस परचेज कमेटी में दूसरे लोग भी हैं तो ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मंत्री की तरह जवाब दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये पुरानी मित्रता निभाने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। विराजो आप।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इसलिए इसमें मंत्रीजी का कोई दोष नहीं है कि मंत्रीजी ने कोई कमीशन खा लिया हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): परचेज कमेटी बैठी है, इसमें गवर्नमेंट है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मंत्रीजी पर आरोप क्यों लगा रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप पिछले लोक सभा चुनाव के बाद से कुछ परिवर्तन देख रहे होंगे?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्यों डांट रहे हो इनको? क्यों डांट रहे हो इनको? सही बात कही है इन्होंने। आंखें क्यों दिखा रहे हो उन्हें? आंखें दिखा रहे हो पीछे देखकर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बसें खरीदने का, हमने जो बसें खरीदी हैं, वे तीन प्रकार की हैं। उनमें एक बस मर्सडीज और 15 वोल्वो, इसके अलावा जितनी बसें खरीदी गयी हैं, वे टाटा और अशोक लेलेण्ड से बाकायदा टेंडर प्रक्रिया अपनाकर खरीदी गयी हैं। इसी तरीके से और 10 मर्सडीज और 15 वोल्वो, जो राजस्थान के इतिहास में पहली दफा खरीदी गयी है...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वेरी गुड, होना चाहिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): राजस्थान का जो यह हमारा निगम है, आर.एस.आर.टी.सी. है, उसने पहली दफा हाइटेक बसें, 10 मर्सडीज और 15 वोल्वो खरीदी हैं।

श्री अध्यक्ष: संचालन के लिए स्टाफ तो है न आपके पास?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): क्या?

श्री अध्यक्ष: संचालन के लिए ड्राइवर-कंडक्टर तो हैं न?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हां, स्टाफ है, स्टाफ है। उसी लिये खरीदी हैं। स्टाफ है, इसीलिए खरीदी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बाकी रहा सवाल, माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल उठाया है पंचायतों को और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का, मुझे आज खुशी है और सदन को बताते हुए मुझे हर्ष भी है कि राजस्थान सरकार ने इसका फैसला किया है कि राजस्थान की हर पंचायत जिले से और तहसील मुख्यालय से जुड़े, इसके लिए हमने एक वृहत् योजना बनाई है और उस योजना के मुताबिक ...(व्यवधान) थोड़ा सुनिये, सुनने का माद्दा रखिये। हमने उसी योजना के मुताबिक प्लानिंग कमीशन से वार्ता की है और हाई लेवल पर इसी 6 सितम्बर को प्लानिंग कमीशन ने हमको बुलाकर उस पर चर्चा करने का फैसला किया है। मोंटेक सिंह आहलूवालिया जिस प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद ...(व्यवधान) आप तो वाहवाही ही करोगे। सुनना आपका बस की नहीं है, सुनना नहीं चाहते ये चीजें, हम जो कर रहे हैं वह सुनना नहीं चाहते, इसलिए ये बातें कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न तक सीमित रहें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): प्लानिंग कमीशन भी अगर इसको मंजूरी नहीं करेगा तो हम वित्त पोषित कराकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न के उत्तर तक सीमित रहें। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैं पूरक प्रश्न के उत्तर तक ही सीमित हूं। हमने उसके लिए फैसला किया है कि वित्त पोषित कराकर हमने राजस्थान की हर पंचायत को तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ने का फैसला किया है, नम्बर-तीन। अगर इसके बावजूद भी ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो तहसील से तहसील तक बस नहीं चली, आपकी स्टेट हाई-वे पर बस नहीं चल रही, कहां ग्राम पंचायत को जोड़ने का आप सपना देख रहे हो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो प्रश्न है, अगर यह हमारा प्लान नहीं चला तो हमने अभी अलवर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलवर की बात नहीं चल रही है, केकड़ी की बात चल रही है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): इसी से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, यह इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: फिर दूसरी जगह के सवाल पैदा हो जाएंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हो जाने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। हो जाने दीजिए, मैं जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति चाहिए। मुझे अनुमति चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): चिड़ावा क्षेत्र को जोड़ा नहीं अभी तक; माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ को जोड़ा नहीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम पुकारा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्रवणजी, एक मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तहसील हैडक्वार्टर को जोड़ा नहीं और पंचायतों की बातें करते हैं। अब यह सूरजगढ़ तहसील हैडक्वार्टर है, चिड़ावा तहसील हैडक्वार्टर है, उसको जोड़ा नहीं और बात करते हैं मुम्बई और कोलकाता की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने 3,217 बसों में से 1,744 आपने खरीद लीं, 450 के आपने खरीदने के आदेश दे दिये और 550 आप और खरीद रहे हैं, यानी 3,217 बसें क्रय करने की योजना आर.एस.आर.टी.सी. की है। इन बसों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक बस पर दो कंडक्टर और दो ड्राइवर भी लगायें तो लगभग 12 हजार कर्मियों की भर्ती इनको करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बस क्रय करने से पहले आपने कितने कर्मियों की भर्ती की? नम्बर एक।

नम्बर-2, जिस मर्सडीज बस की आप बात कर रहे हो, क्या यह सही है कि मर्सडीज बस का जिस दिन आपने उद्‌घाटन किया, उस दिन वह मर्सडीज बस जयपुर के बाहर जाकर खड़ी हो गयी और आगे गई नहीं? आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सारी बसें जो आपने ली हैं, वे सारी निम्न स्तर की हैं। इन बसों के लिए आपको पैसा कहां-कहां से मिला? क्या यह सही है कि जिस आर.एस.आर.टी.सी. पर अथाह ऋण है, कर्ज में डूबा है, और आपने और कर्जे में डुबाने की बात की है? क्या यह भी सही है कि आपने राजस्थान के लोगों पर 16 परसेंट किराया ब़ढ़ा कर उन गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात का भी जवाब दूंगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केकड़ी से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले ही कहा था कि मूल प्रश्न तक सीमित रहते तो उपयुक्त रहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो हमारी सम्पत्ति बन गई। अलवर की बात इन्होंने की है, अलवर की बात की है तो चूरू की बात भी उठेगी, चिड़ावा की बात भी उठेगी। अलवर की बात इन्होंने की है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की इच्छा है कि पूरे राजस्थान के बारे में जवाब दें, एक दिन अलग से नियत करा लें रोडवेज के बारे में ही और उसमें सारे सदस्यों की क्वेरी का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: आपके पास फ्लीट की कमी है, इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। फ्लीट की कमी है, हमने फ्लीट को भर्ती करने की प्रक्रिया चालू कर रखी है। फार्म हमारे पास आ चुके हैं, बहुत जल्दी परीक्षा लेकर उसमें भर्ती हो जायेगी। रहा सवाल इस बात का, जो यह बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप यह भर्ती ठेकेदारों से करवा रहे हो। (व्यवधान) ठेकेदारों से भर्ती करवा रहे हो। इसमें तो घोटाला हुआ है और आप कह रहे हो, हम भर्ती कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं सदन में, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं, भर्ती की प्रक्रिया क्या है? भर्ती की प्रक्रिया क्या है? भर्ती के नाम पर बेरोजगारों के साथ लूट-खसोट हो रही है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): राज्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र में दो बसें चलती हैं..(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केकड़ी का सवाल पूछा है और मंत्री महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, शांति रखिये आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा था कि सी.एम.डी. आपकी बात मानते हैं कि नहीं। मैं मंत्री हूं और मंत्री की हैसियत से कैपेसिटी रखता हूं कि अधिकारी मेरी बात मानें और उसके मुताबिक अधिकारी मेरी बात मान रहे हैं।

नम्बर दो, जो बात अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई, यह बात इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 602 करोड़ के घाटे में रोडवेज को हमको दिया था, हमने आज उस घाटे को कम करके पिछले साल का जो घाटा हुआ, उसको 60-70 करोड़ रुपये पर ले आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (संकेत से इंगित किया)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर): ×××

श्री रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

डा. दिगम्बर सिह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके दल के उप नेता बोल रहे हैं। अब आपका इन पर भी अनुशासन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है।

श्री रोहिताश कुमार (बानूसर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब पूरी बात नहीं कह पाये हैं, सदन को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिये कृपया आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न भी पुकारा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): उससे सम्बन्धित बात नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाऊ कर दूंगा, मैं आपको सप्लीमेंटरी के लिये अलाऊ कर दूंगा। जब ये खड़े हो गये हैं तो सप्लीमेंटरी के लिये अलाऊ कर दूंगा। इनको अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाली सूचना देने के लिये खड़ा हुआ हूं। राजस्थान रोडवेज ने रामदेवरा जी का मेला चल रहा है, उसके लिये पहले 50 बसें जाती थीं, ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह किसने पूछा?

श्री बृजकिशोर शर्मा: मैं सूचना दे रहा हूं। पूछा नहीं है, मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न काल के बीच में नहीं उठाना चाहता था लेकिन प्रश्न में एक आपकी व्यवस्था है कि जिस क्षेत्र का प्रश्न आये, उसी क्षेत्र के बारे में सवाल करें।

श्री अध्यक्ष: कोशिश यही करते हैं कि क्षेत्र तक सीमित रहें और सभी माननीय सदस्यों का नम्बर आ जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और आपने टोका भी माननीय मंत्रीजी को, केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने भी कहा। उसके बाद भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इन्होंने इसका व्यापक स्वरूप बनाया। रामदेवरा, अलवर, सारे करके कितना खरीदा और किसने कितना घाटा लगाया और किसने कितना कमाया, यह सारे मामले आ गये। अब, अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रोपर्टी बन गया है और प्रश्न काल में इसका पूरा डिस्कशन नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब तो अभी आया ही नहीं है, यह कौन कल्पना करेगा कि 106 रूट एक विधान सभा में चलते हैं। गलत जानकारी दे रहे हैं सदन को। इसलिये मैं चाहूंगा, आप इस पर नियमानुसार आधे घंटे की चर्चा आज या कल नियत करें। जिस प्रकार से मंत्री लोग आसन की अवहेलना करके अपनी सूचनाएं देने का माध्यम बनाना चाहते हैं इसको, यह इस प्रकार का नहीं चलेगा। इसलिये आप इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था करें। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दें, उसका जवाब आया नहीं है और अनाप-शनाप बात कर रहे हैं। रामदेवरा में बात जोड़ रहे हैं कि मैं सूचना दे रहा हूं।

यह वोल्वो खरीद में, मैं कह रहा हूं कि यह मर्सडीज और वोल्वो में जो बसें खरीदी गयी हैं, उन पर आपने यहां वाहवाही लूटी है, इन पर चर्चा करेंगे ना तो इनके चीथड़े बिखर जायेंगे। इस प्रकार से जो बसें खरीदी गयी हैं, उसका पता है हमको, कैसे खरीदी गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिये, हम लिखकर देते हैं, नियमानुसार नियत करायें ताकि इस विभाग का सारा अता-पता आपको हो जाये। पता है, कैसे काम कर रहे हैं अधिकारी? आधे घंटे की चर्चा करा लें। (व्यवधान) राजस्थान के इतिहास में, हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक भी ठेके से भर्तियां नहीं हुई। ठेके से भर्ती कर रहे हैं आप! सरकार को ठेके पर दे रहे हैं और फिर यहां चर्चा कर रहे हैं इस बात की। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर यहां पर निर्णय हो जाये और इस पर पूरी चर्चा होकर, बहस होकर इसका फैसला हो जाये।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैंने आयु-पूर्ण बसों के बारे में पूछा था। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य इनसे मित्रता निभा रहे हैं या दुश्मनी, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहीं कमीशन का जिक्र नहीं किया और आप उनकी पैरवी कर रहे हैं कि इन्होंने कमीशन नहीं लिया। यह क्या तरीका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री के क्षेत्र

(श्री जीवाराम चौधरी)

खण्डार में सिर्फ दो बसें रोडवेज की चलती हैं और 35 पंचायतें हैं। आप कहां जोड़ रहे हैं राजस्थान को?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा आप नियत करें। आप कर दो सुओमोटू।

श्री जीवाराम चौधरी: राज्य मंत्री के क्षेत्र खण्डार में रोडवेज की मात्र दो बसें चलती हैं और पूरे राजस्थान को जोड़ने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अभी व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था बनाये रखिये। विराजिये। दरअसल आप भी लाइन में हो क्या? प्रदेश के भाजपा प्रभारी जी आज आये हुए हैं, उनको परफोर्मेंस दिखा रहे हो क्या लीडर आफ अपोजिशन बनने के लिये ? ये अभी कई दिन नहीं बनाने वाले।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

उदयपुर शहर की झीलों में प्रदूषित जल

19. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर की स्वरूप सागर झील से सडान्ध मार रहा विषैला जलकुम्भी एवं मानव मल अपशिष्ट से प्रदूषित जल फतह सागर में छोड़ दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि फतह सागर में पानी छोड़ने से पूर्व स्वरूप सागर में एकत्रित प्रदूषित जल को आयड़ नदी में छोड़ने की पूर्व स्थापित परम्परा का उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि स्वरूप सागर के मध्य में डाली गई सीवरेज लाइन के कारण पानी में मल के जलमिश्रित होने की जांच करवाई गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वरूप सागर के मध्य में डाली गई सीवरेज लाइन को हटाकर अन्यत्र लगाने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री महीपाल मदेरणा) : (1) जी नहीं ।

(श्री महीपाल मदेरणा)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी द्वारा जो दिये हुए जवाब हैं, उन जवाबों में पूरक प्रश्न के रूप में यह पूछना चाहती हूं यह जो मेरा प्रश्न था कि क्या उदयपुर शहर के स्वरूप सागर झील से सडांध मारता हुआ पानी फतह सागर में छोड़ा गया, आपने उसमें कह दिया नहीं। इस विषय के ऊपर क्या मुख्य अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता को जयपुर में तलब किया गया था? मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कृपया इसका जवाब दें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जो स्वरूप सागर का पानी है, बरसात से पूर्व स्वरूप सागर के एकत्रित गंदे पानी और प्रदूषित पानी को पूर्व स्थापित परम्परा अनुसार घुमानिया नाले के मार्फत आयड़ नदी में प्रवाहित किया गया और आपको यह भी जानकारी बता दूं कि करीब ..(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं इन्टरप्ट कर रही हूं, लेकिन मैंने पूछा था क्या मुख्य अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता को तलब किया गया?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): यह उदयपुर की प्रतिष्ठा और पहचान, झील संरक्षण का कार्यक्रम है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि बड़ी गम्भीरता से इस प्रश्न को लें। इन्होंने पूछा है, स्वरूप सागर में पानी वर्षा से पूर्व 11 इंच था, उसकी भराव क्षमता को देखते हुए हमने एक मिलियन घन फुट पानी को आयड़ नदी के गेट खोलकर 5.8.2010 को 2 करोड़ 73 लाख लीटर पानी उसमें से निकाला। करीब-करीब 90 प्रतिशत पानी निकालने के बाद जब वर्षा आ जाती है, पिछोला झील का पानी फतह सागर में आ जाता है और फतह सागर के पानी से पेयजल की हमारी व्यवस्था है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी शायद पूरा और अच्छे तरीके से जबाव दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें फैक्ट्स ही मालूम नहीं हैं। उनको उनके अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह जवाब ही अपने आप में गलत है। मुझे लगता है कि यह प्रिविलेजेज कमेटी में जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अगर आप जवाब को गलत मानते हैं तो नियमानुसार इसके लिए अलग प्रावधान हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सदन को यह बात निश्चित रूप से बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, कि जो यह जवाब में आप कह रहे हैं, आपके अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिया गया है, यह बिलकुल तथ्य से परे है, इसलिए कि 13 अगस्त, 2010 को, पिछोला का, जब छह फीट पानी आ गया तो स्वरूप सागर का लिंक गेट खोलकर पानी फतह सागर में डाला गया और स्वरूप सागर के अन्दर पांच साल से जो भरा हुआ सारा सीवरेज और उसके साथ जलकुम्भी, गन्दा, सड़ांध मारता हुआ वह पानी जब खोला गया तो उसमें 22 एम सी एफटी पानी फतह सागर में छोड़ा। फतह सागर का पानी अपने आप में बहुत शुद्ध पानी माना जाता है, पिछोला से भी ज्यादा साफ फतह सागर का है, फतह सागर एक तरह से उदयपुर की लाइफ लाइन है, उस फतेह सागर के अन्दर गन्दे पानी को छोड़कर फतह सागर को दूषित कर दिया।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, पूरक प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न ही कर रही हूं। इन्होंने जो जवाब दिया है, मेरे प्रश्न का ही जवाब दिया है, इसी की बात कह रही हूं।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या उदयपुर शहर की स्वरूप सागर झील से सड़ांध मार रहा विषैला, जलकुम्भी एवं मानव मल युक्त प्रदूषित जल को फतह सागर में छोड़ दिया गया? इन्होंने जवाब दिया है कि नहीं छोड़ा गया। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि छोड़ा गया है। मैं तारीख दे रही हूं आपको 13 अगस्त, 2010 को रात्रि दो बजे। हमारे अधिकारियों की लापरवाही है यह, कि उन्होंने लिंक नहर को खोला और वह गन्दा पानी उन्होंने फतह सागर में डाला। फतेह सागर की डिसिल्टिंग के लिए तथा डि-वीडिंग के लिए दस करोड़ रुपये लगाकर उसकी पूरी सफाई करवायी गयी, उसमें डि-सिल्टिंग की गयी थी। सारे जितने भी प्लांट्स थे, उन सब प्लांट्स को हटाकर पूरा उसको साफ किया गया। उसमें दस करोड़ रुपये सरकार के लगे हैं, उसकी सफाई कराने में। सरकार के अधिकारियों, एक्स ईएन ने लिंक नहर को खोलकर गन्दे पानी को उसमें डाला और आपको जबाव देते हैं कि जी नहीं, फतह सागर में ऐसा कुछ नहीं किया। सारे अख़बार भरे पड़े हैं उदयपुर के कि फतह सागर में गन्दा पानी छोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा करें, इस प्रकरण में दोबारा आप विधायकजी के साथ बैठकर, अधिकारियों को बुलाकर सारा इसको देख लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सर, मेरा अभी इसमें और भी कुछ पूछना है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने एक जबाव तो दे दिया कि फतह सागर में हमने पानी नहीं छोड़ा। दूसरा, मेरा यह प्रश्न था कि सीवरेज लाइन जो स्वरूप सागर के अन्दर है, यानी आज हिन्दुस्तान में, मैं नहीं समझती, कहीं भी ऐसा होता होगा जहां पर सीवरेज लाइन झील के अन्दर से जाती हो लेकिन उदयपुर एक ऐसा उदाहरण है जहां पर सीवरेज की लाइन स्वरूप सागर झील के अन्दर से जा रही है और वह सीवरेज की लाइन लीक हो रही है। उसमें भी मंत्रीजी का जवाब क्या आ रहा है कि कोई लीक नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मैं जवाब दिलवा रहा हूं। श्री कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि जो जवाब आपको दिया गया है, वह विभाग ने सही नहीं दिया है। यह जरूर है कि थोड़ा सा मैला और गन्दा पानी हमने गुमाने वाले में छोड़ा था लेकिन उसके बाद हमने 13 अगस्त के दिन, रात के टाइम पर झील का पानी स्वरूप सागर से फतह सागर में लिया है। यह जो आप 'नहीं' कह रहे हो, यह बिलकुल गलत है। पानी लिया है और उसके कारण से जो सारी जलकुम्भी और जितना गन्दा पानी था, वह सारा का सारा फतह सागर में चला गया। उसका जनता ने जमकर विरोध किया। जनता ने फतह सागर में से जलकुम्भी निकालकर, अभियान चलाकर सफाई की। आप जो उत्तर दे रहे हैं, यह बिलकुल ठीक नहीं है। विभाग ने केवल यह बहाना लिया है कि हमने गुमाने वाले में पानी छोड़ा। निश्चित रूप से कुछ गन्दा पानी निकाला है।

दूसरा यह है कि सीवरेज की लाइन विशेषकर दर्शन होटल, राज दर्शन होटल, उसका सारा का सारा गन्दा पानी लगातार आ रहा है। इस शिकायत को आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, वहां की जनता पिछले कई सालों से कर रही है कि सीवरेज का जो पानी जा रहा है, वहां लीकेज है, वह भर जाता है और वह सारा गन्दा पानी है। आपके अधिकारियों ने जो आपको सूचना दी है, वह गलत है। आप इसको करेक्ट करवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, गन्दे पानी का सवाल है। मैं पूरे राजस्थान की बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। प्रश्न उदयपुर का है, आप विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रश्न के अन्दर पांच विभाग सम्मिलित हैं। पर्यावरण से भी इसका है।

श्री अध्यक्ष: आप तो केवल इसी का दे दीजिए।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): इसका सम्बन्ध यू डी एच से है, नगर परिषद से है, नगर सुधार न्यास से है और जैसे आपके निर्देश हैं कि पांच बजे से पहले-पहले....

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न के लिए लिखा हुआ आया कि पोस्टपोन किया जाए लेकिन मैंने इसको जनहित में देखते हुए पोस्टपोन नहीं करके मंत्रीजी से निवेदन किया था कि आप इसका जवाब दे दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन बिलकुल गलत है। इससे पूरा सदन गुमराह हुआ है न। सदन को अधिकारीगण आपके माध्यम से गुमराह कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं आपको और इस सदन को गुमराह नहीं करूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपकी मंशा इस सदन को गुमराह करने की नहीं हो सकती लेकिन आपके अधिकारी आपके माध्यम से सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है कि आप अधिकारियों का फीडबैक सही मानते हैं। जन-प्रतिनधियों का, जो कि जनता में घूमते हैं, मौका देखते हैं, उनकी आप बात नहीं मानते। दुखदायी तो यह बात है। कल भी हमने कहा। मैं चैलेंज करता हूं कि कल जो आपने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में नरमा कपास की जबरदस्त फसल है....

श्री अध्यक्ष: यह उदयपुर का प्रश्न है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...वहां अगर दो परसेंट भी हो, पर फिर भी आप कहते हैं कि अधिकारियों ने जो कहा है वह सही है, जन-प्रतिनिधियों की बात गलत है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, सदन को गुमराह किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए। आप जवाब नहीं सुनना चाहते? आप जबाव सुनिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, जवाब यही आ रहा है, 'है ही नहीं कुछ' 'गन्दा पानी नहीं छूटा है,' जबकि गन्दा पानी फतह सागर झील में छोड़कर पूरे उदयपुर को गन्दा पानी पीने के लिए विवश किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं चर्चा समाप्त करूं?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, कम से कम जवाब तो सही दिलवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, कुछ न कुछ तो कार्यवाही होनी चाहिए। जो यह जवाब दिया है, वह गलत है और उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो, यह सदन का और हम सबका अपमान है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया विराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): उदयपुर की झीलों का प्रदूषित पानी आज का नहीं है। पिछले 50 सालों के अन्दर पिछोला झील के पास जो कालोनियां हैं, उनका अपशिष्ट आता रहता है। उसके अन्दर कई बार राज्य के तीन-तीन मुख्य मंत्रियों ने अभियान चलाकर इस पिछोला झील की सफाई के लिए, एन जी ओज और सिविल सोसाइटीज ने भी, इस पर अभियान चलाया है।

जहां तक जलकुम्भी और सीवरेज लाइन के सम्बन्ध में कहना है, फतह सागर झील में सफाई और जलकुम्भी को निकालने का काम यू आई टी द्वारा किया जाता है। मेन्टीनेंस आपरेशन यू आई टी और नगर परिषद करती है और इस कार्य को, जो फतह सागर झील है, इसका यू आई टी ने ठेका दे दिया

(श्री महीपाल मदेरणा)

है और जून से कार्य चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। पिछोला झील की सफाई का कार्य नगर परिषद का है, आज वह कार्य प्रारम्भ हो गया है और इस कार्य के विलम्ब के लिए जिसकी भी जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो पूरा आने दो। आप विराजिए, टाइम खराब हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जवाब आया है न उनका।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सीवरेज लाइन का जो प्रश्न उठाया, सबसे पहले यह सीवरेज लाइन 1980 में डाली गयी जिसका रखरखाव नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में यू आई टी द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए सीवरेज लाइन डाली गई थी जिसका रख- रखाव का कार्य यू आई टी द्वारा अगस्त, 2009 तक किया गया। माह सितम्बर से इसके रख रखाव का कार्य नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है।

(समय : 12.00 बजे)

वर्तमान में दोनों लाइनों का रखरखाव नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पी.एच.ई.डी. का क्या काम है?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बात तो सुनिये। यह तो ऐसा हुआ ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पी.एच.ई.डी. डालती है क्या? (व्यवधान) वे डालते हैं, जे.डी.ए. वाले, वह नगर निगम डालता है। (व्यवधान) उसको जांच करो न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जवाब से मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं, इसलिए कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्री महोदय, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि क्या 13.08 को रात्रि में यह स्वरूप सागर का गंदा पानी जो आपको नाले में पहले छोड़कर के इसको साफ करना था, उसके बजाय उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फतह सागर की झील में आपके विभाग ने डाला कि नहीं डाला? इस सवाल का जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और डाला और उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं डाला है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्यवाही कर रहे हैं? इसको आप सदन को जरा बताएं कि क्या कार्यवाही होगी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, इसकी जांच मैं मेरे बड़े अधिकारियों से करवा कर आपको संतुष्ट करूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे पृष्ठ संख्या-125 पर देखें)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

आसन पांवों पर। आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। आसन पांवों पर है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) आप जवाब नहीं दिलवा रहे हैं पूरा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अशोक पींचा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय में पिछले डेढ़ वर्ष से कुलपति एवं अन्य स्टाफ की स्थायी नियुक्ति नहीं किये जाने से हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री पवन दुग्गल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से पोंग डेम में पिछले 15 सालों से पर्याप्त पानी होने के बावजूद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर के काश्तकारों को समुचित पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले में माह मई, 2010 में घटित हत्याकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दी जायेगी।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से निर्वाचित सरपंचों के अधिकारों में सरकार द्वारा की जा रही कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री ओम बिरला एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में स्वाइन फ्लू से निरन्तर हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त माननीय सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर प्राप्त है। अत: इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल के किसानों को समय पर नि:शुल्क खाद सप्लाई नहीं किये जाने से फसलों के खराब होने की आशंका के सम्बन्ध में।

(7) डा. जसवंत सिंह यादव एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के अभाव में जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(8) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राजस्थान प्रदेश के असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से सीकरी बांध व गुडगांवा कैनाल यमुना जल को भरतपुर की सीमा में इकट्ठा करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(12) श्री बंशीधर खण्डेला एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा काश्तकारों को नाजायज रूप से परेशान करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से रावतभाटा परमाणु बिजली घर में बरते जाने वाले सुरक्षा उपायों के नई तकनीक से नवीनीकरण करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले की तहसील पहाड़ी में गौकशी गिरोह की आपसी रंजिश के चलते फायरिंग से एक हरिजन की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, खेतड़ी द्वारा बिजली की लाइन डालने के लिए किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) सुश्री सिद्धी कुमारी एवं नौ अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) की कच्ची बस्तियों को प्रशासन द्वारा अवैध मानकर तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(18) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से थाना देवगढ़ जिला राजसमंद में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गये व्यक्ति के सम्बन्ध में।

(19) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर शहर के चित्रकूट नगर में निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रीय स्तर के महाराणा प्रताप खेलगांव में घटिया निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य सुश्री सिद्धी कुमारी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से कृषि भूमि के पंजीयनशुदा बेचान के बाद समय पर म्यूटेशन खरीददार के नाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में पुरानी हो चुकी सीवर लाइनों एवं उनमें से होकर जा रही पीने के पानी की लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर तहसील में वर्ष 2009-10 के फसल बीमा क्लेम की राशि कम मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रूपाराम डूडी व 20 अन्य सदस्यों की ओर से तहसील डीडवाना में लगभग सम्पूर्ण फसल खराब हो जाने के उपरांत भी बीमा कम्पनी द्वारा बीमित किसानों को फसल 2009 का क्लेम भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद की ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से प्रदेश में लागू वृद्धावस्था पेंशन के नियमों को हरियाणा की भांति संशोधित करने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से ग्राम चन्दलाई फीडर रामपुरा बांध के पास रहने वाले काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा अकारण परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) डा. रघु शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में निर्वाचित सरपंचों के अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री जयदीप डूडी, सदस्य की ओर से जयपुर के महेश नगर, करतारपुरा में प्रात: 5 से 6 बजे तक हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से समस्त प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरि सिंह रावत, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य परिवहन निगम में वरिष्ठ नागरिकों को बस यात्रा में दी जा रही सुविधाओं में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी।

सुश्री सिद्धी कुमारी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पाली गांव का जो इश्यू उठाया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन था। आज राजस्थान के सरपंच, राजस्थान की ग्राम पंचायत ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): निर्दोष लोगों को फंसाया गया है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पूरे गांव को लोकल जेल में पटक दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने अनुमति दी है माननीय सदस्यों को, मैं अनुमति दे चुका हूं माननीय सदस्यों को। मैं अनुमति दे चुका हूं, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) व्यवस्था बनाइये, अपने-अपने स्थान पर जाइये। कृपया आप अपने स्थान पर बैठिये। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: सुश्री सिद्धी कुमारी। सुश्री सिद्धी कुमारी। (व्यवधान) किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता भूपेश, श्रीमती ममता भूपेश, अपने स्थान पर जाएं। व्यवस्था बनाए रखें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय गजेन्द्र सिंहजी, अपने स्थान पर विराजें, व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर विराजें। व्यवस्था बनाये रखें, अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कोई अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। सुश्री सिद्धी कुमारी। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। सुश्री सिद्धी कुमारी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इनका हो जाए, सुश्री सिद्धी कुमारी का।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान के सरपंचों का विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एक मुद्दा सदन में उठा। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। जैसा कि आपको जानकारी है, आज राजस्थान के 9000 से अधिक, सारे के सारे सरपंच राजस्थान विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने आये हैं। वे जिस प्रकार से आज फंसे हुए हैं, जिस प्रकार का उन पर लांछन लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको बेईमान कहा जा रहा है, जिस प्रकार से उनको रसोइया कहा जा रहा है, जिस प्रकार से सारे चोरी के आरोप लगाकर और जिस प्रकार से वह कहते हैं कि नरेगा से हमें मुक्त कर दो। सारे राजस्थान का चुना हुआ जन प्रतिनिधि आन्दोलित है। कल तक सदन में इस पर बहस हो रही थी। इतना महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है, उस पर माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय सदस्यों की भावना मेरे तक पहुंच गयी है। चैम्बर में मेरे से मिले भी थे, मैंने उनको भी उस वक्त यह बात कह दी थी। आपकी बात सामने आ गयी है। अगले वर्किंग डे पर पंचायत राज मंत्री जी से मैं आग्रह करके इनसे स्टेटमेंट दिलवा दूंगा।

सुश्री सिद्धि कुमारी। (व्यवधान) कोई चर्चा नहीं होगी, समाप्त। (व्यवधान) यह गलत बात है। सुश्री सिद्धि कुमारी। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। सुश्री सिद्धि कुमारी। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं भाजपा के माननीय उप नेता से निवेदन करूंगा, अपने सदस्यों को आप कृपया शांत रखें। आपकी माननीय सदस्या को अवसर दिया है। माननीय सदस्या पहली बार किसी एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलना चाहती हैं, पहली बार बोल रही हैं। आप सुनने का ....

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई हैं, इनको कृपया आप अवसर दें। बैठ जाएं। सुश्री सिद्धि कुमारी।

बीकानेर (पूर्व) की कच्ची बस्तियों को तोड़े जाने

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेस्पेक्टफुल थैंक्स। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पिछले विधान सभा चुनाव में मेरा विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) नया विधान सभा क्षेत्र बना। इस क्षेत्र का विकास पिछले कुछ वर्षों में हो रहा था। नई विकसित कालोनियां मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं। पिछले 18 महीनों में अनगिनत नई कालोनियां और भी विकसित हुई हैं और कई कालोनियां बनती जा रही हैं जिनमें से कुछ कालोनियों को सरकार द्वारा 90-बी की प्रक्रिया के तहत विकसित करने की स्वीकृति भी दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) की कच्ची बस्ती व अन्य कालोनियों को जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा मानकर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी सूचनाएं अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। क्षेत्र के अम्बेडकर नगर, खतूरिया कालोनी, तिलक नगर, लक्ष्मी विहार, हेत नगर, विनायक नगर, चौधरी कालोनी, शिव बाड़ी, गंगा शहर, रामपुरा बस्ती सहित अनेक बस्तियों में अनेक मकानों को अवैध कब्जा मानकर चिह्नित किया जा रहा है जिससे वहां के रहने वाले लोगों में बहुत दहशत का माहौल पैदा हो

(सुश्री सिद्धीकुमारी)

गया है क्योंकि लाखों रुपये लगाकर के इन बस्तियों में रहने वाले लोग कई वर्षों से इन कालोनियों में रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ सरकार सभी को छत, आवास उपलब्ध कराने की बात करती है और दूसरी तरफ इन बस्तियों में ऐसे लोगों की छत छीनने के प्रयास हो रहे हैं। यह कैसा न्याय होगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगी कि बीकानेर (पूर्व) क्षेत्र की इन बस्तियों के आसपास पिछले 18 महीनों में कितनी कालोनियों को 90-बी की प्रक्रिया के तहत विकसित करने की स्वीकृति दी गयी? उनमें से कई कालोनियां ऐसी हैं जिनके आस-पास बजरी का खनन भी हो रहा है। सरकार बड़े भू-माफियाओं की 90-बी की प्रक्रिया के तहत बजरी खनन क्षेत्र में कालोनियां विकसित कर रही है, स्वीकृति भी दे रही है और बीस-तीस वर्ष से स्थापित इन गरीब लोगों के मकानों को बजरी खदानों के पास मानकर, अब अवैध मानकर कब्जे तोड़ने की कार्यवाही कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, शिविर लगाए जाएं, अवेयरनेस कैम्पेन किये जाएं और यदि इनको तोड़ा जाए तो कहीं और जगह उनको रहने की जगह दी जाए। बीस-तीस वर्ष तक ये पक्के मकानों में रह रहे हैं, लाखों रुपये खर्च किये गये हैं, ये बिल्कुल बेघर हो जायेंगे। इनका नियमन करें। थैंक्स। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का। श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्रीगंगानगर नगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मैंने आपके सामने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। गंगानगर नगर परिषद के अध्यक्ष और पूरी नगर परिषद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इतना घोर भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे ख्याल में, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनकी इन्क्वायरी करवायी जाए।

एक तो जो हमारे गंदे नालों का ठेका होता है, बहुत दिनों से उसी ठेके को दुबारा उसी व्यक्ति को देकर खुद ही चेयरमैन लेकर लाखों रुपये का गबन कर रहा है। इसी तरह स्टोर में जो परचेज होता है, उसमें लाखों रुपये का गबन हो रहा है। इसी तरह मस्टर रोल सौ-सौ, दो-दो सौ, तीन-तीन सौ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आदमियों का भरा जाता है फर्जी और लाखों रुपये की उसमें उगाही करके जेबें भरी जाती हैं। पूरी नगर परिषद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरे हमारे पार्षदों का यह हाल है, हरेक को ठेकेदारी की आदत पड़ गया है। सड़कें, राजस्थान पत्रिका, सीमा संदेश, भास्कर, सांध्य बार्डर, छह महीने से कूक रहे हैं कि जो सड़कें बारिश आने से पूर्व बनाई गयी थीं, चार-चार दिन में उन सड़कों में जो सड़ा हुआ मोबिल आइल होता है, मोबिल आइल डालकर, तारकोल की जगह, वे सड़कें दस-दस दिन में खतम हो गयीं। यह इनक्वायरी का विषय है।

इसी अध्यक्ष ने पिछली बार 86 लाख रुपये सहभागी योजना में जमा कराए। क्यों कराए कि 26 परसेंट कमीशन लिया था। उसकी जब शिकायत हुई तो उसने गवर्नमेंट को 26 परसेंट जो इकट्ठा हुआ था सहभागी योजना में, लोगों के नाम से झूठी पर्चियां काटकर, उसकी आपने इन्क्वायरी करवायी और इन्क्वायरी की फाइल कहां दब गयी, कहां चली गयी, उसका कुछ पता नहीं।

मेरा, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन है, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, सारे राजस्थान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नगर परिषद गंगानगर में हो रहा है। जब आप इसकी कलई खोलेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि ऐसा भ्रष्टाचार भी होता है। कोई फाइल एक सेकंड के लिए बिना पैसे के आगे नहीं सरकती। बहुत सारी जो विभागीय सड़कें हैं, उन सड़कों को कामर्शियल बना दिया गया, किसी को डराकर पैसे ले लिये गये। राजस्थान सरकार ने उसके कामर्शियल की कहीं परमिशन नहीं दी। (व्यवधान) परमिशन के विपरीत उस व्यक्ति ने जो काम किया है, वह जब तक आप पूरी तरह इन्क्वायरी नहीं करेंगे, आपके सामने वह चीज आएगी नहीं। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है। मेरी प्रार्थना है कि अगर आप वास्तव में उस ढांचे को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप इन्क्वायरी करवाइये, उस इन्क्वायरी में जो चीज पाई जाए उसके खिलाफ केस दर्ज करके कार्यवाही चलानी चाहिए अन्यथा यह रोज का रोज भ्रष्टाचार आगे बढ़ता जाएगा।

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी अपने स्थान पर ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंगानगर नगर परिषद की स्थिति ...(व्यवधान) सम्माननीय अध्यक्ष जी, बात करते हुए इतना ज्यादा अफसोस होता है, मंत्रीजी इस बात से और बहुत सारे पत्र और चिट्ठियां मंत्री जी को आई हैं, छह महीने से अख़बार रो रहे हैं ....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नये मंत्रियों से परिचय तो करवा दो। पहले परिचय तो करवा दो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा कि हम उसकी इन्क्वायरी करवा दें। मेरी आपसे प्रार्थना है ....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह नई परम्परा है क्या कि कोई माननीय सदस्य दूसरी सीट पर जाकर बैठ नहीं सकता और बैठ जाए तो कोई विशेष छूट वाले भी हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप जाना चाहते हो क्या?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं तो वहीं बैठूंगा, बैठूंगा जब।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, सड़कें, नालियां, आप कलक्टर को कह दीजिए, एक महीने की तनख्वाह कलक्टर बांटे। एक महीने की जो मस्टर रोल की और स्टोर की जो तनख्वाह है, उसमें लाखों रुपये का घपला इसी बात से सिद्ध हो जाएगा कि एक महीने की तनख्वाह कलक्टर अपने सामने बांट दे, उसको यह मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है मंत्री महोदय से, जितना ज्यादा कहेंगे, सारी चीज का मंत्री महोदय को मालूम है लेकिन क्यों, क्या कारण हैं, मंत्रीजी चुप हैं, यह मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। आपको पूरी बात मालूम है, सारे अख़बार आप पढ़ते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जवाब......

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बात होने दो उनकी। आपका बंद हो गया क्या? उसके बाद आप नहीं बोल पाओगे। उसके बाद नहीं बोल पाओगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से, आपसे भी निवेदन है कि पूरे राजस्थान की एक नई चीज आपके सामने आएगी ऊपर तक और विधान सभा प्लेटफार्म इसीलिए है कि यह भ्रष्टाचार जो चारों तरफ व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार को किसी तरह रोका जाए। बस इतनी प्रार्थना करता हूं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन। सांचोर में एक बंदर पागल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 4-5 लोगों को काट लिया उसने।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा..(व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिये मैंने पहले व्यवस्था दे दी थी कि जिस बात को उठाना हो, हर कोई बात अचानक नहीं उठायी जाए, स्लिप भेज दी जाए यहां, उसके बाद परमिशन मिलेगी। कृपया इस तरह से व्यवधान नहीं करें।

मंत्रीजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाली मैडम सिद्धी कुमारी जी ने कच्ची बस्तियों के बाबत बात कही है। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर डिक्लेयर्ड कच्ची बस्तियां हैं तो निश्चित तौर पर वे तोड़ी नहीं जायेंगी, अगर जरूरत पड़ी तो उनका पुनर्वास किया जायेगा। एक बात।

दूसरी बात, अगर डिक्लेयर्ड कच्ची बस्तियां नहीं हैं और नये अतिक्रमण हैं तो फिर अगर आपके पास कोई ऐसी स्कीम हो तो आप बताएं, प्रस्ताव दे दें तो आई एच एस डी पी या बी एस यू पी में उनको दूसरी जगह भी स्थापित किया जा सकता है।

गंगानगर से आने वाले आदरणीय राधेश्याम जी ने बतायी भ्रष्टाचार की बात। आपको ध्यान होगा कि 98 से लेकर के 2003 तक जो सरकार थी जिसमें आप भी मंत्री थे और यही चेयरमैन उस वक्त भी नगर परिषद् के चेयरमैन थे और जब..

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उस वक्त भी मामला उठा था..

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी बात सुन लीजिये, सुन लीजिये, बैठ जाइये। जब हाउस में उस वक्त भी आरोप लगे थे तो आप ही उनको बचाने के लिये आये थे। (व्यवधान) अब भी आप अगर इनकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, अब भी आप अगर इनकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे आप लिख दें, जिससे चाहे उससे इंक्वायरी करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था..

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैंने स्थगन प्रस्ताव दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

देवगढ़ (राजसमंद) में पुलिस मुठभेड़ में मृत व्यक्ति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति कितनी छिन्न-भिन्न हो गयी है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान की पुलिस के अधिकारियों ने मुख्य मंत्री के गृह जिले के रहने वाले छोटूराम जाट की राजसमन्द जिले में कल्याणपुर थाना बाड़मेर, भीम और देवगढ़ पुलिस थाने की पुलिस के साथ मिलकर 18 मई को दिनेश जाट समझकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिये इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया। दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार लगातार इसी तरह जाटों की हत्याएं करती रही तो राजस्थान के नौजवान जाट को खुद अपनी रक्षा के लिये हथियार उठाना पड़ेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सदन की और सरकार की होगी। सत्ता पक्ष के अन्दर बैठे हुए जाट मंत्री चाहे मुख्य मंत्रीजी की चमचागिरी कर लें लेकिन आने वाले चुनाव के अन्दर जाट समाज...

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर बोलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनको गांवों के अन्दर घुसने नहीं देगा। छोटू जाट की हत्या के बाद पिछले 3 महीने के अन्दर एफ आई आर लाज नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आज डी जी साहब रुके हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न नहीं किया। माननीय सदस्य, उनको समय दिया है, उनको बोलने दीजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक एफ आई आर..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको आप बोलने दीजिये। अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तक एफ आई आर लाज नहीं हुई और उल्टा छोटू जाट के साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उस शंकर लाल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अहीर को पुलिस ने आत्म रक्षा के गलत मुकदमे में फंसा कर पिछले 3 महीने से जेल के अन्दर डाल रखा है। जाटों ने इसको लेकर जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, शव को रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। राजसमन्द की पुलिस जब छोटूराम के शव को लेकर अजमेर राजकीय चिकित्सालय गयी तो राजसमन्द का एस पी नितिन दीप और चित्तौड़गढ़ का एस पी, ये दोनों तस्करों से मिले हुए हैं और कोई सही जांच राजसमन्द जिले के अन्दर और चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर, चाहे अफीम तस्करी का मामला हो, चाहे हिरासत के अन्दर मौत का मामला हो, चाहे एन्काउंटर का मामला हो, उन्होंने आश्वासन देकर लाश का पोस्टमार्टम कराया और इनको बरगला के जो अनपढ़ लोग, परिवार के लोग साथ आए थे, उनको गांव भेज दिया। उसके बाद पिछले महीने डांग्यावास थाने का जाट समाज के हजारों लोगों ने जब घेराव किया तो उन पर लाठियां बरसायी गयीं और 80 से ज्यादा जाटों के नौजवान लड़कों को मुलजिम बनाया गया।

अध्यक्ष महोदय, जाट भी इस प्रदेश के अन्दर रहते हैं और आज तक कांग्रेस की सरकार ने अगर 40 साल के अन्दर सबसे ज्यादा वोट किसी के लिये..

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो इस जाति के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जाटों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चाहे हमें गोली खानी पड़े, लाठी खानी पड़े लेकिन इस तरह कोई होगा तो विधान सभा की सदस्यता छोड़कर गांवों के अन्दर जाकर सेवा करेंगे..

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया। कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सरकार को आज जवाब देना होगा..

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गृह मंत्रीजी को जवाब देना होगा कि मुख्य मंत्रीजी के गृह क्षेत्र के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन्होंने यह साबित कर दिया कि मुख्य मंत्री.....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, विराज जाएं आप। माननीय सदस्य, विराज जाएं आप। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है, आप बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं नाम से पुकार रहा हूं, श्री हनुमान बेनीवाल, कृपया आप विराज जाएं। श्री हनुमान बेनीवाल, कृपया आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, मुझे मजबूर होकर आपका नाम पुकारना पड़ रहा है। (व्यवधान) कृपया आप विराज जाएं। श्री गुलाब जी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं नाम लेकर पुकार रहा हूं, कृपया विराज जाएं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री अध्यक्ष: कर दिया मैंने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, मैं नाम लेकर पुकार रहा हूं, श्री हनुमान बेनीवाल, कृपया आप विराज जाएं, अन्यथा आप बाहर चले जाएं, माननीय सदस्य। श्री गुलाब जी कटारिया।

महाराणा प्रताप खेलगांव, उदयपुर में घटिया निर्माण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यू डी एच मिनिस्टर साहब के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। उदयपुर नगर न्यास ने यह सोचकर कि एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम उदयपुर में महाराणा प्रताप के नाम से बने, लगभग 26 हेक्टेयर जमीन और लगभग 200 करोड़ रुपया यू आई टी ने इस स्टेडियम के विकास के लिये अपने फंड में रखा। 37 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां विभिन्न प्रकार के कामों के लिये जारी कर दीं। काम आगे बढ़ा लेकिन जिन अधिकारियों को इन कामों के बारे में देखना था, वहां जो स्टेडियम लगभग 6 करोड़ रुपये का बन रहा है, 37 प्रतिशत से अबूव जिसको भी आना है, वह तो जो कुछ भी टेंडर में आयेंगे उसको लोएस्ट को दिया जायेगा, उसको दिया है, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं लेकिन जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 6 करोड़ में से 5 करोड़ 3 लाख रुपये का पेमेंट उस ठेकेदार को हो गया और उसके बाद इस बारिश में उसका सौ फीट, पूरा का पूरा स्टेडियम ढह गया; उससे बाकी बची हुई सारी की सारी सीटें टूट गयीं; जितने पिलर खड़े किये थे, उन सबमें दरार आ गयी।

अब इसमें केवल ठेकदार की गलती नहीं मानता हूं मैं। अगर वास्तव में आप कार्यवाही करना चाहते हो तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो जिनको कंस्ट्रक्शन को समय-समय पर चैक करना था कि उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी है, मैटेरियल में किसी प्रकार का हेरफेर है, जिस नार्म्स के हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिये, वह नहीं हुआ। तो आपका इतना एस ई, एक्स ईएन, ए ईएन, इतनी बड़ी जो फौज वहां लगी हुई है, उसने इसको क्या देखा?

दुर्भाग्य यह है कि यह तो इस बारिश के अन्दर गिर पड़ा इसलिये लोगों के ध्यान में आया। यह एक तरफा है, सामान्यत: व्यक्ति सोचकर जाए तो ही वहां पहुंचता है, बाकी उस रास्ते नहीं आने के कारण से सामान्य आदमी की निगाह उस पर नहीं पड़ती है। मैं इसलिये इस प्रकरण को, जबसे यह ध्यान में आया, आपकी सी आई डी, आपका यह जो भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट है, उसने भी इसके बारे में अपने सारे केसेज को बनाया होगा लेकिन केवल सुनना और मेरा यहां यह कहना पर्याप्त नहीं है। कारण यह है कि सरकार का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, जिस मंशा से हम उसको खर्च करके अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न ग्राउंड हम बनाने के लिये जाते हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वहां क्रिकेट का जो मैदान बन रहा है, सी पी जोशी साहब उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारा अपने पास लेने की कोशिश की। उसमें 100-200 करोड़ रुपया भी खर्च करके एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सारी प्रतियोगिताएं उदयपुर में हो सकें, उसके लिये, उसको लेने के लिये अपनी सहमति जाहिर कर दी। उस स्टेडियम के बनते हुए यह स्थिति हुई कि आज की तारीख में अगर आप जाकर देखें तो केवल धूला भर के सीढ़ियां बनायीं। पूरा का पूरा जो आपका कंस्ट्रक्शन है वह खड़ा किया है, जितने पिलर बनाये, दुर्भाग्य है, मतलब किसी की आंख खुली नहीं, जितने पिलर बनाये वे केवल ईटों के पिलर बना करके अन्दर केवल उसमें मिट्टी भर दी। यह तो ठीक है कि कोई ऐसा खेल वहां नहीं हो रहा था और लोग वहां बैठे नहीं थे, उस प्रकार की कोई घटना होती तो शायद कितने लोगों की जान जाती।

अब इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरा उसके नाम से कोई लेना-देना नहीं है, उसके खिलाफ और उसको समय-समय पर जिन लोगों ने पेमेंट किया है और जिन लोगों की क्वालिटी को चैक करने की जिम्मेदारी थी, जब तक आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह भाषण व्यर्थ हो जायेगा। एक तरह से इस प्रकार की बेईमानी करने वाले अधिकारियों को खुली छूट मिल जायेगी कि आपने विधान सभा में उठा लिया, हुआ क्या, होता क्या है? मेरी मंशा यह है कि उन अधिकारियों को जिनकी सुपरविजन में यह सारा काम हुआ, उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे, इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं रुकेंगी। इसमें से एक-आध तो सेवानिवृत्त होकर चले गये और आपका कानून यह कहता है कि सेवानिवृत्ति को अगर तीन साल हो जायेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी तो यह साल-डेढ़ साल ही हुआ है। वह जो एस.ई. सेवानिवृत्त हुआ है, जो एक्स.ईएन. वहां से ट्रांसफर कराकर के दूसरी जगह चला गया, वहां का ए.ईएन. जो ट्रांसफर कराकर चला गया, माल-माल तो खा गये, बाद में रोने वाले रोते रहेंगे। यह जो घटना हुई है, यह तो केवल 6 करोड़ के कंस्ट्रक्शन में हुई है, 37 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसकी सारी की सारी जांच करवायें और अगर उसमें गुणवत्ता के आधार पर कहीं कमियां पायी जाती हैं तो उस कंस्ट्रक्शन कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाये जिसको जिस नार्म्स से बनाना था और उन अधिकारियों को जिनके सुपरविजन में यह काम हो रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनसे यह पैसे वसूल होने चाहिए। कार्यवाही का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मतलब यह नहीं है कि उनकी पेंशन रोक दें या उनका सस्पेंशन हो गया। यह समस्या है, यह एक टैस्ट केस बनेगा राजस्थान के लिए कि उसकी रिकवरी उनकी सारी प्रोपर्टी को एक तरह से नीलाम करके प्राप्त की जाये, जिसके कारण से जो नुकसान उनकी देखरेख में हुआ वह आप वसूल कर पायेंगे।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं आपके माध्यम से सदन से और मंत्री महोदय जी से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी, यह वास्तव में मिलीभगत है अधिकारियों की और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जिस कंस्ट्रक्शन कम्पनी को 37 प्रतिशत अबूव में जो यह ठेका मिला है, कहीं यह आपके ए.ईएन., जे.ईएन., एक्स.ईएन. उस ठेकेदार के पार्टनर तो नहीं हैं ये उसके हिस्सेदार तो नहीं हैं, इन्होंने मिलकर तो यह काम नहीं किया। अगर इसकी तह में जायेंगे तो आपको यह पता पड़ेगा। जो ए सी डी ने केस बनाया और जो सैम्पल उठाकर के लाये, उनकी जांच में लम्बा समय नहीं जाना चाहिए। 15-20 दिन या एक महीने में जांच होकर के मैटेरियल किस प्रकार का लगा, किस प्रकार का मैटेरियल लगना चाहिए, कहां-कहां गलती हुई, उसकी जांच को महीने, दो महीने में समाप्त करें और उसके बाद अगर एक्शन करेंगे तब तो इस समस्या का समाधान होगा, नहीं तो आगे जो 100 करोड़ को हमने प्लान बनाया, इतना बड़ा सपना देखा, महाराणा प्रताप के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उदयपुर में बनाया कि ट्यूरिस्ट नगरी के साथ-साथ खिलाड़ियों का आना-जाना भी यहां होगा तथा उदयपुर के लोगों को एक तरह से अपने जीवन में खुशहाली मिलेगी। उनको रोजगार मिलेगा यह सब व्यर्थ जायेगा। जोड़ने की मंशा से हमने 100 करोड़ रुपये, यू आई टी से केवल एक खेल स्टेडियम के लिए प्रपोजल रखा कि इस 100 करोड़ से 2, 4, 10 साल में 200 करोड़ कमाने की स्थिति में उदयपुर शहर आ जायेगा। इतना बड़ा काम हमने किया।

मंत्री महोदय, आप इस बारे में कुछ आश्वस्त करें कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी देखरेख में यह सारा का सारा स्टेडियम तैयार हुआ और आज की तारीख में 6 करोड़ आपका बिलकुल रसातल में चला गया, उसको जाकर के आप स्वयं देखें। आप जाते उस दिन जिस दिन सी.पी. जोशी साहब की सेवानिवृत्ति होनी थी, तो आपको उस दृश्य को देखकर के रोना आता। यह जांच तो अपनी जगह चलती रहेगी लेकिन एक बार समय निकालकर कम से कम अपनी आंखों से देखकर के आयें कि आपके अधिकारी किस तरह से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सरकारी धन का दुरुपयोग करके लूट रहे हैं और कुल मिलाकर जनता की गाढ़ी कमाई को खाकर के एक तरह से आराम कर रहे हैं। फिर सेवानिवृत्ति का बहाना बनाकर के तीन साल कैसे भी करके फाइल को आगे-पीछे कराकर के, निकाल करके आपके परव्यू से बाहर निकल जायेंगे। आज वे आपकी सीमा में हैं। कुछ आपके दूसरे विभाग की नौकरी में चले गये हैं, ट्रांसफर कराकर चले गये हैं। उन सबके खिलाफ कार्यवाही हो। आपके सेक्रेटरी और जो अफसर हैं, उनको भी हिदायत दें कि आप सब लोगों की मौजूदगी में, आपने कभी जाकर के देखा भी या नहीं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कम शब्दों में भी आप आश्वस्त करें सदन को और सारे राजस्थान की जनता को उदयपुर की घटना के माध्यम से कि इन अधिकारियों की इस प्रकार की लापरवाही को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में एक और जोड़ना चाह रही हूं। माननीय अध्यक्षजी के माध्यम से मंत्रीजी को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कौनसे विषय पर? कौनसे नियम में? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसी में, इसी विषय के ऊपर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो इनका था। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह सारी बात है, उसके बाद में एक लाइन सिर्फ ...(व्यवधान) जो यह मेन टेंडर था, मूल टेंडर, वह 2 करोड़ का था और आपके अधिकारियों की मिलीभगत से उस 2 करोड़ के टेंडर को 6 करोड़ तक ले गये, बिना री-टेंडर किये उसको, और आगे तक बढ़ाया। इसका भी ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नगर विकास न्यास के द्वारा महाराणा प्रताप खेल गांव में ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारा जवाब तो दिलायें, साहब, आप। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, हमारे वाला तो देवें जवाब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, फिर मतलब क्या रह गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): छांट-छांट करके जवाब देंगे तो कोई मतलब नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) किसी और माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) किसी और माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, केवल मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): महाराणा प्रताप खेल गांव में निर्माण किया गया था। निश्चित रूप से उसकी शिकायत प्राप्त हुई है। केस ए सी डी में रजिस्टर्ड हुआ और अभी कोई 7, 10 रोज पहले ही ए सी डी को लिखा गया, उसको करने के लिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो, इस केस को निपटाया जाये।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी है, उसको भी जांच के लिए भेज देते हैं कि किसकी गलती की वजह से यह सब हुआ है, तो डिपार्टमेंटली इन्क्वायरी अलग चलती रहेगी, ए सी डी का काम अलग चलता रहेगा।

एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो 6 करोड़ रुपया नगर विकास न्यास के द्वारा खर्च हुआ, 2 करोड़ रुपया नगर परिषद के द्वारा जो खर्च हुआ है, वहीं उनका खर्च रोक दिया गया है, उनको काम बंद करवाने के लिए कह दिया गया है क्योंकि जो क्रिकेट स्टेडियम है, यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जो बनने जा रहा है, वह आर सी ए को दे दिया गया है। अब इस पर 150-200 करोड़ रुपया और इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए टोटल खर्चा आर सी ए करेगी। इसलिए उनका खर्चा सारा का सारा रोक दिया गया है। जो आप फरमा रहे थे कि 100 करोड़ रुपये का बजट है, वह 6 करोड़ रुपया उनका खर्च हो गया है, चूंकि दोनों संस्थाओं का नुकसान नहीं हो इसलिए हमने आर सी ए से यह कहा है कि 6 करोड़ रुपये का पेमेंट वह नगर विकास न्यास को भी करे और 2 करोड़ रुपये का पेमेंट वह नगर परिषद को भी करे।

रहा सवाल इस बात का कि इसकी और जांच करानी है, जैसा मैंने

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आपसे निवेदन किया तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है यू आई टी के द्वारा, नगर परिषद के कंस्ट्रक्शन में तो शायद आप इंटरेस्ट लेंगे नहीं ...(व्यवधान) नहीं, वह तो अच्छा ही किया है क्योंकि नगर परिषद तो आपकी ही बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें चुटकी लेने से कोई मतलब नहीं है, कहा ना, यह सारा काम यू आई टी के सुपरविजन में हो रहा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसकी जांच करवा लेते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उन्हें तो 2 करोड़ रुपये देना था, वह दे दिया। ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसकी जांच करवा लेते हैं और 15 दिन के अन्दर-अन्दर जांच करके आपको रिपोर्ट भेज देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इनके जो दूसरे खेल मैदान भी हैं, जैसे बैडमिंटन का है, बाकी हैं, उन सभी के भी लेवल गड़बड़ हैं, बालीबाल का भी लेवल गड़बड़ है। सारे के सारे जितने ग्राउंड बनाये हैं, वे सारे एक तरह से बेकार हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह जो कुछ भी है, यू आई टी का टोटल खर्चा रोक दिया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब अगर मान लीजिये, जो जमीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए दी गयी है वह तो आर सी ए बनायेगी, उस पर जो भी करेंगे वे करेंगे और बाकी जो जमीन है, उस पर स्पोर्टस कौंसिल आफ राजस्थान करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सेवानिवृत्त अधिकारियों का तीन साल का समय होता है, उसके पहले अगर आपने नहीं सम्भाला तो एक पैसे आपको नहीं मिलेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको यही कह रहा हूं कि सितम्बर के अन्दर-अन्दर जांच करवाकर के रिपोर्ट, आपके पास भी एक कापी भिजवा देंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वाह, वाह।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके दल के उप नेता बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके दल के ही सदस्य हैं, आपकी ही नहीं मानते तो क्या करें? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) मेरे पास पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिए श्रीमती कमला कस्वां जी की एक स्लिप आयी है, सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर नाबालिक बालिका के साथ हुए बलात्कार के संबंध में। इस संबंध में पर्ची पर चर्चा होने के बाद आपको अवसर दूंगा।

एक आयी है शंकर सिंह जी रावत की, विधान सभा के बाहर 10 हजार सरपंच पूरे राजस्थान से आकर धरने पर बैठे हैं, सरकार पंचायतों को कमजोर करने, अधिकारियों की मनमानी, नरेगा में घटता बजट, यह पाइंट आफ इन्फार्मेशन का विषय नहीं है। दूसरा है, सरपंचों की आत्महत्या को रोकने के संबंध में शंकर सिंह जी का। इन दोनों विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

अगले दिन जब 3 तारीख को सदन में आयेंगे तब पंचायत राज मंत्री जी का इस पर स्टेटमेंट आने के बाद, भाजपा के उप नेता के आग्रह पर मैंने यह लिया है, उस वक्त आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आत्महत्या कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक माननीय सदस्य रविन्द्र सिंह जी ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जब तक कोई सरपंच आत्महत्या कर लेगा तो उसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य रविन्द्र सिंह जी ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर आपको धौलपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की दुर्दशा पर बात करनी है। यह दूसरे प्रकार का विषय है, इसको अन्य नियमों के तहत आप उठा लें। उसमें आपको इजाजत देने पर विचार किया जायेगा।

माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी।

सूचना

ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में अनियमितता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिए आग्रह किया था, आपने कहा था कि पर्चियों के बाद उठाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 211 के अन्तर्गत न्यायपालिका के बारे में चर्चा नहीं करेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय राजस्थान में इस समय है। राजस्थान के सारे वकील आंदोलन पर हैं और प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश के चैम्बर में जाकर भी भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगे हैं और सारे के सारे वकील राजस्थान भर में आंदोलन पर हैं। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी स्टेटमेंट छपा है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम न्यायपालिका के कृत्यों के बारे में, माननीय न्यायाधिपतियों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के आचरण के बारे में इस सदन में कोई चर्चा नहीं करेंगे लेकिन राजस्थान में जो स्थिति पैदा हो रही है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले ऐसे हैं जिन मामलों में सरकार का हस्तक्षेप, सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप या विधि मंत्री का हस्तक्षेप आवश्यक हो, उन विषयों पर चर्चा हम कर सकते हैं। यह लॉ एंड आर्डर का मामला भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला इस प्रकार प्रारम्भ हुआ, राजस्थान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज के लिए 36 वेकेंसियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निकाली गईं। हमारे यहां आम तौर पर यह नियम है कि तीन गुणा जितनी वेकेंसी निकालते हैं, एक के बजाय तीन आदमियों को हम पास करते हैं और फिर इन्टरव्यू के लिए बुलाते हैं। दुर्भाग्य से इसमें जो परिस्थितियां पैदा हुईं, उनमें 36 वेकेंसियों के अगेंस्ट में केवल 37 लोगों को पास किया गया और जिन 37 को पास किया, उनमें भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि एक अध्यापक, एक ऐसे व्यक्ति को पास कर दिया जो वकील नहीं है, जो जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय स्कूल में पढ़ाता है, केवल उसका बाप जो था वह रिटायर्ड सेशन जज था, उसको परमिशन दे दी गई और उसको पास कर दिया गया, वह पास हो गया। इसी प्रकार, इसमें 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, राजस्थान के बाहर के जो लोग थे उनकी आयु 35 वर्ष नहीं थी तो 2010 को हटाकर 2011 कर दिया गया, जो 2011 तक 35 वर्ष की आयु पूरी करेंगे उनको भी इसमें भर्ती कर लिया जाएगा।

इस प्रकार सारे जो सलेक्शन के मापदण्ड थे, वे गलत हुए। इसलिए वकीलों का, अभिभाषकों का आरोप है, वह एक बात है, 37 में से सिर्फ 8 राजस्थान बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं। अन्य राज्यों में भी कोटा है। जब वहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाते हैं तो 90 प्रतिशत उनके राज्य से आने चाहिए और 10 प्रतिशत बाहर से आने चाहिए। यहां पर जो सारा काम हुआ है, उसमें 8 सिर्फ राजस्थान के हैं, 8 यू पी के हैं, 7 हरियाणा के हैं, 6 दिल्ली के हैं, 1 उत्तराखण्ड का है, 1 बिहार का है और 6 अन्य राजस्थान के बाहर के हैं। राजस्थान के सिर्फ 8 वकीलों को इसमें वह किया गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 पदों का रिजर्वेशन किया गया था लेकिन इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक भी व्यक्ति का सलेक्शन नहीं किया गया है। उनके अगेंस्ट में जनरल कास्ट के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लोगों को भर्ती करके उसमें लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। राजस्थान के 3,500 वकीलों ने इसमें परीक्षा दी थी, उनमें गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, उन सारे के सारों को इसमें फेल कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि जब सब राज्यों में वहां के लोगों के लिए नियुक्तियां होती हैं तो राजस्थान के वकीलों का भी अधिकार बनता है कि 90 प्रतिशत उनकी नियुक्ति हो और इस प्रकार का नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।

दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह जो सारी परिस्थितियां हो रही हैं, उनकी जांच नहीं हुई और वह सब जांच के दायरे में हैं। स्वयं राजस्थान में न्यायपालिका का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राजस्थान की न्यायपालिका का जिस प्रकार का इतिहास रहा है, उस इतिहास की हम रक्षा कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करके माननीय विधि मंत्रीजी के माध्यम से भारत सरकार को यह कहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आग्रह करे कि सारे प्रकरण को माननीय न्यायालय स्वयं देखे और माननीय न्यायालय इस मामले को समाप्त करे। साथ ही अब तो यह मांग भी बहुत जोरों से उठने लग गई है कि जजों की नियुक्ति के लिए जुडिशियल कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए ताकि राजस्थान में या हिन्दुस्तान के सब प्रांतों में एक प्रक्रिया के आधार पर वह हो।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े और वकीलों के आंदोलन के बारे में राज्य सरकार जो भी कर सकती है, वह करे और हमको न्यायपालिका की गरिमा और न्यायपालिका के गौरव की रक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए, वे कदम भी हमको निश्चित रूप से उठाने चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से सूचना देने का आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: 295 । श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्या हुआ? (व्यवधान) यह क्या मतलब है? आप यहां विराजमान हैं और इस तरह......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य का अंकित न हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वह सुन नहीं पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर जा रहा है, आप पढ़ो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, अगर इसके बावजूद भी आप नहीं मानेंगे तो मुझे दूसरी कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

समय पर म्यूटेशन खरीददार के नाम नहीं होना

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि भूमि के पंजीयनशुदा बेचान के बाद खरीददार द्वारा राजस्व रेकार्ड में उस भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित तहसील कार्यालय में भूमि के पंजीयन के दस्तावेज के साथ आवेदन करना पड़ता है। कृषि भूमि पंजीयनशुदा खरीद के बाद भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए अनेकों चक्कर पटवारी और तहसील कार्यालय में लगाने पड़ते हैं। यहां तक कि इस कार्य के लिए उसे कुछ राशि भी रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है। अनेकों प्रकरणों में म्यूटेशन लम्बे समय तक नहीं चढ़ने के कारण एवं भूमि की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा तेजी आने के कारण बेचानकर्ता पूर्व में बेची गई भूमि को दुबारा भी बेच देते हैं जिसके कारण अनेकों न्यायिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे हजारों प्रकरण विचाराधीन हैं। खरीददार द्वारा कृषि भूमि की पूरी बाजार दर की राशि दिए जाने एवं पंजीयन हो जाने के बाद भी अनेकों प्रकरणों में समय पर म्यूटेशन के अभाव में उसे कृषि भूमि पर कब्जा नहीं मिल पाता। साथ ही कृषि भूमि की तरमीम के भी सैकड़ों प्रकरण प्रत्येक तहसील कार्यालय में लम्बित हैं। किस खातेदार की भूमि कहां स्थित है, इसको लेकर भी विवाद बना रहता है। बिना तरमीमशुदा भूमि के कब्जे को लेकर मारपीट के हजारों प्रकरण भी पुलिस थानों में दर्ज हैं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मेरा माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि शहरी क्षेत्रों में उप पंजीयक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं तहसील द्वारा ही कृषि भूमि के बेचान-खरीद का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन होने के 30 दिन के भीतर ही म्यूटेशन खरीददार के नाम स्वत: ही हो जाए तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा एवं भूमि सम्बन्धित विवाद भी उत्पन्न नहीं होंगे। साथ ही कृषि भूमि तरमीम के प्रकरणों के निस्तारण की अवधि सुनिश्चित कर दी जाए ताकि किसकी भूमि कहां पर स्थित है, यह स्पष्ट हो जाए।

माननीय राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, यह सबका मामला है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यह छोटा सा नियम बना दें आप।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ दीजिए। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ चुके, सरकार के नोटिस में चला गया, कापी उनके पास गई है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं। माननीय राजस्व मंत्रीजी।

चौमूं में सीवर लाइन डाली जाना

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं कस्बा राजस्थान की राजधानी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हुए भी विकास कार्यों में काफी पिछड़ा हुआ है। चौमूं कस्बे की आबादी 60 हजार से अधिक पहुंच चुकी है, बहुत पुरानी बसावट है, जहां पर अभी तक सीवर लाइन उपलब्ध नहीं है जबकि चौमूं कस्बा पिछले 20 वर्षों से जे डी ए के परिधि क्षेत्र में शामिल है। सीवर लाइन नहीं होने के कारण पूरा कस्बा गन्दगी की भेंट चढ़ा हुआ है। अत: आपसे निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण से चौमूं कस्बे में सीवर लाइन स्वीकृत करवाकर सीवर लाइन डलवाने की कृपा करें जिससे कस्बे में साफ-सफाई रह सके।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर की जर्जर सीवर एवं पाइप लाइनों को बदला जाना

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव, जोधपुर की सीवर लाइन समस्या।

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में जिस तरह प्रातःकाल 15 मुख्य स्थानों से सीवर लाइन चॉक होने से गंदा पानी बेशुमार सड़क पर बहने के कारण वहां से गुजरने वाले स्कूल विद्यार्थी, धार्मिक स्थान पर जाने वाली महिलाओं, वृद्धजनों के साथ आमजन का इन रोडों पर से गुजरना किसी नाले को पार करने जैसा है। यह प्रतिदिन की समस्या है। इस हेतु कई बार निगम के अधिकारियों, जिला कलक्टर एवं यहां तक कि जोधपुर के प्रभारी मंत्री, माननीय राजेन्द्र जी पारीक के सम्मुख भी उक्त समस्या के स्थायी हल हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। निगम अधिकारियों को दूरभाष पर निवेदन करने के उपरान्त भी चार-चार घंटे तक निगमकर्मियों का उक्त स्थलों पर नहीं पहुंचने से स्थिति और भयावह हो जाती है। इस हेतु जनता को नगर निगम का ध्यानाकर्षण करने के लिए कई बार आंदोलन करने के साथ, धरना प्रदर्शन एवं रास्ता रोकने इत्यादि जैसी प्रक्रिया अपनाने को मजबूर होना पड़ता है जिससे जिला एवं पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करने के साथ कई निर्दोष लोगों पर मुकदमा इत्यादि भी दर्ज हो जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में भी सीवर लाइनों के चॉक होकर बहते हुए गंदे पानी की फोटो रोजाना देखने को मिलती है। इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार निगम अधिकारियों को उनके इस रवैये को लेकर नाराजगी प्रकट कर, समयबद्ध ठोस योजना बनाकर इस समस्या से आमजन को निजात दिलाने के लिए निर्देशित भी किया है।

इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों के मुख्य अधिकारियों ने एक योजना बनाई है जिसमें समस्त सीवरेज लाइनें, जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं या जिनमें लीकेज हैं और पी एच ई डी की पाइप लाइनों से जुड़कर जहां पीने के पानी के साथ सीवर का गंदा पानी मिलकर आ रहा है, सम्मिलित हैं। पूर्व वर्षों में कई जगह गंदे पानी की सप्लाई होने के कारण वहां के निवासियों को पीलिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ा था। इसी के साथ, जोधपुर के करीब 22 ऐसे प्रमुख नाले हैं, उनकी सफाई समय पर नहीं

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

होने एवं उनमें सीवर लाइन का जो गंदा पानी आता है, वे नाले बार-बार अवरुद्ध होना भी जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर का कारण है। यह भू-जल स्तर बढ़ने के एक सर्वे में आए वैज्ञानिक का कहना है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जहां पर 15 लाख से अधिक जनता निवास करती है, उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों ने जो योजना बनाई है, वह 425 करोड़ रुपये की है जिससे उक्त समस्या का स्थायी समाधान सम्भव हो सकेगा। अत: मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे इस महत्वाकांक्षी योजना में अपना विशेष सहयोग देकर 425 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर इस कार्ययोजना का शुभारंभ कर जोधपुर की जनता को राहत प्रदान करावें क्योंकि विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा भी शहर का मुख्य हिस्सा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर तहसील में फसल बीमा की कम राशि की प्राप्ति

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये बाड़मेर तहसील में वर्ष 2009-10 की फसल बीमा क्लेम की राशि कम मिलने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त जनहित के मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं कि बाड़मेर तहसील में वर्ष 2009-10 में किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि सबसे न्यून मात्रा में स्वीकृत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2009-10 में भयंकर अकाल था जिसको लेकर सरकार ने गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में भी बाड़मेर तहसील में शत-प्रतिशत अकाल बताया गया। उसके बावजूद जब बीमा की राशि आई तो सबसे कम राशि बाड़मेर तहसील में आई। अध्यक्ष महोदय, केवल 8 प्रतिशत बीमा राशि ही बाड़मेर तहसील में आई जबकि बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित बाड़मेर तहसील का क्षेत्र था, उसके बावजूद बीमा क्लेम की राशि सबसे न्यून मात्रा में स्वीकृत हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब

(श्री मेवाराम जैन)

गिरदावरी रिपोर्ट में शत-प्रतिशत अकाल दर्शाया गया, फिर क्या कारण रहा होगा कि क्लेम की राशि कम क्यों आई? अत: मेरी मांग है कि पुन: इसकी जांच कराकर बाड़मेर तहसील के किसानों को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपाराम डूडी।

डीडवाना में फसल खराब होने पर भी बीमित किसानों को क्लेम भुगतान नहीं होना

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, तहसील डीडवाना के अकाल पीड़ित एवं 80 से 90 प्रतिशत व कहीं-कहीं 100 प्रतिशत फसल खराबे के उपरांत बीमा कम्पनी द्वारा 4,596 बीमित किसानों को आज तक खरीफ फसल 2009 का क्लेम भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु निवेदन है।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील डीडवाना की 31 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 4,596 कृषक सदस्यों ने अपनी खरीफ फसल 2009, कुल कीमत 6,59,74,400/- का बीमा कराते हुए 19,48,465/- रुपयों का बीमा प्रीमियम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को जमा कराया था। अकाल पीड़ित डीडवाना तहसील के उक्त बीमित किसानों की फसलों का 80 से 90 प्रतिशत खराबा हुआ।

श्री अध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर पधारें।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): कहीं-कहीं 100 प्रतिशत खराबा हुआ। ऐसे हालात में चौपट हुई बीमित फसलों का क्लेम किसानों को आज तक नहीं दिया गया है जबकि जिला नागौर की अन्य तहसीलों एवं नागौर जिले के सहकारी बैंक की कुल 10 ब्रांचों में से डीडवाना ब्रांच को छोड़कर अन्य सभी ब्रांचों के बीमित किसानों को क्लेम का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य, पढ़ना है। पढ़ना है, भाषण नहीं।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): नहीं, पढ़ ही रहा हूं, साहब। पढ़ ही रहा हूं और क्या भाषण थोड़े ही दे रहा हूं, साहब।

अत: सदन में उक्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

धोद की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाना

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र में जनता का आवागमन सुव्यवस्थित करने तथा मुख्य सड़कों से ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए निम्नानुसार मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करें जिससे धोद विधान सभा क्षेत्र की जनता को सुविधा मिल सके।

निम्न मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ा जावे:-

क्र.सं.	**सड़क का नाम**	**अनुमानित दूरी मी. में**
1	चन्द्रपुरा से रामपुरा	3,500
2	गोठडा तगेलान से गोडियावास (वि.स. सीमा तक)	3,000
3	टाटनवां से सेवद छोटी	2,500
4	दीपपुरा से अनोखु	1,000
5	काशी का बास से पुरा बड़ी	4,000
6	तासर छोटी से सेवद बड़ी	5,000
7	कुंडलपुर से ताखरों की ढाणी	2,000
8	थोरासी से लालासी (विधान सभा सीमा तक)	2,500
9	दुगोली से जगतपुरा	2,000
10	पालवास से श्यामपुरा	4,000
11	सिहोट बड़ी से चंदेली का बास	2,500
12	टाटनवां से सौत्या का बास	2,000
13	मुण्डवाडा बस स्टेंड से जाखड़ों की ढाणी	4,500
14	परडोली छोटी से खाखोली	2,500
15	गोठडा भुखरान से आकवा	2,000

(श्री पेमाराम)

16	राजपुरा से जाचास	5,000
17	भैंरूपुरा जागीर से गुनाठू	3,000
18	गुनाठू से फतेहपुरा	4,000
19	खुर्दी से रेवासी	4,000
20	नागवा से मुण्डवाडा सड़क तक	4,000
21	लोसल छोटी से गुमानपुरा	2,000
22	राजपुरा से पेवा	4,000
23	बिडोली गोठडा सड़क से अजबपुरा	2,000
24	बानुडा से करीरों की ढाणी	4,000
25	लाडवा से बिंज्यासी	3,000
26	सांवलोदा पुरोहितान से बिठोठ (विधान सभा सीमा तक)	2,500
27	भीखणवासी से जाचास	1,500
28	लोसल से सरवडी	5,000
29	खूड से खींचड़ों की ढाणी	6,000
30	खूड से बानूडा वाया अहिरों का बास	5,000
31	परडोली छोटी से परडोली बड़ी	1,500
32	झीगर बड़ी से झीगर छोटी	3,000
33	भैरूंपुरा से झीगर छोटी	2,500
34	रसीदपुरा से आकवा	4,000
35	चौलासी से सिहोट छोटी	2,500
36	ढाणी फतेहसिंह से चंदेली का बास	1,500
37	नेतडवास से रूपपुरा	3,500

(समय : 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जाहिदा खान।

वृद्धावस्था पेंशन नियमों में संशोधन

श्रीमती जाहिदा (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन के समक्ष

(श्रीमती जाहिदा)

रखना चाहती हूं। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना जो वर्तमान में लागू है, उसमें हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की भांति संशोधन कराने हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य नियम के प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य में 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये (रुपये पांच सौ) प्रति माह दिये जाते हैं एवं जिन लोगों को पिछले 10 वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, उन्हें 10 वर्ष पश्चात् 700 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं। जबकि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु के साथ-साथ अन्य शर्तें भी लागू हैं। राजस्थान में पेंशन लाभार्थी जो 55 वर्ष से अधिक स्त्री एवं 58 वर्ष से अधिक पुरुष हैं, इस योजना के पात्र हैं किन्तु इनके पास प्रथमत: 3 बीघा से अधिक सिंचित कृषि भूमि नहीं हो, द्वितीय, 25 वर्ष से अधिक आयु का इनके कमाने वाला लड़का नहीं हो, तभी ये इस योजना के पात्र होंगे। बी.पी.एल. चयनित परिवारों को इन शर्तों से पृथक् रखा गया है। वर्तमान में राजस्थान में 75 वर्ष तक के आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 750 रुपये प्रति माह प्रदान किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप लिखा हुआ बोल रही हो या दूसरा है?

श्रीमती जाहिदा (कामां): लिखा हुआ ही बोल रही हूं।

मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उपरोक्त नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव रख रही हूं जिससे राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में पड़ोसी राज्य हरियाणा की भांति संशोधन हेतु विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

चन्दलाई फीडर रामपुरा बांध के निकट के काश्तकारों की सिंचाई विभाग द्वारा प्रताड़ना

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत श्री नाथूराम पुत्र श्री बरदा निवासी नाहरिया का बास की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम चंदलाई फीडर रामपुरा बांध के पास बहुत से काश्तकार निवास करते हैं जिनका आना-जाना परम्परागत रूप से इस फीडर

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

के माध्यम से होता है क्योंकि इस फीडर में केवल बरसात के दिनों में पानी रामपुरा बांध से चन्दलाई बांध तक आता है। इस कच्चे रास्ते से पानी के प्रवाह में कोई परेशानी या रुकावट पैदा नहीं होती है। कुछ समय पहले सिंचाई विभाग द्वारा अकारण ही सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने आन्दोलन भी किया और अधिकारियों को अवगत भी कराया कि पानी के बहाव और पुश्तैनी रास्ते पर ग्रामवासियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाये परन्तु अधिकारियों ने इसकी अनदेखी कर साजिश के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट शिवदासपुरा थाने में दर्ज करा दी। इस रिपोर्ट के पश्चात् ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए लोगों को यह कहकर गुमराह किया गया कि आप लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और यह कहकर उन्होंने समझौते के नाम पर श्री नाथूराम पुत्र श्री बरदा, श्री हनुमान हराणा पुत्र श्री ग्यारसी, श्री शंकर पुत्र श्री छाजूराम, नाहरिया का बास को बुलाया और न तो उनसे समझौता किया बल्कि उन्हें थाने में ही बिठाये रखा। इस बात से नाथूराम को गहरा सदमा लगा और इस सदमे से उनकी मृत्यु हो गई।

इस घटना से क्षेत्र के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और वे आंदोलन पर उतारू हैं। ग्रामवासियों की मांग है कि नाथूराम की मृत्यु की जांच कराई जाये; और उसके परिजनों को कम से कम पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये, सिंचाई विभाग के अधिकारी व अन्य अधिकारी जिनके कारण यह घटना घटित हुई, उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जाय अथवा वहां से तुरन्त हटाया जावे; और जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

अतः मैं इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं, कृपया अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री जयदीप डूडी। (अनुपस्थित)

कर्नल सोनाराम।

(समय : 13.06 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के रिक्त पद

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यह कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन के अभाव में गम्भीर स्थिति है।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने हेतु काफी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापकों को नियुक्त किया है एवं अनार्थिक विद्यालयों का एकीकरण भी उचित कदम है। इस हेतु मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्रीजी साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी तरफ, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि लगभग समस्त प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं जिनके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस स्तर की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को होनी चाहिए, वह प्रदेश के वर्तमान में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है जिसका मुख्य कारण विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे विषयाध्यापकों के रिक्त पद हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी की चिंता सता रही है।

जिले में आधे से ज्यादा व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान में 442 में से मात्र 177 पदों पर प्राध्यापक कार्यरत हैं और 265 पद रिक्त हैं। विगत 3 सालों में नव क्रमोन्नत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो प्रधानाध्यापक के अलावा विषयाध्यापक एवं अन्य कार्मिकों के पद ही स्वीकृत नहीं किये गये हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यालय तो मूल पद के कार्मिकों के भरोसे ही चल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के रा मा वि चिड़िया में 10 कक्षाएं एवं कार्यरत अध्यापक मात्र तीन हैं। ऐसी स्थिति कई विद्यालयों की है। शहरी क्षेत्र में तो शैक्षिक व्यवस्था भी सम्भव हो पाई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो शैक्षिक व्यवस्था भी राम भरोसे है। जब तक विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं होगी, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती करवाने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर रिक्त पदों के विरुद्ध योग्य आशार्थियों का चयन कर पदस्थापन किया जाना चाहिए।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

बायतू क्षेत्र के मात्र 8 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही 14 पद व्याख्याताओं के रिक्त चल रहे हैं। जिले के कई व्याख्याता तो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं एवं उनका मूल पद रिक्त चल रहा है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किये गये व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर मूल विभाग को सुपुर्द किया जाना चाहिए एवं भविष्य में प्राध्यापकों एवं शिक्षक वर्ग से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पाबन्दी लगानी चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए शिक्षक की नियुक्ति की गई है उसकी पूर्ति हो सके।

लगभग यही स्थिति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की है। बाड़मेर जिले में 284 पद उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्था प्रधानों के, 4,491 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के, 71 पद शारीरिक शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं और बायतू पंचायत समिति में क्रमश: 18, 627 एवं 19 पद रिक्त हैं। हाल ही एक आदेश जारी कर प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था करने के फरमान जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर सुधरने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय में रा बा उ मा वि में प्रधानाचार्य के पद सहित प्राध्यापकों के सभी पद रिक्त होने के स्कूल की पढ़ाई का तो भगवान ही मालिक है।

राज्य सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती निकाल कर पदस्थापन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

वरिष्ठ नागरिकों को बस यात्रा में देय सुविधाओं में वृद्धि

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से सीनियर सिटीजन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार हेतु सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सीनियर सिटीजनों के सम्मान एवं सहायता हेतु बस यात्रा करने पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे वास्तव में एक सराहनीय योगदान है। इस सराहनीय योगदान में अगर थोड़ा और संशोधन कर दिया जाये तो हमारे समाज में सीनियर सिटीजनों को सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है।

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) एक तरफ तो हम सीनियर सिटीजन को सम्मान देना चाहते हैं लेकिन टिकट बुकिंग विंडो पर नहीं देकर गाड़ी में दिये जाते हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को बैठने के लिए सीट नहीं मिलने से खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़ती है। अत: टिकट बुकिंग विंडो से दिया जाये ताकि यात्री को सीट मिल सके।

(2) महंगाई के इस दौर में 30 प्रतिशत रियायत की जगह 50 प्रतिशत की रियायत दी जाये।

(3) सीनियर सिटीजनों को केवल साधारण बसों में ही रियायत दी जाती है। उसकी जगह सभी अन्य बसों में भी सुविधा मुहैया कराई जाये ताकि हमारे बड़े-बुजुर्ग आराम से अपने गन्तव्य स्थान तक सुगमता से यात्रा कर सकें।

(4) आयु सीमा में भी संशोधन किया जाये तथा 65 वर्ष की जगह 60 वर्ष अगर किया जाये तो यह भी उनके लिए उचित रहेगा।

अत:, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त बिन्दुओं पर तत्काल संशोधन कर सीनियर सिटीजनों को राहत दिलाने का श्रम करायें जिससे राज्य के सभी सीनियर सिटीजन आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: निम्न पर्चियां प्राप्त हुई हैं। श्री रामहेत सिंहजी यादव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अलवर जिले में कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी है, अलवर जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार है, वह चरम सीमा पर है। आज कोई व्यक्ति अलवर जिले में रात्रि को आराम से सो नहीं सकता, विश्वास के साथ सो नहीं सकता कि सुबह उठेगा, उससे पहले वह जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा; उसके घर में जो सामान है, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा; उसके घर में वाहन है, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा; (व्यवधान) ऐसी हालत है। रात में गैराज में या घर में चैनल लगाकर मोटर-साइकिल, स्कूटर, कार-जीप या ट्रैक्टर खड़ा करके सोता है, सुबह उठता है तो पता चलता है कि पूरे मकान को लॉक लगाकर, रात को नकबजनी करके उनके सामान को ले जाते हैं। थाने

(श्री रामहेत सिंह)

में जाते हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। 10-10, 15-15 दिन तक पुलिस का सिपाही, हैड कांस्टेबल...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी को बुलाओ, गृह मंत्रीजी को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये, माननीय सदस्य। बिराजिये बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शून्यकाल में मंत्रीगण नहीं हैं। शून्यकाल में मंत्रीगण नहीं हैं। ट्रैजरी बेंचेज सारी खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये। आप, माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बिराजिये, हां।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): वाहन चोरों के साथ पुलिस मिली हुई है। जैसे ही जिसके वाहन मोटर-साइकिल, कार, ट्रैक्टर चोरी होते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जाते हैं, 20-25 मिनट के अन्दर जैसे ही दरख्वास्त लिखते हैं, थाने में एफ.आई.आर. दर्ज होने से पहले चोरों के पास यह खबर पहुंच जाती है, उसके दलाल आ जाते हैं कि थाने में कुछ नहीं मिलेगा, आप हमारे पास आ जाइये, इतने पैसे दे दिये जायेंगे, नहीं तो बिना एफ.आई.आर. के वापस आ जायेंगे। ऐसी हालत है। पूरे जिले के अन्दर सारा पुलिस प्रशासन खोखला हो गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

इसी तरह से चाहे नकली सोने की ईंट का मामला हो, चाहे अवैध खनन का हो, चाहे मक्खन का हो, चाहे दूध का हो। अवैध खनन के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। माननीय वन मंत्रीजी तो फोर्स लगाना नहीं चाहते, रेंजर को गाड़ी देना नहीं चाहते, कैटल गार्ड लगाना नहीं चाहते। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़ बास में एक रेंज आफिस है, उसमें एक मोटर-साइकिल और चार सुरक्षा गार्ड वन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। तिजारा क्षेत्र एक ऐसा अकेला क्षेत्र है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां पर रोजाना 3,500 ट्रक अवैध खनन करके ले जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं। पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है। वन विभाग, माइन्स विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही इसलिए नहीं करते हैं कि

(श्री रामहेत सिंह)

उनके पास साधन नहीं हैं। वे पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस वाले उनको बता देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है।

पिछले दिनों तिजारा के अन्दर नो-एंट्री जोन में सात बजे एक डम्पर घुसता है, उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यापारी शायद मर भी जाता है। जब डैड बॉडी को लेने गये तो पोस्टमार्टम हो रहा है, वह उठाने से मना किया कि प्रशासन तय करे, पुलिस तय करे कि नो-एंट्री जोन में ट्रक-डम्पर नहीं घुसेंगे या ये अवैध खनन वाले नहीं घुसेंगे। कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रक को जला दिया। जिसका व्यक्ति मरा, उसी के खिलाफ पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज कर ली, उनके परिवारजन को उठाकर जेल भेज दिया गया।

ऐसे ही हालात पिछले दिनों टपूकड़ा में हुए। एक नो-एंट्री जोन में शाम को छह बजे एक डम्पर घुस गया। उसने बिजली विभाग के सारे तारों को तोड़ दिया, लगभग 5.50 लाख रुपये का नुकसान बिजली विभाग का हुआ। ए.ईएन. एफ.आई.आर. दर्ज कराने गया टपूकड़ा में, उसकी एफ.आई.आर. नहीं ली गई; जिसकी रेलिंग टूटी, जिसका नुकसान हुआ, उसकी एफ.आई.आर. नहीं हुई। पूरा बाजार बंद हुआ। पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय अपराधियों को थाने में बुला लिया और वहां पर धरना दे रहे थे व्यापारी लोग, उन पर पथराव कराया। मैं जब वहां गया तो मुझ पर भी पुलिस थाने के गेट के सामने पथराव हुआ और मैं भी उसमें घायल हुआ। पूरा प्रशासन आया और आश्वासन दिया गया कि थाने को आज ही हटा दिया जायेगा, थानेदार को सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया जायेगा। आज तक थानेदार को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। ऐसी हालत है और इतना भ्रष्टाचार है क्योंकि जो सीमावर्ती थाने हैं, वहां पर पैसे देकर पोस्टिंग होती है। आज भी एक महीने चार दिन हो गये, उसमें थानेदार की पोस्टिंग नहीं हुई। ऐसी हालत है। सारे अपराधियों से वहां का एडिशनल एस.पी., वहां भिवाड़ी का डीवाई.एस.पी., खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है, उनको रात को ही धौंस दे दी जाती है, उनको अपहरण करने की धौंस दे दी जाती है। उनको जान से मारने की धौंस दे दी जाती है। यह हालत है।

किसान अपने खेत में सुरक्षित नहीं है। किसान के खेत में बड़ी मुश्किल से कनेक्शन होता है, ट्रांसफार्मर लगवाता है और मैं आपको दावे के

(श्री रामहेत सिंह)

साथ कहता हूं कि पिछले एक साल में अलवर जिले में लगभग 700 ट्रांसफार्मर चोरी होने की एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। लगभग 20 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। यह अलवर जिले की ऐसी नाकारा पुलिस है जिसने ट्रांसफार्मर 20 भी चोरी के बरामद नहीं किये। आप रिकार्ड में देख लें।

मैंने खुद मंत्रीजी को कहा था, पिछले बजट सत्र में भी मैंने कहा था कि पुलिस नाकारा है, पुलिस के लोग नाकारा हैं, वे अपराधियों से मिले हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा अलवर जिला सीमावर्ती है और वह हरियाणा से मिला हुआ है। वहां पर चाहे गोविंदगढ़ का थाना हो, चाहे रामगढ़ का थाना हो, चाहे तिजारा का थाना हो, चाहे टपूकड़ा का थाना हो, भिवाड़ी और शाहजहांपुर का थाना हो, चाहे महानंद का थाना हो, सारे जिले से हरियाणा की बोर्डर लगी हुई है। पुलिस के संरक्षण में शराब माफिया के लोग हरियाणा से शराब लाकर अलवर जिले में सप्लाई करते हैं। खुले रूप में मंथली बंधी हुई है और पुलिस कोई कार्यवाही उसमें नहीं करना चाहती।

मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों मालाखेड़ा थाने की घटना है, पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस किसी दलित हरिजन को पकड़कर लाई। उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। मरने के बाद लोग एस.पी. को मिले। कि उस थानेदार और सिपाहियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये। वहां उनका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में इस्तगासा किया। आज तक, थानेदार को वहां से लाइन हाजिर कर दिया लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया उस दलित हरिजन की हत्या करने के आरोप में। वे दर-दर घूम रहे हैं। ऐसे हालात हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरथल नगरपालिका क्षेत्र पड़ता है, सात दिन के अन्दर 27 मोटर-साइकिलें चोरी गईं। एफ.आई.आर. दर्ज कराने गये तो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई।...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार के खिलाफ बाहर धरना देने आये थे, विधान सभा पर धरना देने आये थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया।

श्री सभापति: बिराजिये बिराजिये। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: बिराजिये, आप बिराजिये। (व्यवधान) सचेतक महोदय। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): जो कल की घटना है, परसों एक घटना...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप बिराजिये, बिराजिये। अंकित नहीं होगा। बिराजिये, आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कल सदन में माननीय...

श्री सभापति: आप थोड़ा सम-अप करिये। माननीय सदस्य, सम-अप करिये। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कल सदन में गौ-संरक्षण की बात की गई। अलवर जिले के अन्दर जिस तरह से गौ-तस्करी बढ़ी है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप बिराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: बिराजिये। अंकित नहीं होगा। बिराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आप सम-अप करिये। बिराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) अब आप बिराजिये, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। सम-अप करिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): जहां तक गौ-निकासी का, गौ-तस्करी का मामला है, गौ-तस्करों के तो हौसले इसलिए बुलंद हैं कि पुलिस नाकारा है। कल खैरथल के पास गोलियां चलाकर पुलिस पर, पुलिस की गाड़ी को नुकसान करके चले गये। टपूकड़ा के अन्दर थाने के सामने अवैध खनन माफिया ने पुलिस को पीटा। पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ, तिजारा के अन्दर पुलिस पिटी। ऐसी कोई जगह नहीं है, हालात यह है कि पुलिस आये-दिन पिट जाती है, गौ-तस्कर भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वह जाति विशेष के लोग गौ-तस्करी करते हैं, जाति विशेष के लोग अवैध खनन का काम करते हैं, जाति विशेष के लोग मावा, नकली मावा बेचते हैं, जाति विशेष के लोग नकली, सिंथेटिक दूध बनाते हैं लेकिन वह पुलिस के संरक्षण में सब चलता है। पुलिस का राज नहीं है, वहां पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस के सारे थाने बिके हुए हैं, पुलिस के लोग अवैध धंधे में संलिप्त हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अलवर जिले में विशेष रूप से पुलिस प्रोटेक्शन, नई पुलिस व्यवस्था अपना कर वहां पर अपराध कम हों, गौ तस्करी बंद हो, अवैध शराब बंद हो, अवैध भू-माफिया पर लगाम लगे, अवैध खनन माफिया जो माननीय वन मंत्री के संरक्षण में चल रहा है, उन पर भी प्रतिबंध लगे, ऐसी सख्त कार्यवाही करें ताकि लोग अमन-चैन से रह सकें। यही कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह मामला बहुत गम्भीर है, माननीय सभापति महोदय।

सूचना

विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। आज राजस्थान के नौ हजार से ज्यादा जो सरपंच इस विधान सभा के सामने आये, उन पर भयंकर रूप से लाठी चार्ज किया गया। मैं समझता हूं, जन प्रतिनिधियों को अगर..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं भी मेवात से संबंध रखता हूं, पूरा मेव, पूरा मेवात...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर शांतिपूर्ण इस तरह से प्रदर्शन करने वालों को लाठियों से सबक सिखाया जायेगा, तो मैं समझता हूं... (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उनके सिर फोड़ दिये गये। इस तरह का व्यवहार सरपंचों के साथ किया गया है। यह बड़ा... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, पूरे मेवात में नकली हथियार, सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक मावा, सिंथेटिक पनीर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण करे और जिन लोगों ने, जिन पुलिस के अधिकारियों ने... (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आज विधान सभा में धरना देने आये हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सोने की ईंटे, नकली सोना बेचते हैं। (व्यवधान) पूरा मेवात डाकू और चोरों के गिरोह से घिरा है, ऐसे में कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार उनके प्रतिनिधि मण्डल से मिलने का काम करे। सरकार मिलने की बजाय उनकी जबान को लाठी से दबाना चाहती है। मैं समझता हूं, इस जनतंत्र में यह कभी भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। आज राजस्थान के तमाम सरपंच, सब राजनैतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर तमाम सरपंच चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, जिस तरह से उनके साथ जो विश्वासघात किया गया है, उसके खिलाफ पूरे राजस्थान के सरपंच इस विधान सभा के सामने प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। उन पर इस सरकार के इशारों पर जिस तरह से लाठीचार्ज करके उनकी मांग को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं, इससे घोर अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए सरकार तुरन्त उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे और उन सरपंचों के प्रतिनिधि मण्डल से मिल कर उनकी मांगों पर विचार करने का काम करे।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हम सभी विधायक इस बात से सहमत

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो, सरपंचों पर लाठी चार्ज की जांच हो और जांच होकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजो, बिराजो। सचेतक महोदय। सचेतक बोल रहे हैं, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह सरकार सरपंचों के मामले को गम्भीरता से ले, हम सब विधायक सरपंचों का समर्थन करते हैं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये। आहूजा साहब, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और आपको यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप यहां पर व्यवस्था दें, सरपंचों पर लाठी चार्ज के खिलाफ जांच बैठे और गृह मंत्री जवाब दें।

श्री सभापति: आपके दल के सचेतक महोदय बोल रहे हैं, बिराजिये। आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं सदन को...

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, दो मिनट का टाइम दिया जाय।

श्री सभापति: आप बिराजो। बिराजो, बिराजो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सरपंचों से क्या चाहती है?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजो।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

फसल बीमा राशि भुगतान में देरी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संवेदनहीन राज्य सरकार का ध्यान उस गम्भीर मसले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका सम्बन्ध राजस्थान के पाँच करोड़ किसानों से सीधा है। सभापति महोदय, यह सरकार कभी फसल बीमा के लिए गम्भीर नहीं रही। किसान का वोट लेना था, चुनाव घोषणा पत्र जो आज सरकारी दस्तावेज बन गया, उसके अन्दर सरकार ने कहा कि हम फसल बीमा हेतु ग्राम पंचायत को इकाई बनायेंगे; इन्हीं कृषि मंत्रीजी ने यह कहा कि हम आपदा से जूझ रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसानों के लिए उचित मुआवजा नीति बनायेंगे। कृषि मंत्रीजी, इस सरकार की उम्र साठ महीने है, बीस महीने निकल गये। इस बीस महीने में एक बार भी उस किसान के साथ किया हुआ वादा अगर सरकार याद करती तो शायद किसान सोचता कि आप किसान के हितैषी हैं। फसल बीमा के लिए इन्होंने किस कदर किसान को गुमराह किया, वर्ष 2003-04 में राजस्थान में सात जिलों में मौसमी फसल बीमा योजना लागू की और बिना जानकारी के इसी सरकार ने अपने बजट भाषण 2009-10 में पैरा 124 में फिर कह दिया कि हम मौसमी फसल बीमा यहां लागू कर रहे हैं।

सभापति महोदय, खरीफ 2009 एक बरबादी का मंजर लेकर आई थी और पूरे राज्य के अन्दर किसान तबाह हो गया, फसल तबाह हो गई। राज्य सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिये, अगस्त के तीसरे सप्ताह में गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार के सम्मुख आई। 26 जिलों के अन्दर, कृषि मंत्रीजी, 32,833 गांवों में पचास से सौ फीसदी खराबा हुआ। राज्य सरकार ने इस खराबे के आधार पर केन्द्र सरकार को 12,691 करोड़ की सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया।

इस तबाही में, सभापति महोदय, 25 लाख 92 हजार वे किसान थे, ऋणी और अऋणी किसान जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपये प्रीमियम के फसल बीमा के लिए जमा करवाये। राष्ट्रीय बीमा योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार फसल बीमा का क्लेम तीन महीने के अन्दर-अन्दर इनको मिल जाना चाहिए था। नौ महीने बाद, नौ महीने के अंतराल के बाद इस निरंकुश सरकार और बेपरवाह कृषि मंत्रीजी के कारण 25 लाख 92 हजार बीमित किसानों में से 21 लाख किसानों का 1,439 करोड़ रुपये का क्लेम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ने स्वीकार किया। इसमें से 660 करोड़ की राशि, माननीय सदस्य, केन्द्र सरकार को देनी थी, 660 करोड़ की राशि राज्य सरकार को देनी थी और 79.97 करोड़ रुपये किसानों ने प्रीमियम उस इंश्योरेंस कम्पनी के पास जो जमा कराया, उसको लौटाना था। नौ महीने गुजर गये, अब केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया।

आज जब दिल्ली के अन्दर मनमोहन सिंहजी की सरकार, दिल्ली में सी.पी. जोशी की सरकार, दिल्ली में राहुल बाबा की सरकार और यहां राजस्थान में मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत की सरकार और किसान को उसका क्लेम नहीं मिले। 28 जून, 2010 को देश के वित्त मंत्रीजी से मिलने के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी बम्बई का रास्ता पकड़ते हैं, आजकल कुछ ज्यादा जाते हैं, शरद पवार को पत्र लिखते हैं और पत्र में यह कहते हैं 600 करोड़ के लिए, जो राज्य का हिस्सा है, फसल बीमा का प्रावधान हमने अपने बजट में किया है, उनसे मांग करते हैं, केन्द्र सरकार अपनी हिस्सा राशि दे। आज, कृषि मंत्रीजी, जो सी आर एफ की अनस्पेंट मनी आपके पास पड़ी है, 660 करोड़ रुपये की पिछली किश्त आपके पास पड़ी है और 660 करोड़ की अब इनके पास स्वीकृति आ गई है, यानी 1,320 करोड़ रुपये कैलेमिटी रिलीफ फंड में सरकार के पास पड़ा है और सरकार कहे कि केन्द्र सरकार से सहायता नहीं मिली।

सभापति महोदय, जब किसान आंदोलन करने लगे तब इन्होंने थोड़ा-थोड़ा किसान को जिस तरह खैरात बांट रहे हैं, उस तरह पैसा देना प्रारम्भ किया। सिर्फ 3 लाख 67 हजार किसानों को साठ प्रतिशत फसल बीमा का मुआवजा मिला; 17 लाख किसानों को तीस प्रतिशत से कम मुआवजा मिला, जो उनका अधिकार था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कृषि मंत्रीजी, अगर आंकड़ा गलत हो, आप वास्तव में वेशभूषा से किसान लगते हो, अगर मन और आत्मा से किसान हो तो खड़े होकर बतायें कि अब तक आपने कितना पैसा बांट दिया? मेरी जो जानकारी है, 1,439 करोड़ की जगह आपने 663 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। आज इसका परिणाम क्या निकला? सभापति महोदय, अभी मौसम आधारित फसल बीमा योजना पूरे राज्य में लागू करने की बात सरकार कर रही है, और उस मौसम आधारित फसल बीमा के अन्दर 15 अगस्त प्रीमियम जमा कराने की आखिरी तारीख है लेकिन, किसान उससे जुड़ नहीं रहा है। ऋणी किसान के लिए तो मजबूरी है, अऋणी किसान कितना जुड़ा? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, हमारी सरकार की साख, सरकार के मुखिया की साख कांग्रेस की गुटबंदी के कारण दिल्ली के दरबार में कम हो जाए और उसका खामियाजा राजस्थान का किसान भुगते, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जब से मुख्य मंत्री अशोक गहलोत बने हैं, इन्होंने जो-जो मांग दिल्ली दरबार के सामने रखी, इन्होंने कहा, राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए, मिल गया आपको दर्जा? आपने मांग रखी, राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या के कारण चार हजार करोड़ रुपया प्रति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्ष दिया जाए, मिल गया आपको? आपने रिफाइनरी लगाने की बात कही। एक बात बता दें जो आप आज तक दिल्ली सरकार से मना पाये। आपकी गुटबंदी के कारण, और दिल्ली सरकार की हमारे मुख्य मंत्रीजी के ऊपर जब से टेढ़ी आंख हुई है, उसके कारण से आज किसान भुगत रहा है।

यह सवाल राजस्थान का किसान, कृषि मंत्रीजी, आपसे पूछेगा। यह सवाल मेरा नहीं, यह सवाल डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां सदन में रखा है अभी, यह बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, यह उन सभी माननीय सदस्यों का सवाल है जो किसान का वोट लेकर यहां आते हैं। इसलिए यह मेरी मांग है, यह विषय गम्भीर विषय है, यह विषय कोई चलित का विषय नहीं है, मैंने कोई सरकार पर स्कोर करने के लिए पर्ची के माध्यम से यह विषय नहीं उठाया है। सरकार का उत्तर आना चाहिए। कब पैसा बंटना चाहिए था? पैसा बांटने में विलम्ब क्यों हुआ? शत-प्रतिशत पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? आज उस पैसे के कारण किसान नया ऋण नहीं ले सका। किसान की साख सीमा समाप्त हो गई उसके को-आपरेटिव बैंकों में। किसान बर्बाद हो रहा है।

इसलिए इस सारी बरबादी के लिए अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वह हमारे कृषि मंत्रीजी हैं। कृषि मंत्रीजी निर्दलीय जीत कर आये थे, किसान के नाम पर जीत कर आये थे, किसान की वेशभूषा पहन कर जीत कर आये थे और आज आपको राजस्थान का किसान कोस रहा है। कृषि मंत्रीजी, वह आपको माफ नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि मेरी बात का आप उत्तर दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मैंने पहले भी सदन में, मंत्री महोदय, साथ में यह भी बात आ जाएगी...

श्री सभापति: बिराजो आप। बिराजो आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, एक मिनट। इन्होंने पहले भी सदन में रखी थी...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद में कोई पूछना। एक मिनट आप पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद में पूछना है, पूछ लेना।

श्री सभापति: बिराजो आप, कृषि मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लें।

(डा. दिगम्बर सिंह)

यह फसल बीमा योजना है या मौसम बीमा का कर रहे हैं? इसमें यह जो पिछले ज़िलों के जो पैरामीटर्स लिये हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जिनके किसानों से केवल प्रीमियम वसूल किया जाएगा जिंदगी भर, उनको नया पैसा खामियाजा का मिलने वाला नहीं है। तो पहले भी मेरा आपसे निवेदन था, आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार फिर से इस पर गहन अध्ययन किया जाये...

श्री सभापति: आप बिराजिए, माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): और आप मौसम का बीमा नहीं करें, फसल का बीमा करें। यह योजना आप लागू करें।

श्री सभापति: आप बिराजिए। मंत्रीजी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) हमारे जिले को तो कभी लाभ मिलेगा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) आप बिराजिए। अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए। आप बिराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: आपके दल के मुख्य सचेतक बोले हैं, उसके ऊपर मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं। आप बिराजिए। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं आपको, आप बिराजिए। अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। आप बिराज जाएं, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ना, आप विराजो तो सही, सुनो तो सही उन्हें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: अंकित कुछ नहीं हो रहा है। आप विराजें। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, विराजो। आपके सचेतक बोले हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। मुख्य सचेतक बोले, उसी पर वे बोल रहे हैं। आपके दल के सचेतक बोल गये हैं न इस चीज के ऊपर विस्तृत।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री सभापति: डाक्टर साहब, विराजो। आपको मैंने निवेदन किया, अंकित कुछ नहीं हो रहा है, आप विराज जाएं। मंत्रीजी, आप बोलना चाहेंगे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: मैं नहीं घोंट रहा हूं गला। (व्यवधान) जो आप सुनना चाह रहे हैं, वही वे बोल रहे हैं। आप विराजिए। आप सुनो तो सही पहले।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक फसल बीमा का सवाल है, इसका जो प्रोसीजर है और जो खराबा आंकने का जो प्रोसीजर है वह हमेशा टिपिकल रहा है और इसी के कारण इसमें ज्यादा देरी हो रही है। यह जब से फसल बीमा शुरू हुई है तब से है और इस बारे में अभी तक इस सरकार के अलावा, पहले की सरकारों ने भी कोई विचार नहीं किया। (व्यवधान) सुनो पहले आप। वे सरकारें आपकी भी थीं और हमारी भी थीं। नहीं, सुनो तो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) जितना क्लेम पास हुआ है, सभापति महोदय, मेरा पाइंटेड सवाल है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम पास कर दिया 1,439 करोड़ का, उसमें कितना पैसा दे दिया? और उसमें लेट क्यों हुआ? दो बात पूछना चाहते हैं हम तो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनने की क्षमता रखो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्या? आप कहें तो आप सुनो भी।

इसमें अभी तो कोई गहराई से विचार हुआ नहीं है और हमेशा ही इसमें देरी होती आई है। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने अब यह फैसला किया है कि इस साल में मौसम आधारित बीमा लागू की गई और इस मौसम आधारित बीमा में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी और इसमें किसी को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। न तो इसमें पटवारी की गिरदावरी की रिपोर्ट की आवश्यकता है और न ही कोई कटिंग की आवश्यकता है। आटोमेटिक ही यंत्रों से जिसको जो मिलने वाला है, वह अपने आप ही फैसला हो जाएगा और वह तुरन्त मिल जाएगा। जहां तक ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: आप सुनो तो सही, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पहले सुनो तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पहले सुनो, बाद में कोई पूछना है, पूछ लेना, मैं बता दूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): इस साल का जो बीमा राशि का भुगतान था पिछली फसल का, वह करीब 1,400 करोड़ का था और उस 1,400 करोड़ में बीमा कम्पनी का केवल 79 करोड़ था; बाकी जो क्लेम था, वह राज्य सरकार और भारत सरकार को 50:50 प्रतिशत देना था। फर्स्ट किश्त के रूप में बीमा कंपनी, राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के 638 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और वह पीछे रकम आने का इंतजार किए बिना तत्काल उसका वितरण शुरू कर दिया और वह करीब-करीब 40 प्रतिशत के आसपास किसानों को भुगतान हुआ है। अब शेष राशि जो थी, वह भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही । पहले होता था क्या? पहले के आंकड़े बताओ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो आप पहले। आपने कुछ किया नहीं और हमने कुछ किया, उसका विरोध। अब बाकी जितनी भी राशि है वह सात दिनों के अन्दर-अन्दर काश्तकारों को मिल जाएगी। इसके अलावा, आप काश्तकारों के इतने हितैषी बन रहे हो, इस साल इस सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्र के काश्तकारों को आठ सौ करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। आज तक आपने सोचा क्या कभी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आप सुनते तो हो नहीं। आप भी ले आते। आपकी सरकार थी, आपकी यहां भी सरकार थी। क्यों नहीं लाये? आपने कभी सोचा नहीं और अब किसानों के हितैषी बन रहे हो। आपको यह तो कहना चाहिए था कि इस सरकार ने यह पहल की है। राजस्थान में आज तक नहीं हुआ। आठ सौ करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों के खातों में मुआवजे के रूप में हुआ है। आज तक नहीं हुआ।

इसलिए हालांकि इसका उत्तर देना जरूरी नहीं था, फिर भी इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने यह उत्तर दिया है और सारी बीमा राशि सात दिन के अन्दर-अन्दर किसानों को मिल जाएगी और आगे मौसम आधारित बीमा के हिसाब से उसमें कोई ज्यादा देरी नहीं होगी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

मांग

विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। जो राजस्थान भर से सरपंच आये थे, उनके ऊपर बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ है। कई लोग घायल हो गये हैं और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार वक्तव्य दे।

श्री सभापति: आप बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरपंचों को पीटा गया है, लाठी चार्ज हुआ है, इसके बारे में सरकार जवाब दे, वक्तव्य दे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप समय देख रहे हैं।

श्री सभापति: बिराज जाएं। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। सरकार यह कहे कि वक्तव्य कब देगी इस पर।

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

सरकार वक्तव्य दे। (व्यवधान) वक्तव्य दिलवायें आप।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, लाठी चार्ज ही नहीं चल रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और हवाई फायरिंग हो रही है। जन-प्रतिनिधियों के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय हो नहीं सकता।

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, इनका सदन में कोई नेता ही नहीं है। (व्यवधान) आपका नेता तो बताओ, नेता कौन है सदन के अन्दर? हर कोई सदस्य आता है और व्यवधान पैदा करता है। आपका नेता तो बताओ, सदन में कौन है नेता? कोई धणीधोरी ही नहीं है आप लोगों का। आपका धणीधोरी कौन है?

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: आप पधारो तो सही। आप पधारो। हां, करवा दूंगा। आप अपने-अपने आसन पर पधारें। हां हैं, आ गये, मिल गये। मैंने बता दिया उनको। सरकार कर रही है समस्या का समाधान। मैंने बता दिया है। आप विराजें तो सही, मैं दे दूंगा। आपने कहा है, मैंने आपकी सुन ली, मैं व्यवस्था दे दूंगा। आप विराजें तो सही। सदन की जो कार्यवाही है, उसको तो चलने दें आप। मैं करा दूंगा व्यवस्था, आप विराजें तो सही। मैं कह रहा हूं; आपको, करवा दूंगा, आप विराजें तो सही। सचेतक महोदय। मालूम है। कर दूंगा व्यवस्था, पूरा इलाज हो जाएगा उनका। बिलकुल हैं। कुर्सी पर पधारो आप। आप पधारो तो सही। इलाज हो जाएगा, करेंगे उनका इलाज। बिलकुल।

व्यवस्था का प्रश्न

परम्परानुसार कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर संशोधन नहीं दिया जाना चाहिए

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सदन का समय बहुमूल्य है। यहां एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। (व्यवधान) ''सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो यहां पर स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि यहां न बोलने या गलत बोलने, दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी होता है।''

मेरी जानकारी में गलत विषय आया। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो नियमों का हवाला देते हुए, नियम 215 का हवाला देते हुए विषय उठाया था, गोपनीयता भंग होने का, जिस पर आपने व्यवस्था भी फरमाई थी और उसमें मेरी ओर से जो एक पुराना वाकया था, जिसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने उस वक्त इस बात को रखा कि जो आखिरी नजीर प्रस्तुत की जाती है, वही आने वाले समय के लिये एक उदाहरण बन जाता है। उन्होंने इस बात को रखा कि तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री पूनमचन्दजी विश्नोई के कार्यकाल में इसी प्रश्न पर दिनांक 7 मार्च, 1985 को श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर पूर्व में वर्ष 1968 में दी गयी व्यवस्था को ही माना गया। (व्यवधान)

इसी प्रकार मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, मुझे सुन लीजिये, माननीय सदस्य, कार्य सलाहकार समिति का जो भी निर्णय हो, उस पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जाता है। यह परम्परा रही है। एक बार दामोदर लालजी व्यास ने जब कार्य सलाहकार समिति का निर्णय प्रस्तुत किया तो उस समय सतीशजी अमेंडमेंट लाए थे। (व्यवधान) तब स्पीकर ने आग्रह किया कि यह परम्परा तोड़ना होगा, उन्होंने वह वापस ले लिया।

इसलिये आज हमारी जो भी परम्परा बनी हुई है, हमारे माननीय सदस्यों ने बनाई है, उस परम्परा को नहीं तोड़ना चाहिए और जो भी कार्य सलाहकार समिति का निर्णय है, उसके लिये कोई भी अमेंडमेंट नहीं आना चाहिये। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने गलत

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उल्लेख कर सदन को गुमराह किया है और रिकार्ड में गलत तथ्य आये हैं, जो उचित नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस रिकार्ड को दुरुस्त फरमाया जाए।

उसी के साथ-साथ आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, प्रक्रिया के नियम 273 के अन्तर्गत, वह व्यवस्था भी आपको फरमानी है। यह भी मैं याद कराना चाहूंगा।

आशा करता हूं, आप रिकार्ड को दुरुस्त कराएंगे जो कि आने वाले कल में यह नजीर के रूप में प्रस्तुत होगा। सदन के वरिष्ठ सदस्य सदन को गुमराह करने के लिये यहां पर रिकार्ड में गलत तथ्यों को लेकर के आ रहे हैं, इसके लिये भी उनको, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रताड़ित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वक्तव्य दिला दें, साहब। वक्तव्य दिला दें।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आप सभी माननीय सदस्यों को कहें कि पूरे दिन की कार्यवाही आप चलने दें। (व्यवधान) कल भी करीब चार घण्टे खराब...। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बार सब अपनी जगह पर आ जाएं। एक बार सब जगह पर आ जाएं।

श्री सभापति: सदन चलाने में, जब तक आप सभी का सहयोग नहीं हो, सदन चलेगा कैसे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री सभापति: अभी काफी सारे संशोधन भी आने वाले हैं।

मांग

विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, अभी सब माननीय सदस्य आक्रोशित होकर सदन के वेल में इसलिये आये कि राजस्थान भर के आये हुए सरपंचों ने बाहर प्रदर्शन किया और इस प्रकार की सूचना आई कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, कई लोगों को लाठी लगी है, अश्रु गैस छोड़ी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गई है और वहां पर स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। इसलिये यथार्थ स्थिति वहां पर क्या है, कितने लोगों को लगी, कैसे लाठी चार्ज हुआ, क्या सारी स्थिति है, इस स्थिति पर हम, जबकि राजस्थान के सारे सरपंच वहां पर आये हुए हैं, जन-प्रतिनिधि हैं, वे किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वे सभी पार्टियों के जन-प्रतिनिधि हैं, तो वहां की स्थिति से यहां सब लोग आक्रोशित हैं।

मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि सदन में परम्पराएं रही हैं कि इस प्रकार का जब कोई एजिटेशन होता है और उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग या कुछ कार्यवाही होती है तो माननीय मंत्री महोदय आकर सदन को उस बात से अवगत कराते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप गृह मंत्रीजी को निर्देशित करें कि वे सदन में आयें और वहां की स्थिति के बारे में, हम यह पंचायत राज मंत्रीजी से इन मांगों के बारे में, उन बातों पर बात नहीं करना चाहते हैं, केवल एक छोटा-सा मामला है कि वर्तमान में जिस प्रकार से वहां पर, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, जिस प्रकार से वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, जिस प्रकार से महिलाओं को चोट लगी है, क्या स्थिति है, किस प्रकार की है, वह सदन जानना चाहेगा। इसलिये गृह मंत्रीजी को बुलाकर आप माननीय गृह मंत्रीजी का उस पर वक्तव्य दिलवायें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आपने जो सरपंचों के बारे में, जो आज विधान सभा के सामने इकट्ठे हुए हैं, उनकी जो समस्या है, उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं सरकार का, और जो बाहर हुआ, उसके बारे में गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के लिये आप फरमा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार भी इन चीजों से चिंतित है। पंचायती राज के सरपंचों के बारे में जो आन्दोलन चल रहा है, उस आन्दोलन को, कैसे उनकी वाजिब मांगों को माना जाए, यह सरकार के ध्यान में है, मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में है, पंचायती राज मंत्रीजी के ध्यान में है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी परिस्थिति है, जब भी अपने समय पर इसके बारे में, गृह मंत्रीजी स्वयं सदन में उपस्थित हैं, वे वक्तव्य सही समय पर आपको दे देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कब दे देंगे?

श्री सभापति: मैंने आपको कहा ना। यह तो आपसे ...(व्यवधान) आप विराजें, प्लीज। आप बिराजें। आप विराजें।

(श्री सभापति)

मेरा निवेदन आपसे है कि कल भी अचानक सदन के अन्दर काफी कुछ अपना समय चला गया। मेरा निवेदन है कि आज भी काफी सारे महत्वपूर्ण बिल, अब संशोधन आयेंगे, विधेयक हैं, उन सब पर सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने हैं यहां पर और उसके बाद में वे विधेयक पारित होने हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो अभी चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा को जारी रखें और गृह मंत्रीजी सदन में हैं, आपकी बात उन्होंने अच्छी तरह से सुन ली है, सभी माननीय सदस्यों ने सुन ली है, सरकार भी चिंतित है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपकी बात स्वीकार कर ली। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम पंचायत की मांग के बारे में कोई वक्तव्य नहीं चाहते हैं। सरपंचों की जो मांगें हैं, उनके बारे में तो जब अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गई है, 3 तारीख को उनका वक्तव्य आयेगा, तब कर लेंगे। हम तो केवल माननीय गृह मंत्रीजी से यह चाहते हैं कि ऐसी सूचना आयी है कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ है सरपंचों पर, चोटें लगी हैं काफी लोगों को, अश्रु गैस छोड़ी गई है। मेरी जानकारी नहीं है, जो सूचना आई, वह बता रहा हूं। तो सदन को आप परिस्थितियों से अवगत करा देंगे तो सदन का वातावरण ठीक रहेगा और सबको जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ। इतना सा मेरा आग्रह है, केवल इतना सा, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: मैंने आपको कहा कि दिलवा देंगे। फिर आप यह कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे और समय गृह मंत्रीजी स्वयं तय करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आज के आज होना-जाना चाहिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको जानकारी नहीं है ना। आप भी जानकारी और प्राप्त कर लें, मैं भी मेरी जानकारी प्राप्त कर लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी जानकारी भी ठीक होगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आपने सुनी है बात। ज्यादा विस्तृत जानकारी, आपको भी वक्त रहेगा तो मिल जाएगी, मुझे भी वक्त रहेगा तो सारी जानकारी मिल जाएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, हमारे यहां तो यह कहना है, हमारे यहां कहावत है कि 'थारी आंख्यां चांदणो, म्हांकी आंख्यां अंधेरो'। तो, महाराज, आप जो कह देंगे, वह बात ठीक है। इसलिये आप खड़े होकर फरमा दो कि वहां पर क्या स्थिति है। बिना मतलब आक्रोश पैदा हो, आप जानकारी प्राप्त कर लें। मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर में जब भी आप जानकारी प्राप्त कर लें, इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें। यही मेरा आपसे आग्रह है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के खनन श्रमिकों की समस्याएं

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र सूरसागर विधान सभा क्षेत्र है। जोधपुर के अन्य क्षेत्रों से निकलने वाला जोधपुर का पत्थर अपने आप में छितरका पत्थर के नाम से पहचाना जाता है और जोधपुर की एक ऐसी परम्परा है, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं जोधपुर के पत्थर से मेरा मकान बनाऊं, जोधपुर का पत्थर लगाऊं, यह वह जोधपुर का पत्थर है। इस पत्थर को खोदकर खान से निकालने वाले और इसकी घिसाई कर इसे आकार देने वाले खनन श्रमिकों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

(समय 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, खान मंत्रीजी सामने ही मेरे विराजमान हैं, मैं ज्यादा ऊंची आवाज में तो नहीं बोल सकूंगी मगर मेरी जो बात है, वह मैं इनको कहना चाहूंगी। मैं खुद स्वयं देखकर आई हूं, यद्यपि मेरा यह क्षेत्र नहीं था, मैं तो आज तक शहरी क्षेत्र से लड़ी हूं चार दफा, मगर इस बार मैं सूरसागर से गयी तो मैंने इन खानों को देखा और यहां पर जो श्रमिक काम करते हैं, और जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको देखकर, मैं आपको यह कहूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं और उनकी क्या दुर्दशा है। वे जो घिसाई करते हैं, उसकी जो कंख, धूल उड़ती है, वह उनके फेफड़ों के अन्दर जमा हो जाती है और सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है, उनको ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे शरीर की आक्सीकरण प्रक्रिया प्रभावित होने से ये लोग कमजोर हो जाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और इस कारण, यह टी.बी. की बीमारी जिसको कहते हैं कि फलां

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आदमी को टी.बी. हो गयी, तो सबसे ज्यादा टी.बी. इन खान श्रमिकों को होती है, उनसे ज्यादा किसी को भी नहीं होती है। इससे आक्सीकरण की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावित हो जाती है और वह टी.बी. का मरीज बन जाता है। इससे इनका परिवार रोटी के लिए तरसता है। टी.बी. होती है, इलाज करा नहीं सकते, फिर ये 40-45-50 साल के होते-होते ही यह खतम हो जाते हैं और इनकी कोई सार-सम्भाल करने वाला नहीं होता है।

इनके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि सरकारी स्तर से वहां मास्क मुंह के ऊपर लगाने के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाएं क्योंकि यदि उनके मुंह के ऊपर वह बांध दिया जाएगा तो कम से कम इनके शरीर के अन्दर तो वह नहीं जाएगा और खनन कार्य के समय श्रमिकों को इसे पहनने की अनिवार्यता करें, यह पाबंद कर दें कि यह मुंह पर लगाये बिना कोई भी काम नहीं करेगा। यह उसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाय जैसे सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए हेलमेट की और सीट बेल्ट की अनिवार्यता लागू है, उसी तरह इनको भी करें।

खनन श्रमिकों की बस्ती में वर्ष में पल्स पोलियो, एक मैं यह चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, जैसे यह पल्स पोलियो चलाया जाता है सरकार की तरफ से, तो मैं यह चाहती हूं कि इन श्रमिकों के लिए भी एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे इनकी शरीर की जानकारी हो सके और इनके बच्चों के लिए रोग सहित सभी प्रकार के टीकों का नि:शुल्क प्रबंध होना चाहिए क्योंकि वे टीके लगाने जाते हैं तो भी इनको कुछ राशि देनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूं कि इनके टीके लगाने का भी प्रबंध हो और वह भी नि:शुल्क हो।

माननीय सभापति महोदय, सूरसागर चौपड़ क्षेत्र है, उसके अन्दर एक औषधालय बना हुआ है। यह बात सही है, औषधालय तो है मगर मैं इसके सिलसिले में यह कहना चाहूंगी कि वहां पर एक 'दम', जो कि अस्थमा कहो या 'दम' कहो, एक ही बात है, इसका एक स्पेशलिस्ट वहां हो एवं टी.बी. का एक डाक्टर अनिवार्य हो। यहां माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हैं नहीं, नहीं तो मैं कहती, मगर दूसरे मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जिस औषधालय के अन्दर इन डाक्टर्स की अति आवश्यकता है, वहां ये डाक्टर जरूर लगने चाहिए।

यह समस्या उन हजारों मजदूरों की है जो कि प्रति वर्ष सरकार को करोड़ों का राजस्व देते हैं। आज उनके लिए कुछ भी अपन नहीं कर सकते हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाते हैं, इसके बदले में वे केवल रोग से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने पीछे परिवार की असुरक्षा हो जाती है। उनके परिवार की पीछे कोई भी सार-सम्भाल करने वाला नहीं होता है। अत: मेरा अनुरोध है कि इन खान श्रमिकों के लिए सरकारी बीमा की भी योजना होनी चाहिए ताकि इनकी सार-सम्भाल हो सके। उनके लिए बीमा योजना आरम्भ की जाय।

मेरा यह भी कहना है कि जोधपुर खनन श्रमिकों के लिए 'माइनिंग लेबर आवासीय योजना' बनाकर इनको सस्ते आवास अथवा भूखण्ड उपलब्ध कराने चाहिए। जो खुद मकान बनाने वाले हैं, गढ़ाई करने वाले हैं, वे तो ऐसे ही बैठे हैं झोंपड़ियों के अन्दर और जब मर्जी आये तब ही यह नगर निगम चला जायेगा, कभी जे.डी.ए. चला जायेगा और जाकर उनके मकान तोड़ देंगे और ये तो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं झोंपड़ियों के अन्दर। तो मैं चाहती हूं कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए, जैसे ये श्रमिक हैं तो इनको कैसे मकान उपलब्ध हो सकें, आप कोई भी नोमिनल चार्ज तय करें या क्या आपकी योजना करें, वह करें।

खान श्रमिकों के लिए मेरा एक और निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, खान श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था के विशेष प्रयास करें। इन योजनाओं में उन्हें सम्मिलित कर सूरसागर क्षेत्र में ई.एस.आई. औषधालय भी खोला जाए।

मैंने यह तो खान के बारे में कहा है, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अभी खान विभाग के अन्दर तो, मैं यह कह रही हूं कि भ्रष्टाचार का एक अड्डा खुला हुआ है। अभी-अभी, कुछ ही अर्से पहले आपने खुद ने देखा कि पीछे से वे निकल रहे हैं और वह नोटों के, कहीं बाहर फेंक दिये, कार से चलते हुए, ऐसा मैंने अख़बार में पढ़ा। मैं बीमार थी उस समय, फिर भी मैंने पढ़ा था। तो मैं कह रही हूं कि अभी तो वहां बरसात हुई-हुई है। ऐसे-ऐसे एम.ई., एस.एम.ई., कौन जो आपके अफसर होते हैं, ऐसे लगे हुए हैं कि पैसे के बगैर वे बात ही नहीं करते हैं। अब एक तरफ तो आप कहते हो, संवेदनशील सरकार है, जवाबदेह सरकार है, कैसी तो जवाबदेह सरकार है! और क्या है?

माइनिंग के अन्दर इतना तो अवैध खनन हो रहा है, मैंने कई पचासों पत्र लिखे हैं, मगर आपके किसी भी पत्र का जवाब नहीं आता है। एक बात

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे सामने विराजमान हैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी, इनके पास कई विभाग हैं, इनके पास कोई पांच-दस विभाग होंगे मेरे ख्याल से, जे.डी.ए. भी है, नगर-निगम भी है, होम भी है, सारे हैं इनके पास, मगर, माननीय सभापति महोदय, आपका पत्र मेरे को जब मिलता है और मैं उस पत्र को पढ़ती हूं तो मेरे को अभी आंखों में आंसू आते हैं, यह मेरे को क्या लिखते हैं, इनके और हमारे कितने सम्बन्ध हैं, हम साथ एम.एल.ए. रहे हैं, ये पत्र मेरे को क्या लिखते हैं, पत्र के अन्दर कि आपका पत्र मिला, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने आपका धन्यवाद पढ़ने के लिए पत्र नहीं दिया है, मैंने पत्र दिया है मेरे क्षेत्र के अन्दर काम कराने के लिए, मैं काम कराना चाहती हूं। जिस क्षेत्र से मैं गयी हूं उस क्षेत्र की स्थिति को देखो। मैं पत्र आपके टेबल पर रख दूंगी, आपके साइन हैं, मेरे तो साइन नहीं हैं, आपका लिखा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, माननीय सदस्या, आपके तो मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं न, आपके जोधपुर के ही, तो आपको सीधा वहीं अपने... (व्यवधान) आपकी मुख्य मंत्रीजी तो बहुत इज्जत करते हैं, आप सीधा वहीं बोल दिया करो। सारे डिपार्टमेंट उनके अधीन हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, मेरे को जब ही तो तकलीफ ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरे को यही तो तकलीफ हो रही है कि मेरे गृह जिले के मुख्य मंत्री, गृह जिला उनका और वहां पर भी इस तरह से भ्रष्टाचार। कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं, सड़कें टूटी हुई और गंदगी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं इनके मंत्रीजी के सामने कह रही हूं, आपका खुद का पत्र मैं आपको खुद को दे दूंगी, अभी मेरे ख्याल से मेरा बार-बार इधर-उधर जाना-आना होता नहीं है, पड़ा होगा मेरे बैग में, आपने लिखा, मैं जो पत्र लिखती हूं। आप लिखते हैं- 'धन्यवाद।' मैं आपको धन्यवाद के लिए पत्र नहीं लिखती हूं, धन्यवाद तो मैं दूंगी आपको अगर मेरे क्षेत्र का आप काम करवाएंगे तो। मेरे क्षेत्र का काम नहीं कर रहे हो आप, जोधपुर की जनता का काम नहीं करवा रहे हो। आप राजस्थान के मिनिस्टर हो, आप खाली कोटा के मंत्री नहीं हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अबके मैं आपको लम्बा पत्र लिखूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को पत्र भी मत लिखो आप, मेरे को काम की बात करो। मेरे को पत्र की जरूरत नहीं है, मैं आपके पत्र से भी राज़ी नहीं हूं, मैं आपके काम करने की प्रशंसा करना चाहती हूं, काम करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं। आपने पिछली विधान सभा में मेरे को क्या कहा था, कि मेरे सारे अधिकारी आएंगे और आपके साथ राउंड करेंगे। आज की तारीख तक एक भी अधिकारी नहीं आया। मैं खुद स्वयं उनको बुला-बुलाकर, हाथा-जोड़ी करके बुलाती हूं और कहती हूं कि यहां सफाई करवाओ, यहां करवाओ क्योंकि यह सूरसागर क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विषयान्तर हो रही हो। अब बोलना तो किधर था और किधर से आप कह रही हैं। अब इस ...(व्यवधान) जो विषय है, उस पर बोलो आप ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या हो गया, कह दिया तो? इसमें क्या बात हो गयी? बात तो सारी कहनी पड़ेगी।

श्री सभापति: सारी बातें तो कई बार आती रहती हैं। इसमें आप, माननीय सदस्या, ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रही हूं। मेरे को मौका आया है, चार दिन की तो विधान सभा है और यह मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं कहूंगी क्या? मैं मेरे क्षेत्र का अगर मसला कह रही हूं तो कोई गलत है क्या?

श्री सभापति: जो आपने पर्ची दी है, उस पर ही बोलें तो ज्यादा ठीक है माननीय सदस्या।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं कोई गाली-गलौच नहीं कर रही हूं। मैं कोई माइंस करने वाली भी नहीं हूं (व्यवधान)

श्री सभापति: पर आपने जो समस्या उठाई, उसी पर बोलो न।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरे को कोई ठेका लेना नहीं, मेरे कोई माइंस नहीं, मुझे कोई प्लाट लेने नहीं, मैं सिर्फ काम की बात करती हूं। मैं आप सबको यह कह रही हूं, मैं मंत्रीजी से यह कह रही हूं, अब एक मारवाड़ी में कहावत है, साहब 'मौका का फायदा उठाना चाहिए', तो मेरे को यह बोलने का मौका मिला और आज पर्ची खुल गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको कौन रोकता है? आपको कौन रोकता है? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, माननीय सभापति महोदय, आप तो यह कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जो पत्र देते हैं, हर पत्र के अन्दर मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मैं धन्यवाद नहीं चाहती, मैं इनके मुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैं इतने करोड़ सैंक्शन कर रहा हूं, आप सड़क बनवाओ, आप सफाई करवाओ। मैं आज इनके मुख से यह सुनना चाहूंगी, फिर मैं बैठती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे मेरे पत्र का और मेरी बात का जरूर जवाब दें कि मैं आपके क्षेत्र में काम करवाऊंगा। सूरसागर क्षेत्र वास्तव में देखो तो ऐसी स्थिति के अन्दर है। वहां से कांग्रेस के साथी भी जीते होंगे, हमारी पार्टी के एम.एल.ए. भी जीते होंगे मगर आज वहां की स्थिति बहुत दयनीय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने एक सरविट कालोनी का भी पत्र लिखा था तो भी इन्होंने यह लिखा, धन्यवाद। मैं काम करने के लिये पत्र देती हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। (व्यवधान)

मांग

विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जवाब दें। रबड़ की गोलियां चल रही हैं। (व्यवधान) रबड़ की गोलियां चली हैं, रबड़ बुलेट। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वहां गोलियां भी चली हैं, घायल इधर-उधर फिर रहे हैं। लोगों के खून निकल रहा है। मंत्री महोदय, अब इससे ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। जो वस्तुस्थिति है उसे तुरन्त बताइये। वहां गोलियां चली हैं, हथगोले छूटे हैं, रबड़ ..(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): रबड़ की वहां गोलियां चल रही हैं। गोलियां चल रही हैं और सरपंचों के गोलियां लगी हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या हो रहा है यह? और उसके बाद भी इतना जरूरी काम है क्या ? इसके बाद भी आप जवाब नहीं दे सकते। इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेकर बैठे हो। हम तो आपसे जानना चाहते हैं, वस्तुस्थिति क्या है? जो हमें सूचना मिली है, वहां पर जाकर हमको टेलीफोन पर बताया कि रबड़ बुलेट चली हैं, चार-पांच लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके खून निकला हुआ है, वे गिरे हुए हैं और उसके बाद भी सरकार मौन बैठी हुई है। क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गोलियां चल रही हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इतना होने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हम और क्या मांग रहे हैं आपसे?

श्री सभापति: अब विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गोलियां चल रही हैं, गोलियां। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपको बोल चुका हूं, ये वक्तव्य दे देंगे। मैंने व्यवस्था दे दी है। सही वक्त पर दे देंगे। सदन अभी चल रहा है। (व्यवधान) विस्तार में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जन-प्रतिनिधियों पर गोलियां चलें, जन-प्रतिनिधियों पर लाठियां चलें और मूक दर्शक की तरह गृह मंत्री कुछ बात भी नहीं कह रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? (व्यवधान)

श्री सभापति: जब सदन में व्यवधान होगा तो सदन कैसे चलेगा? (व्यवधान) दे देंगे, वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): रबड़ बुलेट चलाने की जरूरत क्या पड़ गयी? ऐसी कोई अन-कंट्रोलेबल भीड़ थी क्या? (व्यवधान)

धरना

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं धरना)

श्री पेमाराम (धोद): गोलियां लगी हैं अभी चुने हुए सरपंचों को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने क्या मखौल बना रखा है? (व्यवधान)।राज्य के गृह मंत्री को कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह मरेंगे, क्या फायदा होगा? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, लाठी चार्ज ही नहीं हुआ बल्कि गोलियां भी चली हैं, उन लोगों के लगी हैं। अभी चुने हुए जन-प्रतिनिधियों पर गोलियां चली हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सरपंचों को गोली मार रहे हो और विधान सभा चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिये सरकार को। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): गोलीकाण्ड होने के बाद में विधान सभा चले, चुने हुए जन-प्रतिनिधियों पर गोलीकाण्ड हो..(व्यवधान) यह राजस्थान में आप और हम सबके लिये शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सरपंच मर रहे हैं और आप विधान सभा चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सरकार वक्तव्य दे। चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को गोलियों से मारना चाह रही है। ऐसी सूरत में विधान सभा कैसे चल सकती है? (व्यवधान) इसलिये, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार वक्तव्य दे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आप चाहते क्या हैं? क्या और गोलियां चलवाकर मारना बाकी रहा है? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी: आप बारूद इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? सभापति महोदय, आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित कर देना चाहिये। हम वहां पर जाकर मौके पर उनसे मिल सकें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और उसकी जानकारी भी आप हमको नहीं देते हो। हम आपसे जानकारी ही तो चाह रहे हैं। आपको लगता है तो आधा घंटा हाउस एडजोर्न कर दो ना, हम लोग भी मौके पर जाकर देख लेंगे। (व्यवधान) सभापति महोदय, आधा घंटा एडजोर्न करिये ताकि हम भी मौके पर जाकर देख सकें। आधा घंटा रोक लीजिये। कौनसा आसमान फट जायेगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आसन से व्यवस्था दे दी गयी है कि गृह मंत्रीजी बयान देंगे। गृह मंत्रीजी ने खुद ने जब उप नेता महोदय ने बात कही, उस पर उन्होंने कह दिया कि आपने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य दे दूंगा। फिर आपको और कौनसा वक्तव्य

(श्री सभापति)

चाहिये? सदन चलाने में सहयोग करो। अपने-अपने स्थान पर विराजें। (व्यवधान) जब मैंने आसन से व्यवस्था दे दी। (व्यवधान) अब कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : ×××

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। उन्होंने स्वयं ने बोल दिया कि मैं वक्तव्य दे दूंगा, फिर और क्या चाहिये आपको? ..(व्यवधान).. कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री पेमाराम (धोद) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : ×××

श्री सभापति: उप नेता महोदय, मैंने जब आसन से यह व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान) आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : ×××

नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: मैंने आसन से यह व्यवस्था दे दी है कि गृह मंत्रीजी .. (व्यवधान) आप सुनें तो सही। आप आसन के सामने क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान) अगर कुछ नहीं करेगा तो आसन के सामने क्या कर रहे हैं?

(श्री सभापति)

आपको बता दिया कि आसन से व्यवस्था दे दी है, गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। (व्यवधान) आपकी जो जानकारी है, उसकी पूरी जानकारी लेकर गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान) आप गृह मंत्रीजी का बयान चाहते हैं कि नहीं चाहते? (व्यवधान) सदन को स्थगित करने की नौबत क्यों आ रही है? वे वक्तव्य देंगे। ..(व्यवधान)..

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : ×××

श्री सभापति: अब आप अपने-अपने स्थान पर पधारो। अपने स्थान पर पधारें। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री सभापति: आप सदन स्थगित क्यों करवाना चाह रहे हैं? हाउस चलाना भी जरूरी है। हाउस चलाना भी जरूरी है, माननीय सदस्य। जब आपको गृह मंत्रीजी ने आश्वस्त कर दिया, पूरे सदन को आश्वस्त कर दिया कि मैं वक्तव्य दूंगा। आपने जो बात उठाई है, आपको जो जानकारी है, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि मैं पूरी जानकारी एकत्रित करके सदन के अन्दर आज ही वक्तव्य दे दूंगा। फिर क्या बचता है? (व्यवधान) और क्या है? अब विराजो। आप विराजो तो सही। (व्यवधान) आप स्थगित क्यों करवाना चाह रहे हैं सदन? आप वक्तव्य चाह रहे हैं या स्थगित करवाना चाहते हैं? स्थगित से क्या लाभ होने वाला है? (व्यवधान) स्थगित से क्या लाभ होने वाला है? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी जारी)

आप खुद गृह मंत्री रहे हुए हैं और सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करूंगा कि जब मैंने आसन से व्यवस्था दे दी कि वे वक्तव्य देंगे, जल्दी देंगे और गृह मंत्रीजी ने जब कह दिया कि आपने तो जानकारी ले ली, मैं मेरी जानकारी लेकर दूंगा। वे पूरी जानकारी के बाद गृह मंत्रीजी के रूप में सरकार का वक्तव्य देंगे। इसलिए आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आपकी बात गृह मंत्रीजी सुन रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। (व्यवधान) बैठिए आप।

(समय : 14.22 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: सभी को नमस्ते।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरी बात सुनें और मेरी बात को समझें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। पहले आप शांति बनाये रखें। सदन और यह आसन आपसे है, जो आप चाहते हैं, वही होता है। देखिए, कल जन्माष्टमी का त्योहार है। आप सदन की कार्यवाही चलने दें। जितना शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करेंगे, उतना ठीक रहेगा। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही जारी रहेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप इस सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी भाषा पार्लियामेंटरी होनी चाहिए, आपकी भाषा पार्लियामेंटरी नहीं है। आप शांति बनाये रखें। मैं व्यवस्था देता हूं। आप मेरी बात मानें और मैं आपकी बात मानूंगा। (व्यवधान) पहले आप विराजें। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप अपनी भाषा पर कंट्रोल करें। You control yourself, please.

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में पुन: नारेबाजी)

मैं तो इस इरादे से ही आया था लेकिन जिस भाषा का प्रयोग इतने वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वह सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। आप आसन को बता रहे हैं। कल भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। आप सदन

(श्री सभापति)

की कार्यवाही चलने दें। जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। फिर आप बाहर जाकर उनसे बात करें। आप सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) जिस ढंग से वह मुझे कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, आसन को आप लोग ही तो बनाते हैं। (व्यवधान) मैं तो आया ही इसलिए था लेकिन वे कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है। गलत बात है। इतने वरिष्ठ होते हुए भी। (व्यवधान) मैं इसीलिए तो आया कि मैं मदद करूं आपकी और वे कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती। मतलब, कल भी तमाशा किया, वह अलग था। आज भी यही तमाशा हो रहा है। सदन की कोई गरिमा तो रखी जाए। सदन की कार्यवाही शुरू करवाइये, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, आसन सहयोग करेगा। गृह मंत्रीजी आपके आदेश से थोड़े ही देंगे। जो भी सूचना देंगे, सदन के आदेश से देंगे। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं कि आप बैठिये, मैं सदन चलवाता हूं। आप बैठिये न। हां, बुलाते हैं, आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी जारी)

देखिये, बात कहने का तरीका होता है, विरोध प्रकट करने का एक तरीका होता है, पार्लियामेंटरी तरीके से कहें, कोड आफ कंडक्ट के अनुसार कहें। आसन के लिए कल भी आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और आज भी शुरुआत कर दी है आपने। मैं आगाह कर रहा हूं कि आसन के प्रति आप आदर रखें। आपने कहा, हां, आपने जो कहा वह तो अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी/धरना

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे।)

लेकिन जब मैं यहां पर आपके साथ में सहयोग करने के लिए आ गया, मैंने आपसे विनम्र निवेदन कर दिया, उसके बाद भी आपकी भाषा तो और वह ...(व्यवधान) नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी यहां पधार जायेंगे, इसके अन्दर कहीं कोई विरोध नहीं है। हां, आ जायेंगे लेकिन पहले आप व्यवस्था तो बनाएं। आप विरोध तो करें लेकिन विरोध करने का तरीका तो हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप लोग व्यवस्था बनाएं, सदन की कार्यवाही चालू करें, यह मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्रीजी आयेंगे। गृह मंत्रीजी तो आयेंगे ही, गृह मंत्रीजी तो आयेंगे ही यहां। आसन बिलकुल कमजोर नहीं समझता, आपकी वजह से आसन मजबूत है, कमजोर आप बना रहे हैं आसन को। हां, गृह मंत्रीजी, लेकिन आप आदेश जिस ढंग से दे रहे हैं, गरिमा तो रखें, आपका बोलने का तरीका तो अच्छा हो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

अभी गृह मंत्रीजी पता करने गये हुए हैं कि वहां की सिचुएशन क्या है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: आज की कार्यवाही जल्दी आप खतम करें, उसके बाद में आप जाकर के मिल लेना। आपको सरपंचों के प्रति इतनी सहानुभूति है तो आप कार्यवाही करें, जाकर के उनसे मिलें, उनके खैरख्वाह बनें। आप तो यहां पर सिर्फ विरोध दिखा रहे हैं। देखिये, जो आपका मकसद था वह मीडिया के नोट हो गया, वह मीडिया ने देख लिया, बस।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

देखिये, आप जैसा चाह रहे हैं, गृह मंत्रीजी पहुंच गये, आप बैठिये, व्यवस्था बनाइये आप।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल से धरना समाप्त)

मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है एक बार फिर कि आप लोग शांति बनाएं। सदन आपका है और यह आसन भी आपका है, आसन के प्रति भी आदर रखें। नहीं, मैं इनसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आसन का यह भी मान-सम्मान करेंगे लेकिन अनुशासन तो आपका है। जितनी हमदर्दी आपको है, मैं समझता हूं, पूरे सदन को हमदर्दी है सरपंचों के प्रति।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति जी, जब सारा सदन आपसे यह कह रहा है कि इतने सरपंच आये, उन पर लाठी चार्ज हुआ, अश्रु गैस चलायी, यहां तक कह रहे हैं कि रबड़ की गोलियां भी चलीं, घायल हुए हैं, उनका टेंट उखाड़ कर फेंक दिया, 500 को पकड़कर आपने जेल में डाल दिया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप करना क्या चाहते हैं? उसके बाद सदन को भी आप जेलखाना बनाना चाहते हैं क्या?

हम चाहते हैं कि गृह मंत्रीजी यहां सदन में जवाब दें, सरकार ने क्यों गोली चलायी, सरकार ने क्यों लाठी चार्ज किया, क्यों अश्रु गैस छोड़ी? वे जीते हुए सरपंच यहां पर आये थे आपके पास, आपसे कुछ मांगने आये थे और आप उन पर लाठी, गोली चला रहे हो।

श्री सभापति: अब विराजिये आप, विराजिये। (व्यवधान) अब आप शांति बनाये रखें। आदरणीय गृह मंत्रीजी खड़े हुए हैं, जो भी वे आपको बतायेंगे, आप अब शांति बनाये रखें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय गृह मंत्रीजी, सरपंचों को बीच में पुलिस द्वारा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अगर आप बोलेंगे तो मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे कोई वक्तव्य नहीं दें, किसी किस्म का भी। आप शांति बनाये रखें, हां।

अनेक माननीय सदस्य: मत दो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मत दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह क्या बात हुई? मत दो वक्तव्य। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको शांति बनानी पड़ेगी। आप शांति बनाये रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे।)

देखिये, गृह मंत्रीजी तभी देंगे जब आप शांति बनायेंगे। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा अब; माइक बंद, अंकित नहीं होगा।

देखिये, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप लोग बैठिये, वे देंगे। आप बैठिये, आप बैठिये कृपया। देखिये, आप बैठिये, कृपया बैठिये आप। कृपया आप बैठिये। आप शांति बनाये रखें। कृपया आप बैठिये, वे वक्तव्य दे रहे हैं। बैठिये, बैठिये आप।

देखिये, आपकी भावनाओं से, मुझे तो सुनें आप, आसन पैरों पर है, आपकी भावनाओं से सारा सदन अवगत है, आप कृपया विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आप बैठिये। वे बोलेंगे अब, आप बैठिये। आप बैठिये। वे देंगे, आप लोग बैठिये। आप बात नहीं मानते तो ठीक है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

(श्री सभापति)

आप भी आसन को धमकाने के लिए नहीं हैं। आप भी आसन को धमकाने के लिए नहीं हैं। देखिये, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग बैठिये, वे देंगे, आप लोग बैठिये। आप बैठिये, वे वक्तव्य देंगे। तो आप बैठिये न, वे दे रहे हैं न, आप लोग बैठिये। अब आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

अच्छा, आप मेरी बात सुनें, आप भी सुनें। मैं गृह मंत्रीजी को निर्देश दे रहा हूं, वे अपनी बात कहेंगे, आप कृपया विराजें। आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

आपके यहां से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आसन के लिए, वे गरिमापूर्ण हैं ही नहीं। मैं कह रहा हूं, आप लोग बैठिये, कृपया विराजिए, कृपया विराजिये। मैं निर्देश दे रहा हूं। आपकी भावनाओं से अवगत हो गया, मैं आपकी भावनाओं से अवगत हो गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

तो फिर आप बैठिए ना। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप कृपया विराजें। आप गृह मंत्रीजी से...... देखिये, कोई शब्द, मैं वह शब्द, आप बैठिये, आप बैठिये। देखिये, धमकाने वाली बात तो आसन कभी, आसन की तो अपनी गरिमा होती है। मैं फिर आपसे नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, मैं निर्देश दे रहा हूं, आप बैठें, आप विराजें। आप लोगों ने जैसा कहा.....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी।)

तो बैठिए फिर आप। आसन के कोई शब्द ऐसे नहीं हैं। आप लोगों ने तो हद ही कर दी है, कल भी और आज भी। नहीं, आप बैठिए। अच्छा, आप व्यवस्था बनाइये। आप व्यवस्था बनाइये, मैं बात करता हूं। आप मेरी बात तो मानिये। आप पहले बैठिए। आप पहले बैठिए तो सही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, सदन की चिन्ता जायज है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। गृह मंत्रीजी को मैंने निर्देश दे दिया है, कृपया बैठें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): और गृह मंत्रीजी बताने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: वरिष्ठ नेता हैं, आप कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? आप कहेंगे, इनसे निवेदन करिये। आपका व्यवहार तो, देखिये मैं तो ज्यादा कह नहीं सकता, आपका व्यवहार तो आसन के प्रति बहुत ही वह था। आप बैठिये, आसन की गरिमा बनाने के लिए आप बैठें। आप बैठें, गरिमा बनाइये आप। आप पहले बैठिये, कृपया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारे।)

आप पहले बैठिये, कृपया। अगर आपको हमदर्दी है किसानों से, अगर आपको हमदर्दी है सरपंचों से, तो जो वक्तव्य दें, वे बोलें, उसे आप सुनें। यह तो सदन की बात सदन में रह जाएगी। पहले आप बैठें और व्यवस्था बनाएं। बैठिए आप। आपको मेरा यह पूरा-पूरा आश्वासन है कि आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। आप कृपया व्यवस्था बनाएं। मैं निर्देश देता हूं। हां, प्लीज, बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, जैसा आपने कहा कि माननीय गृह मंत्रीजी को आपने निर्देश दिया कि वे आज सरपंचों के साथ जो बल प्रयोग हुआ है, उसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य वहां पर गये और उन्होंने सारी स्थिति देखी, वह स्थिति सदन में आ जाए, उसके बाद में गृह मंत्रीजी अपनी बात कहें। रामगढ़ वाले भी गये हैं, और सारे सदस्य भी गये हैं, उनको एक-एक करके आप सुन लीजिए ताकि सदन के सामने सारी स्थिति आ जाए और उसके बाद गृह मंत्रीजी सारी बात कह दें ताकि सारी बात स्पष्ट हो जाए। अमराराम जी।

श्री सभापति: कृपया विराजें, मेरी बात सुनें। पहले आपकी भावना से आपने अवगत कराया आसन को कि होम मिनिस्टर साहब यहां पर सदन में उपस्थित हों और अपनी बात कहें। वह बात, आपकी भावना आसन ने भी माना। आदरणीय गृह मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं, वे अपनी बात कहेंगे, उसके बाद अगली कार्यवाही शुरू होगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप सुनना ही नहीं चाहते, मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनो पहले ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसका अर्थ यह है कि आप सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन के उप नेता महोदय ...(व्यवधान) कृपया बैठिये। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कृपया बैठें। कृपया बैठिये। माननीय आजाद साहब, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, आजाद साहब, राठौड़ साहब, आप विराजिए, कृपया विराजिये। (व्यवधान) बेनीवाल साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि आप माननीय सदस्यों को कहिए कि वे विराजें।

मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आपने जैसा चाहा, आपकी भावनाएं जो हमारे भाई सरपंच वहां पर हैं, जिनके बारे में आपने जिक्र किया...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बहनें भी हैं।

श्री सभापति: जो बहनें और भाई हैं, जो हमारी बहनें सरपंच हैं, भाई भी आ गये, बहनें भी आ गयीं, वहां पर जो लोग हैं उनके बारे में आपने चिन्ता व्यक्त की। आपने कहा, गृह मंत्रीजी सदन में आएं, गृह मंत्रीजी सदन में उपस्थित हैं। आपने कहा कि गृह मंत्रीजी वक्तव्य दें, अपनी बात कहें, वे देने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद जो बात है, वह तब ही करेंगे, पहले गृह मंत्रीजी अपना दे दें। अगर आप उससे सन्तुष्ट होंगे तो उसके बाद करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं। आगे की कार्यवाही शुरू करें। पहले आपकी बात मानी गयी। आपको मैंने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी बात पर चलूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य वहां जाकर देखकर आए हैं।

श्री सभापति: यह आपकी सप्लीमेंटरी बात है। पहली बात आपकी यही थी ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): गोली चली है, सरपंचों को पीटा है। ...(व्यवधान) ...महिला सरपंचों को घसीट-घसीट कर मारा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको आसन ने ...(व्यवधान) आप सक्षम हैं, गृह मंत्रीजी वह ही तो...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): महिला सरपंचों को पीटा है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) और गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि गोलियां नहीं चलीं। जबकि मैं खुद अपनी आंखों से वहां लोगों को गोलियों से तड़पता देखकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, मैंने आपको आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, आपका मान-सम्मान करूंगा। जो आपने कहा, वह मैं कह रहा हूं, गृह मंत्रीजी को निर्देश दे रहा हूं। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। आगे की कार्यवाही शुरू हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा इतना ही आग्रह है, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गयी, हमारे ऊपर बहुत कृपा हो गयी कि आपने निर्देशित कर दिया, माननीय गृह मंत्रीजी आ गये और अब हम वक्तव्य सुनेंगे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जो तीन माननीय सदस्य वहां मौके पर थे ... (व्यवधान) जो माननीय सदस्य मौके पर थे, उनके सामने जो घटना हुई है, वह सदन के सामने आ जाए और उसके बाद में गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट दे दें। इसके बाद सारा क्लीयर हो जायेगा। जो सदस्य देखकर आए हैं, जिन्होंने लाठी चार्ज देखा है, उनको आप कैसे रोक सकते हैं? सदन में कहेंगे इस बात को। इसलिए उनकी बात सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): सभापति महोदय, हम स्वयं मौके पर थे और गोलियां चलीं ...(व्यवधान) महिला सरपंचों को मारा गया, उनको घसीट-घसीट कर पीटा गया ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुनेंगे। आपने जो किया, आपकी पुलिस ने क्या किया है, सभापति महोदय, जो हुआ है.. (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, फिर बात कैसे आयेगी ? लोग बार-बार खड़े रहेंगे। वक्तव्य तो आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार के निर्देश पर जो किया है, वह तांडव नृत्य तो आप सुन लो पहले, उसके बाद आप देओ। हम सुनेंगे तो वक्तव्य ही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने अभी तक वही बताया है। बैठिये ना...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): आप भी भाषण देंगे तो हम सुनेंगे ना...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मेरा स्टेटमेंट मांगा और मैं देने को तैयार हूं। अब आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलना क्या चाहते हैं आप ? आपको तो वस्तुस्थिति मैं बताऊंगा कि क्या है, क्या नहीं है। आप क्या बतायेंगे? (व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): मेरे साथ चलो।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरकार का वक्तव्य सुनना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुस्थिति के बाबत सरकार का वक्तव्य आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप मेनिपुलेटेटेड स्टोरी यहां पर बता रहे हैं। मनगढ़ंत स्टोरी आप जो बता रहे हैं..(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आप में हिम्मत है तो हमारे साथ चलकर आओ वहां। आप में हिम्मत है तो चलो, देखकर आएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये और व्यवस्था बनाये रखिये। मैं उप नेता से निवेदन करूंगा कि जो बात आपने कही, आसन ने आपकी भावनाओं का आदर किया। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप, सदन के इधर वाले लोग भी आसन का आदर करें, कार्यवाही को चलने दें। आप जो चाहते थे, वह सदन ने, सबने माना, आसन ने स्वीकार किया। आपकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए आदरणीय मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, हम तो मौके पर होकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, हम तो मौके पर होकर आये हैं.. (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं उप नेता महोदय से विनती करूंगा कि आप वापस सभी लोगों को सम्भालें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): रमेश मीना, भाई रामहेत सिंह, ये मौके पर होकर आये हैं, आप उनकी भी सुनें। डा. जसवन्त सिंह भी मौके पर गये हैं। आप पूरी बात उनकी सुन लीजिये, उसके बाद गृह मंत्री बोलें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपकी भावना से पूर्णत: सहमत हूं। गृह मंत्रीजी तैयार हो गये, उनकी उदारता के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन फर्क इतना ही है कि माननीय गृह मंत्रीजी तो यहां थे, उनको अधिकारियों ने जो बात आकर बतायी है, वह यहां सदन में रखेंगे और माननीय सदस्य जो होकर आये हैं, ये अपनी बात रख देंगे। तो दोनों बातें सामने आ जायेंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिये पहले माननीय सदस्यों को सुन लें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः देखिये, आप लोगों को कोई चिन्ता नहीं है इस समय पर सरपंचों की। आप लोग अपनी बात से अब थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं इश्यु को। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने गृह मंत्री का स्टेटमेंट मांगा, मैं देने को तैयार हूं। आप टालना क्यों चाहते हो ? क्यों टाल रहे हो आप इस बात को ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): टाल नहीं रहे हैं..(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरा स्टेटमेंट आने दीजिये। मैं बताऊंगा आपको स्थिति क्या है और क्या नहीं है। वह तो आने दीजिये मेरा स्टेटमेंट। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप पहले ही यह कैसे मान रहे हैं कि गृह मंत्रीजी गलत वक्तव्य देंगे? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, उनका जनरेटर भी उठा ले गये, माइक भी उठा ले गये..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम टाल नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उन माननीय सदस्यों को सुनिये जो मौके पर जाकर आए हैं। उसके बाद आपका वक्तव्य चाहते हैं।

श्री सभापतिः आप शांति बनाये रखें। आप मेरी बात सुनिये। मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि बात आपको सकारात्मक रूप से, in a very positive way I am making a humble request you to all of you. speially this side. आप मेरी बात मानें, आसन आपसे निवेदन कर रहा है..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हम तो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी को वक्तव्य देने दें । जहां तक साइट की बात है, यह कोई साइट इंस्पेक्शन का केस नहीं है। जब मंत्रीजी ने एक बार वक्तव्य दे दिया सदन के अन्दर, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होता है, उसके बाद की कार्यवाही बाद की होती है। हम यहां सदन में कोई पुलिस का केस बनाने के लिये नहीं आये हैं, हम लोग यहां पर आये हैं कि हमारे गृह मंत्री को जो जानकारी है, वह बहुत ही गम्भीरता से...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पहले गृह मंत्रीजी की बात सुन लीजिये एक बार..(व्यवधान) पहले सुन लीजिये, जो बता रहे हैं, जो बतायेंगे...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): +++

श्री सभापति: देखिये, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आगे की कार्यवाही शुरू करूंगा। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, उप नेता महोदय, मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार-बार मैं यह कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ये सुनना नहीं चाहते हैं, सही बात है। पहले सुन लीजिये गृह मंत्रीजी की बात भी। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं फिर आपसे बार-बार..(व्यवधान) पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। होम मिनिस्टर हाजिर हैं और आपको वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं। अब आप नहीं सुनना चाहते हैं उनको। इसका मतलब आपकी भावना जो है, आप बिलकुल भी वहां नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप हम्बल रिक्वेस्ट करें, आप हम्बल रिक्वेस्ट करें पर पहले माननीय सदस्य बोलेंगे और फिर गृह मंत्री बोलेंगे। आप सुन लीजिये। पहले वे माननीय सदस्य जो होकर आए हैं, हम लोगों का जो डेलीगेशन होकर आया है, मौके पर देखकर आया है, खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, गिरफ्तार हैं वहां पर सरपंच, 5 सरपंचों को गिरफ्तार किया है, पूरी गुण्डागर्दी से लाठी चार्ज किया, पहले आप कामरेड अमरारामजी को सुन लें। हम लोग वहां होकर आये हैं, आप उनकी बात सुनें, उसके बाद गृह मंत्री बोलें। आप हम्बल रिक्वेस्ट करें लेकिन पहले हमारी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुन लिया। यह क्या बात हुई? जीरो आवर समाप्त होने जा रहा है। आपसे बार-बार मैं कह रहा हूं, कृपया शांति बनाये रखें, गृह मंत्रीजी के वक्तव्य को सुनें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप ज्ञान देते हैं, ज्ञानदेव तो यहां हैं।

श्री सभापति: नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप गृह मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें। बार-बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप ज्ञान मत दो, ज्ञानदेव तो यहां हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, यह जो सदन का समय बरबाद कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण विषय हैं, संशोधन विधेयक... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, कुछ लोग गये थे वहां पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय से निवेदन करूंगा..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ज्ञान मत दीजिये, ज्ञान तो यहां है। ज्ञानदेव यहां खड़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: दोनों पार्टियों के सचेतक महोदयों ने आपस में मंत्रणा कर ली। मैंने बोला कर ली और मंत्रणा के बाद जैसा मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, शांति बनाएं, कार्यवाही सदन की चलने दें। आपकी भावनाओं का मैंने आदर किया। सहयोग करके बार-बार मैं यह कह रहा हूं, मंत्रीजी को वक्तव्य देने दें। आप अब दूसरी मांग को पहली मांग के साथ जोड़कर इसको मोर काम्प्लीकेटेड न बनाएं, सिम्प्लीफाइ करें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप केस के इन्वेस्टीगेटर हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपकी बात ही स्वीकार करता हूं। आप तो केवल इतना आश्वस्त कर दें कि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद जो विसंगतियां हों और जो माननीय सदस्य वहां जाकर आए हों, आपका वक्तव्य उनको यथार्थ परिस्थितियों के हिसाब से नहीं लगे तो वे अपने प्रश्न पूछ लें, अपनी बात कह दें और उसके बाद आप और स्पष्टीकरण कर दो। अगर आप यह व्यवस्था देते हैं...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रश्न काल हो रहा है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इतना संशय क्यों पैदा हो रहा है? प्रश्न यह है कि इतना संशय क्यों पैदा हो रहा है? बात आने दीजिये। आप क्या कर रहे हैं ? 3 घण्टे से बात ही तो आ रही है आपकी। आप पिछले ढाई घण्टे से अपनी बात ही तो कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): हम आपके वक्तव्य का क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): भाषण देना चाहें, वह नहीं सुनना। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मेरा स्टेटमेंट मांगा और मैं स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। किस बात का प्रश्न पूछना चाह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): आपके स्टेटमेंट का...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप अपनी बात से फिर रहे हो और आप सुनना नहीं चाहते हो मेरा...(व्यवधान) आप इसलिये सुनना नहीं चाहते हो...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, हम सुनना चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बाहर के हालात जानने के लिये चिंतित नहीं हैं...(व्यवधान) प्रश्न पूछने के लिये चिंतित हैं। अब हालात बताने के लिये गृह मंत्री महोदय अपनी बात फरमा रहे हैं, उनको सुनिये और...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, आज तक की यह व्यवस्था रही है कि सदन में जब कभी कोई वक्तव्य दिया गया है, उस पर प्रश्न पूछने का राजस्थान की विधान सभा में 1952 से लेकर आज तक रहा है और आप अगर यही व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर तो क्या मतलब है वक्तव्य का? वह सरकार, वह सरकार जिसका मुख्य मंत्री 1998 में हजारों लोगों को लेकर के सचिवालय में घुस जाए और आज वह जन-प्रतिनिधियों पर लाठी और गोली चलाए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये तो हजारों लोगों को लेकर के 1998 में सचिवालय में घुसकर, दरवाजा तोड़कर जाए और आज अपनी मांग को लेकर...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप एडजोर्नमेंट मोशन लगा दो, आप काल अटेंशन लगा दो। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से प्रश्न पूछने का मुझसे। काल अटेंशन मोशन लगाइये, एडजोर्नमेंट मोशन लगाइये...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गोली कांच की देखी है। (व्यवधान) कांच की देखी है आपने? (व्यवधान) तब पता लगे..(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं प्रतिपक्ष के उप नेता से फिर निवेदन कर रहा हूं, अब आप कृपया शांति बनवाएं, व्यवस्था को मेंटेन करवाएं। आज जो यहां पर बात हो रही है, इसको विराम दिलवाएं। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी के सचेतक महोदय से भी निवेदन कर रहा हूं कि वे भी करें। (व्यवधान) इसका मतलब, यहां पर आप लोग जो चाह रहे हो, सरपंच भाई बहनों के प्रति आपकी सहानुभूति, आपकी कोई नहीं है। आप लोग तो इसको काम्प्लीकेटेड बनाकर...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने इस सदन को मिसफीड किया है। मैं सदन को वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आपकी कृपा से पेमाराम यहां नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी और भरत सिंह जी की लड़ाई में आप सरपंचों को मराकर भरत सिंह जी को बली का बकरा बनाना चाहते हो। (व्यवधान) यह है काम। लड़ाई यह है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने धारीवाल जी, कांच की गोलियां देखी हैं? कांच की गोलियां...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 ख की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बात स्टेटमेंट की चल रही है। कहां से यह बात लेकर के आ रहे हैं ? नियमों की बात तो वह करे जो इनकी पालना करते हों। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नियमों की दुहाई न दें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आसन ने जो व्यवस्था दी है, उसे आपको टाइम देना होगा। आसन की व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी, अपना वक्तव्य शुरू करें। (व्यवधान) कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, हम किसी का भाषण सुनने के लिये नहीं आए हैं यहां। आसन की व्यवस्था को कायम रखना पड़ेगा आपको। यह सदन है या क्या है? (व्यवधान) सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य प्रारम्भ कर रहे हैं। (व्यवधान) देखिये, आप कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी का वक्तव्य सदन की सम्पत्ति है और फिर हम अधिकारिक रूप से सवाल करें, हमारा सबका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः देखिये, मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप कृपया शांति बनाये रखिये। आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(समय : 16.00 बजे)

कृपया शांति बनाये रखें। अब मंत्रीजी खड़े हो गये हैं, कृपया शांति बनाये रखें। ...(व्यवधान)... अब आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं बोलने के लिए अलाऊ नहीं कर रहा हूं, आप कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) अब तो अनुशासन रखें। (व्यवधान) सबकी भावनाओं की कद्र करें। ये लोग चाह रहे हैं कि मंत्रीजी वक्तव्य दें, मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान) आप इसको काम्प्लीकेटेड बना रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, पहले यह तय किया गया था कि मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन देंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः कृपया बैठें, अनुशासन में रहें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और मुख्य मंत्रीजी से मिलकर के जो कुछ भी उनकी मांगों पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आइ रिक्वेस्ट यू, प्लीज, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो कुछ भी उनकी मांगें हैं, वे बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापतिः मंत्रीजी के अलावा किसी का कोई भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन उन्हीं सरपंचों में विरोधाभास हो गया, कई गुट बन गये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं कर पाये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नतीजा यह निकला ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप सुनना नहीं चाहते वक्तव्य? इसका मतलब जो मैंने किया ...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरपंचों ने मंच पर भाषण किये, कई सरपंचों को भड़काया गया...

श्री सभापतिः आपने कहा कि वक्तव्य दिलाओ, तो भी आप वही कर रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और भड़काकर के उनसे यह कहा गया कि विधान सभा की तरफ कूच करो। (व्यवधान) जिस पर प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर के, जब वे आगे बढ़े तो पुलिस ने उनको रोका। (व्यवधान)

श्री सभापतिः जब वे खड़े हो गये, फिर क्या दिक्कत थी आपको? (व्यवधान) बैठ जायें। जब वे खड़े हो गये ...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सरपंचों में ही घुसे हुए असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और पुलिस पर पत्थर फेंकने चालू कर दिये। (व्यवधान)

श्री सभापतिः वह बाद की बात है ना। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बल्लियां उखाड़ना चालू करके पुलिस पर फेंकना चालू कर दिया ...(व्यवधान) जिससे एक उप निरीक्षक को चोट आयी और 5-6 कांस्टेबलों को भी चोटें आयीं। लेकिन 6 हजार की भीड़ में सिर्फ एक व्यक्ति के चोट आयी है जो कि अस्पताल में भर्ती है। (व्यवधान) सिर्फ एक व्यक्ति के चोट आयी है। (व्यवधान) पुलिस के पास कोई आर्म्स नहीं था, गोली चलाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान) सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर अश्रु गैस छोड़ी गयी। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उस पर भीड़ नियंत्रण में नहीं आयी तो लाठी चार्ज हुआ। लेकिन 6 हजार आदमियों में से सिर्फ एक व्यक्ति के चोट आयी है। जो प्रतिपक्ष के द्वारा बात यहां पर कही गयी ...(व्यवधान) असत्य है ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

श्री सभापति: देखिये, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, अब मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान) आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आदरणीय गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया। जो उन्होंने दिया है, वह जिम्मेदारी का वक्तव्य है, ...(व्यवधान) वह सदन में दिया गया है। सदन में उन्होंने वक्तव्य दे दिया है। जो आपकी मांग पहले थी, आपकी उन भावनाओं का पूरा आदर किया गया है। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

(अनुपस्थित)।

देखिये, मैं फिर आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, आप कृपया अपने स्थान पर बैठिये। (व्यवधान) व्यवस्था बनाकर के सदन की कार्यवाही चलाइये। आप बैठिये। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें। अपने स्थान पर बैठें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

देखिये, मैं कह रहा हूं, मंत्रीजी का वक्तव्य एक जिम्मेदारी का वक्तव्य होता है। उन्होंने जो शब्द यहां पर कहे हैं, सदन में कहे हैं, बहुत जिम्मेदारी का वक्तव्य है। वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आप माननीय सदस्य हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

धरना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, अगर आपका यही रुख है, सरकार का यही रुख है, सरकार सरपंचों को बदनाम करना चाहती है, उनको मारने को वाजिब ठहरा रही है। हम इसके खिलाफ सदन में धरने पर बैठ रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना।)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप सदन को गुमराह करना चाह रहे हैं। माननीय गृह मंत्रीजी ने जो रिपोर्ट दी है, वह अपने सामने आयी है। (व्यवधान) ये असत्य बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) वे सब गोलियां देखी हैं, अमराराम जी लेकिन सदन को जो गुमराह कर रहे हैं, वह दुनिया जानती है। दुनिया देख रही है कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्रीजी ने जो ओरिजनल बातों को जवाब दिया है ...(व्यवधान) ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप भागने की तैयारी कर रहे हो। आज जो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक हैं, उनके खिलाफ में यह हो रहा है। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। आज किसानों के हित में महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक आ रहे हैं, उनके खिलाफ ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रकाश चौधरी।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (वर्ष 2010-11) का प्रतिवेदन (संख्या-2)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक, मुख्य मंत्री सचिवालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, गृह, कला एवं संस्कृति, देवस्थान, परिवहन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वित्त, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, राजस्व, उच्च शिक्षा, कृषि विपणन, खनिज, वन, सहकारिता, विधि एवं न्याय, सहायता, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, आयुर्वेद, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण, तकनीकी शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन एवं आयोजना विभाग से सम्बन्धित समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा अब। केवल यह अंकित हो अब। आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) श्री अलाउद्दीन आजाद।

प्राक्कलन समिति 'ख' (वर्ष 2010-11) के प्रतिवेदन (संख्या 12 एवं 13)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख' वर्ष 2010-2011 के निम्न 2 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. गृह (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन, एवं
2. गृह (कारागार) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख' 2009-2010 के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 । शांति कुमार धारीवालजी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी।)

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री ओम बिरला ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री दिगम्बर सिंह ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अर्जुन लाल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री ज्ञानदेव आहूजा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री वासुदेव देवनानी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

डा. फूलचन्द भिंडा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बंशीधर खण्डेला ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमराराम ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो इजाजत होगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री ओम बिरला ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री वासुदेव देवनानी ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री नरपत सिंह राजवी ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

डा. दिगम्बर सिंह ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री हनुमान बेनीवाल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

डाक्टर फूलचन्द भिण्डा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बंशीधर खण्डेला ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रमेश चन्द्र मीणा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री गुलाब चन्द कटारिया ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री सभापति)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राव राजेन्द्र सिंह ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमराराम ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो इजाजत होगी।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री ओम बिरला ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अभिषेक मटोरिया ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती कमसा मेघवाल ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अजय सिंह ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अर्जुन लाल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री सभापति)

डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री वासुदेव देवनानी ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री हनुमान बेनीवाल ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री नरपत सिंह राजवी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री कैलाश चन्द भंसाली ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बंशीधर खण्डेला ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमराराम।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, बैठिए, बिजनेस चल रहा है। देखिए, मैं दुबारा बोल रहा हूं। आप लोग सुन नहीं पाए थे; हां, नहीं बोल पाए थे।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये। (व्यवधान)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी।

विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: जो सदस्य बोलना चाहें उनको अनुमति होगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.21 बजे शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

ताल छापर, चूरू में हरिणों की अकाल मृत्यु की रोकथाम हेतु उपाय

20. श्री मलखान सिंह (लूणी) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 एवं 2009-2010 में राज्य के कई क्षेत्रों में कुल कितने हरिणों की अकाल मृत्यु हुई है? उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु सरकार इनकी सुरक्षा के क्या प्रबन्ध कर रही है? तहसील व जिलेवार स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वन्य जीव व हरिणों के क्षेत्र में पीने के पानी की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षो में ताल छापर, चूरू अभयारण्य में सैकड़ों हिरणों की आंधी तूफान की वजह से अकाल मृत्यु हुई है? क्या सरकार इनकी सुरक्षा हेतु कोई प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 977 हिरणों की अकाल मृत्यु हुई है, जिसका जिलेवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

हरिनों की सुरक्षा के लिए उनके हैबीटाट को सुरक्षित करना, घायल वन्य जीवों के उपचार की व्यवस्था करना एवं पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है।

(2) हरिन बाहुल्य क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति पारम्परिक स्त्रोतों जैसे झील, तालाब, इत्यादि में संग्रहित वर्षा जल के अतिरिक्त उपयुक्त स्थलों पर वाटर होल्स (खेली, कुण्ड) का निर्माण किया गया है। गर्मी के मौसम में इन वाटर होल्स में आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है। कई स्थानों पर वन सुरक्षा समितियों/निजी संस्थाओं की सहायता से भी पानी की सप्लाई करवाई जाती है।

मरुस्थलीय क्षेत्र में हरिणों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए

(वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री)

नरेगा योजना के अन्तर्गत गजलर/टांकों का निर्माण करवाया जा रहा है। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह अभयारण्य, कैलादेवी अभयारण्य एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में वन्य जीवों को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

(3) यह सही है कि पिछले दो वर्षों में ताल छापर अभयारण्य में अप्रत्याशित आंधी तूफान एवं वर्षा की वजह से 125 काले हरिणों की अकाल मृत्यु हुई है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा अभयारण्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु भूमि का अधिग्रहण करने, हैबीटाट इम्प्रूवमेंट के कार्य एवं आस-पास के गांवों में पालतू पशुओं में बीमारी की रोकथाम हेतु हर वर्ष पशु चिकित्सा शिविर लगाना इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में मृत हिरणों की जिलेवार एवं तहसीलवार संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	तहसील	वर्षवार हरिणों की अकाल मृत्यु की संख्या	
			2008-09	2009-10
1.	जयपुर	शाहपुरा	01	02
2.	करौली	हिण्डौन	01	09
3.	बारां	बारां	12	4
		अटरू	02	01
		अन्ता	05	06
		शाहाबाद	00	01
4.	टोंक	अलीगढ़	06	10
		देवली	00	01
5.	नागौर	नागौर	05	01
		जायल	22	09
		मेड़ता	01	01
		डेगाना	01	00

क्र.सं.	नाम जिला	तहसील	वर्षवार हरिणों की अकाल मृत्यु की संख्या	
			2008-09	**2009-10**
6.	चूरू	सूजानगढ़	75	59
		रतनगढ़	00	11
		चूरू	00	13
7.	बीकानेर	बीकानेर	17	24
8.	पाली	रोहिट	02	03
9.	जालौर	जालौर	01	00
		सांचोर	00	01
10.	जोधपुर	फलोदी	08	11
		जोधपुर	62	146
		बिलाड़ा	12	35
		भोपालगढ़	16	46
		शेरगढ	11	23
		ओंसिया	60	120
		लूणी	52	68
		योग	**372**	**605**

राज्य सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों का प्रभाव

21. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ नारे को प्रचारित करने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किये हैं? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस समाचार पत्र व किस-किस टी.वी. चैनल में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विज्ञापनों के बाद पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ योजना में इजाफा हुआ? यदि हां, तो कितना-कितना प्रतिशत? आंकड़ों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान सरकार द्वारा इस नारे को आधार बनाकर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

(2) जब इस विषय पर विज्ञापन जारी ही नहीं हुए तो योजनाओं में इजाफे का आंकलन करना आवश्यक नहीं है।

विधायक/सांसद कोष से धार्मिक स्थलों की सड़कों का निर्माण

22. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पत्रांक एफ.55(1)सेक्ट-11/2008 09 डी/08 दिनांक 23-4-2008 के द्वारा धार्मिक स्थानों को निकट सड़क मार्ग से जोड़ने पर विधायक/सांसद कोष से 25 प्रतिशत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से 75 प्रतिशत राशि से सहभागिता योजना प्रारम्भ की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त योजना को पुन: शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। धार्मिक स्थलों को जोड़ने बाबत सहभागिता योजना में स्वीकृतियां एवं कार्य राज्य सरकार की नीतियों, घोषित योजनाओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं आबंटन तथा सहभागी द्वारा प्रदान की गई सहयोग राशि की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। उक्त योजना तत्कालीन सरकार की मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2008-09 की क्रियान्वयन हेतु तत्कालीन सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी।

(3) जैसा कि प्रश्न के भाग 2 में वर्णित है, उक्त योजना में स्वीकृतियां एवं कार्य राज्य सरकार की नीतियों, घोषित योजनाओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं आबंटन तथा सहभागी द्वारा प्रदान की गई सहयोग राशि की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करती है।

अधिशासी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर का अलवर स्थानान्तरण

23. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधिशासी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय कब भरतपुर शहर में चालू किया गया?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर में हाल ही उक्त कार्यालय को समाप्त कर अलवर स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भरतपुर संभाग में कहीं भी यह कार्यालय वर्तमान में नहीं है? क्या सरकार भरतपुर शहर में संभाग मुख्यालय होने के कारण उक्त कार्यालय को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भरतपुर शहर में अधिशासी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड का कार्यालय दिनांक 16.5.1985 को चालू किया गया था। जिसको 9.5.1994 को गंगापुर सिटी स्थानान्तरित कर दिया गया। दिनांक 19.9.1994 को खण्ड भरतपुर का पुन: सृजन किया गया।

(2) जी हां। बोर्ड में कार्यों की आवश्यकता एवं प्रशासनिक संरचना को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड के आदेश क्रमांक प.(1-154)स्था/वि.बो./6091-6290 दिनांक 22.7.2010 के द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के खण्डीय कार्यालय, भरतपुर का विलय खण्डीय कार्यालय, अलवर में कर दिया गया है। आदेशों की प्रति (परिशिष्ट-अ)

(3) जी हां। भरतपुर संभाग में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कोई खण्डीय कार्यालय नहीं है। विभिन्न स्तर के कार्यालय की स्थापना कार्य की आवश्यकता के अनुरूप की जाती है वर्तमान में भरतपुर जिले के अनुमानित कार्य भार को देखते हुए खण्ड कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। भरतपुर मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता कार्यालय कार्यरत है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रमांक प.(1-154)स्था/वि.बो./6091-6290 दिनांक 22 जुलाई, 2010

कार्यालय आदेश

बोर्ड में कार्यों की आवश्यकता एवं प्रशासनिक संरचना को दृठिगत रखते हुए बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 94 दिनांक 22.7.2010 की पालना में बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 5 खण्डों को संलग्न एनेक्शर 'अ' के अनुसार अन्य खण्डो में विलय किया जाता है। अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के शेष कार्यालय यथा पूर्व रहेंगे।

बोर्ड में अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 32 यथापूर्व ही रहेगी।

उक्त आदेश की अनुपालना दिनांक 31.7.2010 तक किया जाना सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सुनिश्चित करें। इस आदेश से प्रभावित खण्डों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अग्रिम आदेशों तक अपनी उपस्थिति विलय से पूर्व खण्ड मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

ह.

महाप्रबन्धक प्रशासन

दिनांक 22 जुलाई, 2010

एनेक्शर 'अ'

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रम संख्या	**समाप्त किये जाने वाले खण्ड का नाम**	**खण्ड का नाम जिसको रिकार्ड सुपूर्द करना है।**
1	भरतपुर	अलवर
2	गंगापुरसिटी	टोंक
3	दौसा	जयपुर प्रथम
4	अनूपगढ़	श्रीगंगानगर
5	मेड़तासिटी	अजमेर

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में हुई अतिवृष्टि से राहत हेतु मुआवजा

24. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान मानसून के कारण जिला बाड़मेर-जैसलमेर के कई इलाकों में अतिवृष्टि हुई है? यदि हां, तो अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र की जिलेवार स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान मानसून के कारण बाड़मेर जिले में अतिवृष्टि नहीं हुई है। जैसलमेर जिले की तहसील पोकरण के ग्राम लाठी, खेतोलाई, धोलिया, मावा, शरणायत, चांदनी, रामदेवरा, फूलासर, दांतल, भूरासर, सांगाबेरा, पोकरण, फलसूण्ड व भणियाणा ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

(2) जी हां। 1087 व्यक्तियों के पक्के/कच्चे मकान/झोपड़ियों के नुकसान पर कुल 33,35,500 रुपये की सहायता एवं 1141 पशु हानि पर कुल 58,93,000 रु. की राशि की सहायता का प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान किया जा चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

जिला जैसलमेर की तहसील पोकरण में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी सहायता का विवरण

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों का विवरण	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	दी गई सहायता
1.	पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के मकान	5	1,75,000
2.	पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे मकान	40	4,00,000
3.	गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्के मकान	186	9,30,000
4.	गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चे मकान	487	12,17,500
5.	आंशिक क्षतिग्रस्त पक्के/कच्चे मकान	250	3,75,000
6.	क्षतिग्रस्त झोपड़ियां	119	2,38,000

पशु हानि पर दी गयी सहायता का विवरण

1. गाय	528	52,80,000
2. बकरी	113	1,13,000
3. भेड़	50	5,00,000

राज्य में भामाशाह योजनान्तर्गत महिलाओं का भुगतान प्रकरण

25. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में सरकार द्वारा राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं भामाशाह योजना लागू कर बीपीएल परिवार की महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर प्रत्येक खाते में 1500 रुपये जमा करवाए गये थे? यदि हां, तो कब एवं कितनी महिलाओं को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराने की सरकार की योजना थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत बैंकों को समुचित राशि हस्तांतरित किए जाने के बावजूद खाताधारक महिलाओं को उक्त राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार महिलाओं के उत्थान की उक्त कल्याणकारी योजना को लागू रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में बैंकों में 29 लाख 7 हजार 42 महिलाओं के खाते खोलकर 10 लाख 76 हजार 6 सौ 38 महिलाओं के खातों में 1500 रुपये प्रति महिला के खाते में जमा कराये गये थे। योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में लगभग 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना थी।

(2) सरकार द्वारा 163.34 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा कराने हेतु बैंकों को हस्तान्तरित की गई थी, जिसमें से बैंक आफ बड़ोदा द्वारा 1.85 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं किये जाने के कारण वापिस राजकोष में जमा करा दिये गये हैं। लाभान्वित 8690 महिलाओं को स्मार्ट कार्ड वितरित कर 200 रुपये का नकद भुगतान किया गया। योजना पर उच्च न्यायालय का स्थगन एवं चुनाव आयोग की रोक के कारण शेष महिलाओं को राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। विधान सभा चुनाव पश्चात सरकार द्वारा इस योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

(3) सरकार द्वारा दिनांक 17.01.2009 को गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर योजना को लागू करने का निर्णय लिया जायेगा।

जालौर सहकारी बैंक में हुई अनियमितताएं

26. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर सहकारी बैंक की धुम्बडिया शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गबन का मामला दर्ज हुआ था? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से गबन की राशि वसूल कर ली गई है? यदि हां, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त गबन में सम्मिलित कितने अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये तथा कितने कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि जो अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें समस्त परिलाभ दे दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं, तो उससे गबन की राशि क्यों नहीं वसूली गई?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक की धुम्बडिया शाखा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक द्वारा करवाये गये निरीक्षण में अनियमितता एवं गबन उजागर होने पर निम्न कार्यवाही सम्पन्न की गई :-

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच श्री धन सिंह देवल उप रजिस्ट्रार एवं सचिव प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक पाली से कराई जाकर अधिनियम की धारा 55(5)(6) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक 03/08-09/सरजो/नियम/धारा-55/6134 दिनांक 09.09.2009 से जांच परिणाम जारी किये गये। जांच परिणामों के आधार पर पूर्व शाखा प्रबन्धक श्री भागीरथ विश्नोई के विरुद्ध अधिनियम की धारा-57(2) में मुकदमा संख्या-06/2009-10 दर्ज किया गया। इस मुकदमे का निर्णय दिनांक 31.05.2010 को हो चुका है जिसमें श्री भागीरथ विश्नोई से 17.97 लाख रुपये की राशि वसूली का निर्णय दिया गया है। श्री भागीरथ विश्नोई एवं श्री बाबूलाल भील के विरुद्ध धारा-57(2) का राशि 15.11 लाख रुपये का मुकदमा संख्या-05/2009-10 प्रक्रियाधीन है। जिस पर निर्णय पारित होना शेष है। श्री भागीरथ विश्नोई के विरुद्ध धारा 57(2) में राशि 5.00 लाख रुपये का मुकदमा संख्या-9/2009-10 भी दर्ज है जिसमें निर्णय पारित होना शेष है। श्री

(सहकारिता मंत्री)

भागीरथ विश्नोई एवं श्री बाबूलाल भील की सम्पत्ति दिनांक 05.03.2010 को कुर्क कर श्री आवाराम राठौड़ सहायक अधिशासी अधिकारी रानीवाड़ा को रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है। शाखा धुम्बडिया में कार्यरत रहे दोषी कर्मचारी श्री भागीरथ विश्नोई, श्री बाबूलाल भील एवं श्री नवीन कुमार सक्सैना के विरुद्ध पुलिस थाना बागोडा में दिनांक 04.01.2010 को एफ.आई.आर. संख्या-3/2010 दर्ज करवाई जा चुकी है। जो अन्वेषणाधीन है। श्री भागीरथ विश्नोई, श्री बाबूलाल भील व श्री रमेश कुमार गोयल तत्कालीन सहायक अधिशासी अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियन्त्रण अपील्स 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप व आरोप विवरण पत्र जारी कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी नहीं, आदिनांक उक्तानुसार गबन की राशि वसूल नहीं हो पाई है। राशि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त गबन में सम्मिलित एक कर्मचारी श्री भागीरथ विश्नोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा तीन कर्मचारी श्री बाबूलाल भील, रमेश कुमार गोयल, नवीन कुमार सक्सैना कार्यरत है।

(3) जी नहीं। वसूली हेतु दोषी कर्मचारियों की सम्पत्ति कुर्क कर वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

राजसीको द्वारा कम मात्रा में कोयला उठाने से हुई हानि

27. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितना कोयला आबंटित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि कोयले को उठाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजसीको को नोडल एजेंसी बनाई गई है? यदि हां, तो इस वर्ष में कितना कोयला राजसीको द्वारा उठाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजसीको द्वारा कोयला कम मात्रा में उठाने के कारण राजसीको पर पेनल्टी लगाई गई है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या यह सही है कि लघु उद्योगों का राजसीको में कोयला उठाने के लिए पैसा जमा था? यदि हां, तो कितना व इस पैसे का राजसीको द्वारा किस-किस कार्य में कितना-कितना उपयोग लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार के उपक्रम कोड इण्डिया लिमिटेड' द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये राजसीको को 1.86 लाख टन कोयले का आबंटन किया गया था।

(2) जी हां। वर्ष 2009-10 में राजसीको द्वारा 34,378.830 टन कोयला उठाया गया है। इस संबंध में विवरण परि. अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजसीको द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु कोयला कम मात्रा में उठाने के कारण एस.ई.सी.ई.एल. द्वारा राशि रुपये 32,89403.30 की पेनल्टी राजसीको पर लगाई गई है।

(4) जी हां। कोयला उठाने के लिये लघु औद्योगिक इकाइयों का लगभग रु. 35 लाख निगम में जमा है। उक्त राशि का उपयोग राजसीको द्वारा अन्य कार्य में नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2009-10 में राजसीको द्वारा उठाये गये कोयले का माह वार विवरण

क्रम संख्या	माह 2009-10	उठाई गई मात्रा
1	अप्रेल 2009	4540.030 (बाई रोड)
2	मई 2009	-
3	जून 2009	3482.880 (बाई रोड) 3873.040 रेल
4	जुलाई 2009	7478.870 (बाई रेल)
5	अगस्त 2009	-
6	सितम्बर 2009	-
7	अक्टूबर 2009	3597.640 (बाई रेल)
8	नवम्बर 2009	-
9	दिसम्बर 2009	11406.370 (बाई रेल)
10	जनवरी 2010	-
11	फरवरी 2010	-
12	मार्च 2010	-
	योग	**34378.830 मै. टन**

नगर विधान सभा क्षेत्र में बस सेवा का संचालन

28. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अनिता सिंह)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के सीकरी कस्बे से भरतपुर जिला मुख्यालय पर कोई आवागमन की सीधी बस सेवा निगम द्वारा संचालित है? यदि हां, तो कौन सी व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मेवात क्षेत्र को उप नगरीय ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत सीकरी से भरतपुर वाया खोह बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नगर के सीकरी कस्बे से भरतपुर जिला मुख्यालय के लिए कोई सीधी बस सेवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित नहीं है। डीग से खोह-पसोपा-कैथवाडा-सीकरी अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। पूर्व में भरतपुर-डीग-सीकरी मार्ग पर निगम वाहन संचालित की गई थी लेकिन सीकर डीग मार्ग पर पर्याप्त यात्रीभार प्राप्त नहीं होने के कारण संचालन बंद किया गया था।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 01.10.2010 से लागू होने वाली शीतकालीन समय सारिणी में प्रायोगिक तौर पर सेवा संचालित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

टोडाभीम एवं सपोटरा विधान सभा क्षेत्रों के अपूर्ण हैण्डपम्प

29. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम तथा सपोटरा में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कितने हैण्डपम्प तथा बोरिंग कहां-कहां स्वीकृत किये गये?

(2) उक्त में से कितनों का कार्य पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा शेष स्वीकृत हैण्डपम्पों का कार्य पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम तथा सपोटरा में वर्णित अवधि में स्वीकृत हैण्डपम्प एवं नलकूपों (बोरिंग) का विवरण निम्नानुसार है-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत हैण्डपम्प			स्वीकृत नलकूप (बोरिंग)		
	08-09	**09-10**	**योग**	**08-09**	**09-10**	**योग**
टोडाभीम	121	60	181	02	19	21
सपोटरा	185	129	314	08	16	24
योग	**306**	**189**	**495**	**10**	**35**	**45**

हैण्डपम्प एवं नलकूपों की स्वीकृति के संदर्भ में स्थानवार वांछित विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्रों में हैण्डपम्प एवं नलकूप संबंधी कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

विधान सभा क्षेत्र	निर्मित हैण्डपम्प			निर्मित नलकूप (बोरिंग)		
	08-09	**09-10**	**योग**	**08-09**	**09-10**	**योग**
टोडाभीम	121	54	175	02	11	13
सपोटरा	107	129	236	08	14	22
योग	**228**	**183**	**411**	**10**	**25**	**35**

समस्त निर्मित 411 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं तथा 35 निर्मित नलकूपों में से 33 नलकूप पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ दिये गये हैं।

शेष 84 हैण्डपम्प (वर्ष 2008-09 के 78 एवं 2009-10 के 6 हैण्डपम्प) निम्न कारणों से नहीं लगाये जा सके हैं :-

(अ) देवनारायण योजना में स्वीकृत किन्तु मौके पर गुर्जर आबादी नहीं होने के कारण 58 हैण्डपम्प जिनकी स्वीकृति निरस्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ब) वर्षा के कारण/तथा रास्ता दुर्गम होने के कारण रिग मशीन हेतु आवश्यक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण 26 हैण्डपम्प जिनमें से 6 हैण्डपम्प सितम्बर, 2010 तक एवं 20 हैण्डपम्प अक्टूबर, 2010 तक बना दिये जायेंगे।

विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में नील गायों से कृषकों को क्षति

30. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संरक्षित वन्य जीवों/पशुओं की अनूसचियां बनाई गई हैं? यदि हां, तो राजस्थान में बहुतायत से पाये जाने वाले सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाले एवं किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों/पशुओं को उक्त सूची से पूर्णत: हटाया जाने के लिए सरकार द्वारा कब क्या कार्यवाही की गई है? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा रोझ (नीलगाय) नामक पशु की अत्यधिक बाहुल्यता को देखते हुए तथा किसानों व फसलों के लिए नुकसानदायी होने से उन्हें मारने के लिए परमिट जारी करने के आदेश जारी किए हुए होने पर भी इस पशु को अनुसूची से पूरी तरह विलोपित करवाने एवं वस्तुस्थिति से केन्द्र सरकार को अवगत कराने की कार्यवाही में शिथिलता बरती जा रही है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कर उक्त पशु को अनुसूची से विलोपित करवा लिया जावेगा तथा नहीं, तो क्यों? इस बाबत की गई एवं की जाने वाली कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वर्णित रोझ पशु की राजस्थान में बहुतायता एवं किसानों के लिए भंयकर नुकसानदायी साबित होने से उक्त को अनुसूची तृतीय के क्रम संख्या 14 से विलोपित करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तावित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश के वनों में विभिन्न वन्य जीवों की निरन्तर घटती जा रही संख्या की वास्तविकता को छिपाने के लिए ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची तृतीय के क्रम संख्या 14 से रोझ पशु को विलोपित किए जाने का प्रस्ताव पुन: केन्द्र सरकार को भेजने में उत्सुक नहीं है? यदि हां, तो पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एक केन्द्रीय

(वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री)

अधिनियम है एवं इस अधिनियम की अनुसूचियों में से किसी भी वन्य जीव के नाम को हटाये जाने का अधिकार केन्द्र सरकार को ही है। राज्य सरकार द्वारा रोजड़ों (नीलगाय) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची III से हटाकर अनुसूची में स्थानान्तरित करने हेतु वर्ष 1992 से समय-समय पर भारत सरकार को अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट च, छ, ज, झ एवं ण पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा रोजडों (नीलगाय) को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-III से हटाकर अनुसूची-V में स्थानान्तरित करने हेतु वर्ष 1992 से समय-समय पर संलग्न परिशिष्ट च, छ, ज, झ एवं ण द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया जाता रहा है। लेकिन इस वन्यजीव को अनुसूची-V में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। रोजड़ों को अनुसूची से विलोपित करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अनुसूची-V में स्थानान्तरित करने से ही समस्या का समाधान हो जाता है।

(3) जी नहीं। रोजड़ों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-III से अनुसूची-V में स्थानान्तरित करने से ही समस्या का समाधान हो जाता है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

31. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रतिवर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की कुछ मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण/नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, प्रतिवर्ष नहीं कर, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

राज्य सरकार की घोषित नीति के संकल्प बिन्दु संख्या 9.3 में प्राथमिकता के आधार पर गांवों को जोड़ने के लिये मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की प्रतिबद्धता है।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

सड़कों के नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष राज्य की विभिन्न योजनाओं यथा सी.आर.एफ., वित्त आयोग से उपलब्ध राशि एवं नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित सामयिक नवीनीकरण चक्र एवं आवश्यकतानुसार चिन्हित कर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखकर पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर नवीनीकरण किया जाता है। वर्ष 2009-10 में 7512 किमी. सड़कों का नवीनीकरण किया गया तथा वर्ष 2010-11 में 6053 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण प्रस्तावित है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़वास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण

32. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में जनवरी, 2004 से जुलाई, 2010 तक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल कितनी सडकें निर्मित एवं नवीनीकृत/मरम्मत की गई और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एक भी सड़क का निर्माण/ नवीनीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सड़कों का रख-रखाव करने में सक्षम नहीं है? यदि हां, तो कब तक संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डी समिति क्षेत्र में वर्ष 2009 में विकास हेतु कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये तथा सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में जनवरी 2004 से जुलाई 2010 तक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा नवीन निर्मित सड़कों एवं विशेष मरम्मत/नवीनीकृत सड़कों का विवरण निम्नानुसार संलग्न है :-

1. वर्षवार निर्मित नवीन सड़कें	परिशिष्ट अ
2. विधान सभा क्षेत्रवार निर्मित नवीन सड़कें	परिशिष्ट अ-1
3. वर्षवार विशेष मरम्मत/नवीनीकृत सड़कें	परिशिष्ट ब
4. विधान सभा क्षेत्रवार विशेष मरम्मत/नवीनीकृत सड़कें	परिशिष्ट ब-1

(2) जी हां। गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में कृषि उपज मण्डी समिति में पर्याप्त बचत उपलब्ध न होने के कारण सड़क का निर्माण/नवीनीकरण का कार्य नहीं किया जा सका है।

(3) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित समस्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। इन सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित समस्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। इन सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

(5) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा वर्ष 2009-10 में मण्डी यार्ड विकास हेतु प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.10.09 के द्वारा राशि रुपये 97.56 लाख के प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे। जिनमें से उपलब्ध बचत एवं प्राथमिकता के आधार पर राशि रु. 44.05 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आबंटित राशि का उपयोग

33. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 में समेकित बाल विकास योजना के तहत राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि किन-किन एन.जी.ओ. को किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई तथा कितनी व्यय की गई? एन.जी.ओ. की सूची व आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित राशि में से कितने सरकारी गृहों को किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई तथा कितनी व्यय की गई? सरकारी गृहों की सूची व आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आबंटित राशि में से कितने शैल्टर्स कहां-कहां खोले गये? इनके लिए किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई? आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्रांक 142212009 सी.डब्ल्यू. II में दिनांक 18 मार्च, 2010 के अनुसार जिन-जिन मदों में राशि आबंटित की गई उसके मदों के अनुसार किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि का विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 में समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि व व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आबंटित राशि में से गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को चार परियोजनाएं संचालन हेतु प्रदान की गई। इनका व्यय हेतु भारत सरकार के निर्धारित नार्म्स के अनुसार राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार 9 संस्थाओं को कुल 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु प्रदान किये गये हैं, जिनको भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुरूप राशि का पुनर्भरण किया जाता है। वर्ष 2009-10 में इन संस्थाओं को प्रदान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

(सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत सरकारी गृहों का संचालन नहीं किया जाता है।

(4) समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत शैल्टर्स खोलने का प्रावधान नहीं है।

(5) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्रांक C14-22/2009-CW-II दिनांक 18.03.2010 से आबंटित राशि, उसके विरुद्ध व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th rowspan="2" colspan="2">गतिविधि का नाम</th><th colspan="2">प्राप्त राशि (लाख रु. में)</th><th colspan="2">व्यय राशि (लाख रु. में)</th></tr>
<tr><th>आवर्तक</th><th>अनावर्तक</th><th>आवर्तक</th><th>अनावर्तक</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">संस्थागत देखभाल</td><td>राजकीय गृहों हेतु अनुरक्षण अनुदान</td><td>120.95</td><td>0.00</td><td>120.95</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गृहों हेतु अनुरक्षण अनुदान</td><td>73.26</td><td>0.00</td><td>35.95</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">खुले आश्रय</td><td>19.93</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">विशेषज्ञ दत्तक गृहण एजेंसी</td><td>10.94</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">योग :-</td><td>225.08</td><td>0.00</td><td>156.90</td><td>0.00</td></tr>
</table>

उक्त स्वीकृति के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा जिले में पेंशन कार्डों का सत्यापन

20. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पेंशनर्स के पेंशन कार्डों के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा गत दिनों कोटा में अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक?

(2) क्या उक्त अभियान में ही कोटा के समस्त पेंशनर्स के पेंशन कार्डों का सत्यापन कर दिया गया? यदि हां, तो अभियान में कितने कार्डों का सत्यापन किया गया? नाम, पाते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में भी कोटा में पेंशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार के आदेश एफ.1(22)एफ.डी.(रूल्स)73 दिनांक 15.05.1974 द्वारा जारी वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग/पेंशनर्स के नियम 12 के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशनर्स का प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में भौतिक सत्यापन करवाने का प्रावधान है। इसके अनुसरण में कोटा कोष कार्यालय द्वारा कोटा शहर एवं पंचायत समिति लाडपुरा के वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन दिनांक 01.04.2010 से 15.05.2010 तक किया गया। जिसकी अवधि जिला कलक्टर, कोटा के निर्देशानुसार दिनांक 31.07.2010 तक बढ़ाई गई।

(2) दिनांक 01.04.2010 से 31.07.2010 तक की अवधि में सभी पेंशनर्स का सत्यापन नहीं हुआ। कुल 15095 वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, पेंशनर्स में से 11627 द्वारा उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करवाया गया तथा कुछ पेंशनर्स के उपस्थित नहीं होने की स्थिति के कारण सरपंच/पटवारी से जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया। सत्यापित पेंशनरों की सूची संलग्न है।

(3) किसी कारणवश यदि पेंशनर पूर्व में भौतिक सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो पाया अथवा जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका तो उसका सत्यापन उपस्थित होने पर अथवा जीवित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर किया जा रहा है, जिससे उसकी पेंशन निरन्तर जारी रह सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नाथद्वारा नगर में नई पाइप लाइन की व्यवस्था

21. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नाथद्वारा नगर की पुरानी पाइप लाइन को बदलने और नई बसी कालोनीज में पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। आवश्यकता होने एवं बजट उपलब्धतानुसार पुरानी वितरण पाइप लाइनों को बदलने का कार्य विभाग द्वारा सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत कराया जाता है।

शहर में नई बसी कालोनियों में पाइप लाइन डालने हेतु मांग आने तथा भू/सतही जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सहभागिता आधारित पेयजल योजना पर विचार किया जा सकता है।

राजसमन्द नगरपालिका में पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत योजना

22. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपालिका राजसमन्द में पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र संरचना विकास द्वारा कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गई एवं पूर्ण होने की समय सीमा क्या है?

उत्तर

जी हां। राजसमन्द शहर में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) के तहत पेयजल योजना की प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.7.2008 को राशि रुपये 24.53 करोड़ एवं तदुपरान्त संशोधित स्वीकृति दिनांक 14.05.2010 को राशि रुपये 28.63 करोड़ की जारी की गई।

उक्त योजना में प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु संबंधित संवेदक को दिनांक 20 मई, 2010 को कार्यादेश दिया जाकर, कार्य वेतनमान पर है तथा योजना दिनांक 19 मई, 2012 तक पूर्ण की जानी लक्षित है।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में खानधारियों से बकाया की वसूली

23. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत पांच वर्षों से कितने-कितने खननधारियों पर कितनी-कितनी राशि बकाया चल रही है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षो से पट्टेधारियों के विरुद्ध बकाया का वर्षवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत 5 वर्षों से पट्टेधारियों के विरुद्ध बकाया का विवरण

क्र. सं.	बाकीदार का नाम	खनिज	क्षेत्र	बकाया का वर्ष/राशि (रुपयो में)					वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण
				2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
1.	श्रीमती बसन्ती देवी	स्लेटस्टोन	खुंदरोठ	-	-	-	14339	11886	खनन कार्य असुरक्षित होने से दिनांक 08.08.2010 से खान सुरक्षा निदेशालय ने खनन कार्य बन्द करवा दिया है। वसूली हेतु प्रयास जारी है।
2.	श्री रामचन्द्र यादव	स्लेटस्टोन	शिवदानसिंहपुरा	-	-	7249	68703	15750	खनन पट्टा खण्डित करने की कार्यवाही की जा रही है। वसूली हेतु प्रयास जारी है।
3.	मैसर्स शिव ग्रिड उद्योग	स्लेटस्टोन	नीमराणा	-	-	-	5692	-	उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.10 के क्रम में अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द कराया गया है। वसूली हेतु प्रयास जारी है।

श्रीनाथ जी (राजसमन्द) मन्दिर की आय का उपयोग

24. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द के श्रीनाथ जी मन्दिर की वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक कुल सकल एवं निवल वार्षिक आय कितनी है?

(2) श्रीनाथ जी मन्दिर की आय में से हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार और संरक्षण पर इन वर्षों में कितना व्यय किया गया?

(3) राजकीय आधिपत्य वाले मन्दिरों की आय में से हिन्दू धर्म के शिक्षण, प्रचार-प्रसार के लिए व्यय करने की राजकीय नीति क्या है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के श्रीनाथजी की वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक कुल सकल एवं निवल वार्षिक आय निम्नानुसार है :-

(करोड़ों में)

वर्ष	सकल आय	निवल आय
2005-06	30.34	11.63
2006-07	30.98	03.72
2007-08	35.22	06.40
2008-09	44.33	04.06
2009-10	52.31	01.44

(2) श्रीनाथ जी मंदिर की आय में से हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार और संरक्षण पर इन वर्षों में किया गया व्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ों में)

वर्ष	हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार और संरक्षण पर व्यय
2005-06	0.23
2006-07	0.24
2007-08	0.23
2008-09	0.29
2009-10	0.22

(देवस्थान मंत्री)

(3) राजकीय आधिपत्य वाले मंदिरों की आय में से हिन्दू धर्म के शिक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यय करने की कोई राजकीय नीति नहीं है।

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

25. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में गत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री सड़क योजना व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनवाई गई? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में जिला टोंक की तहसील मालपुरा-टोडारायसिंह में कितना पेचवर्क का कार्य कब-कब करवाया गया तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मालपुरा-टोडारायसिंह में कितने गांव, ढाणी ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जुडने का मानदण्ड पूरा करने के बावजूद भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया? क्या सरकार इनको सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह से बीसलपुर जाने वाली सड़क पर गत पांच वर्षों से कोई पेचवर्क का कार्य नहीं करवाया गया? क्या सरकार उक्त सड़क का रख-रखाव एवं मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि केकड़ी जिला अजमेर से टोडारायसिंह जाने वाली सड़क को विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की सीमा तक चौड़ा करके सड़क निर्माण कार्य को बन्द कर दिया गया? क्या सरकार उकत विधान सभा क्षेत्र की सीमा से टोडारायसिंह (टोंक) तक सड़क, चौड़ाई बढ़ाने एवं मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में (वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक) 36 नई सड़कें 126.18 किमी. लम्बाई की बनाई गई व 8 सड़कों की 102.46 किमी. लम्बाई में अपग्रेडेशन का कार्य किया गया। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 20 नई सड़कें 62.96 किमी. लम्बाई की बनाई गई। सूची परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(2) गत पांच वर्षों में जिला टोंक की मालपुरा-टोडारायसिंह तहसील में करवाये गये पेच वर्क की लम्बाई एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तुत है।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित सामान्य क्षेत्र की 500 व इससे अधिक व मरू एवं जनजातीय क्षेत्र की 250 व इससे अधिक आबादी की पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का प्रावधान है।

जिला टोंक की तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह सामान्य क्षेत्र की श्रेणी में हैं। इन दोनों तहसीलों के वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित 500 व इससे अधिक आबादी के समस्त राजस्व ग्राम सड़क से जुडे हुए हैं। इसी आबादी समूह में तहसील टोडारायसिंह की सभी ढाणियां (हैबीटेशन्स) सड़क से जुडी हुई हैं व तहसील मालपुरा की मात्र तीन पात्र ढाणियां (हैबीटेशन्स) सड़क से नहीं जुडी हुई हैं। विवरण परिशिष्ट 'स' में प्रस्तुत है। तहसील मालपुरा की इन तीन पात्र ढाणियों (हैबीटेशन्स) को सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं- स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। टोडारायसिंह से बीसलपुर जाने वाली सड़क पर वर्ष 2008-09 में बाढ़-राहत के अन्तर्गत 5.00 लाख रु. का मरम्मत कार्य करवाया गया था। उक्त सड़क पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा संधारित की जा रही थी। जयपुर हेतु बीसलपुर पेयजल परियोजना के तहत यह सड़क जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी तथा वर्तमान में उनके द्वारा संधारित की जा रही है। उक्त सड़क के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(5) जी नहीं। केकड़ी जिला अजमेर से टोडारायसिंह जाने वाली सड़क के केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की सीमा कि.मी. 46/0 से 64/0 एवं कि.मी. 65/0 से 67/750 (केकड़ी कस्बा) तक केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत 3.00 मीटर से 3.75 मीटर स्टेण्डर्ड सिंगल लेन चौड़ाईकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगतिरत है।

केकड़ी जिला सीमा अजमेर से टोडारायसिंह तक के भाग का चौड़ाईकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता अनुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सीकर जिले की धार्मिक स्थलों की प्रस्तावित लिंक सड़कें

26. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में कौन-कौन सी लिंक सड़कें बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कौन-कौन से धार्मिक स्थलों को जोड़ने की सड़कों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त सड़कों को जोड़ने के लिए वित्तीय प्रबंध कर लिए गये हैं? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में लिंक सड़कों हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) सीकर जिले में धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में उक्त प्रकार की सड़कों को जोड़ने के लिए वित्तीय प्रबंधन हेतु सम्पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़कें

27. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरकार द्वारा कुल कितनी लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कें कहां-कहां स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सरकार द्वारा मिसिंग लिंक सड़क स्वीकृत नहीं की गई है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कें

28. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(डा. रघु शर्मा)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य (कि.मी. सहित) स्वीकृत है तथा कितनी सड़कों के प्रस्ताव लम्बित हैं? अब सरकार द्वारा उक्त लम्बित सड़कों को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकडी में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में 87.75 कि.मी. की 5 सड़कों तथा एक पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत है तथा 169.70 कि.मी. की 15 सड़कों के निर्माण के कार्य विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-1 व 2 में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत प्रस्तावों में से राज्य योजनाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी तथा थ्रू रूट्स के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	सड़क का नाम	सड़क का वर्गीकरण	विवरण			विशेष विवरण
				चैनेज	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत (रु. लाख)	
1	केन्द्रीय सड़क निधि	झिराना टोडारायसिंह बघेरा केकड़ी सड़क	एम.डी.आर-73	कि.मी. 46/0 से 64/0 व 65/0 से 67/750	20.75	448.66	कार्य प्रगति पर
2	केन्द्रीय सड़क निधि	विजयनगर केकड़ी सड़क	(एम.डी.आर-9)	कि.मी. 43/0 से 50/0	7.00	175.00	कार्य प्रगति पर
3	केन्द्रीय सड़क निधि	सांगानेर मालपुरा केकड़ी कादेडा शाहपुरा भीलवाड़ा सड़क	(एस.एच.-12)	स्वीकृत कि.मी. 104/0 से 110/0, 113/0 से 121/0 व 136/0 से 145/0 के स्थान पर कि.मी. 116/0 से 123/0 (केकडी शहरी क्षेत्र)	7.00	766.56	निविदा प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	योजना का नाम	सड़क का नाम	सड़क का वर्गीकरण	विवरण			विशेष विवरण
				चैनेज	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत (रु. लाख)	
4	योजना मद (ग्रामीण सड़कें)	रामथला बाजटा घटियाली नापाखेडा सड़क	ग्रामीण सड़क	पुल कार्य	1 कार्य	1200.00	खारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का कार्य
5	पी.पी.पी. योजना	सांगानेर मालपुरा केकड़ी कादेडा शाहपुरा भीलवाड़ा कांकारोली सड़क	(एस.एच.-12)	कि.मी. 134/0 से 145/0 (केकडी बाइपास सहित)	41.00	3838.00	कार्यादेश जारी
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (अपग्रेडेशन)	ब्लाक बाउण्ड्री से जोताया	ग्रामीण सड़क	कि.मी. 6/0 से 18/0	12.00	246.73	कार्य प्रगति पर
				योग	87.75 कि.मी. व 1 पुल कार्य	6675.95	

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
आर.आई.डी.एफ.-16 (नाबार्ड) के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण				
1	फतेहगढ़ सरसूंदा स्यार कि.मी. 0/0 से 3/0	3.00	21.87	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किये गये हैं।
2	अजगरा लल्लाई सड़क कि.मी. 1/0 से 6/0	5.00	36.45	
3	फतेहगढ़ सरसूंदा स्यार कि.मी. 3/0 से 8/0	5.00	36.45	
4	भंराई से फारक्या कि.मी. 0/0 से 4/0	4.00	29.16	
5	चौसला से घटियाली कि.मी. 3/0 से 8/0	5.00	36.45	
	योग	22.00	160.38	
आर.आई.डी.एफ.-16 (नाबार्ड) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण				
6	केकड़ी बघेरा रोड से नया गांव कि.मी. 0/0 से 1/900	1.90	18.62	नाबार्ड को प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	टांटोटी रोड से केबानिया कि.मी. 0/0 से 5/750	5.75	56.77	
	योग	7.65	75.39	

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
बी.ओ.टी. योजना अन्तर्गत सूओ मोटो प्रस्ताव				
8	नसीराबाद केकड़ी देवली सड़क (एस.एच.-12) कि.मी. 15/0 से 90/0	75.00	14830.00	सूओमोटो प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं तथा प्रस्तावों पर विचार हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	योग	**75.00**	**14830.00**	
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थ्रू-रूट्स के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव				
9	जूनिया देव गांव टोंक जिला सीमा तक वाया दयालपुरा शम्भूपुरा	22.00	599.33	थ्रू-रूटस के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।
10	केकड़ी बघेरा सड़क टोंक जिला सीमा तक	2.50	243.86	
11	केकड़ी ब्लॉक सीमा से फतेहगढ़ जूनियां हिंगोनिया कि.मी. 19/500 से 20/500	1.00	27.09	
12	राजपुरा से रामथला चौकी वाया बाजटा	14.52	389.57	
13	फतेहगढ़ से केकड़ी ब्लाक सीमा	19.50	183.77	
14	हिंगोनिया से केकड़ी ब्लाक सीमा तक	3.00	29.04	
15	जोताया से बान्दनवाडा गोयला (सड़क) -टी-30) तक कि.मी. 18/0 से 20/530	2.53	34.46	
	योग	**65.05**	**1507.12**	
	महायोग	**169.70**	**16572.89**	

विधान सभा आम चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

29. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या निर्वाचन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान विधान सभा आम चुनाव 2008 में मालपुरा रिटर्निंग अधिकारी के पास कितने कार्मिकों की राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त हुई व कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मालपुरा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किन-किन कार्मिकों को आम चुनाव 2008 में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलम्बित किया गया? क्या यह सही है कि समान शिकायत एक से अधिक कार्मिकों की एक साथ होने के बावजूद भी कुछ को सजा व कुछ को सजा नहीं देकर भेदभाव किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) कया सरकार भेदभाव करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा चुनाव, 2008 के दौरान मालपुरा रिटर्निंग आफिसर के पास कुल 18 कार्मिकों के राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने की शिकायतें प्राप्त हुईं इनमें से सिर्फ एक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। सूची संलग्न है।

(2) मालपुरा रिटर्निंग आफिसर द्वारा विधान सभा चुनाव, 2008 के दौरान राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने की बार-बार शिकायतें प्राप्त होने पर दौराने जांच शिकायत की पुष्टि होने पर एक कार्मिक श्री जतन लाल जाट, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टाउन नं. 2, मालपुरा को निलम्बित किया गया था। अन्य कार्मिक को जांच में दोषी नहीं पाये जाने पर कार्यवाही ड्राप की गई। किसी भी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई भेदभाव नहीं पाया गया है।

(3) कार्यवाही करने में कोई भेदभाव नहीं पाया गया है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), टोंक

विधान सभा आम चुनाव - 2008 के दौरान राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने वाले कार्मिकों की सूची

विधानसभा क्षेत्र मालपुरा (94)

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	मय पद व विभाग	कार्मिकों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का ब्यौरा
1	श्री राधेश्याम सैनी	मेलनर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेवर	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
2	श्री कैलाश जाट	प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. किशनपुरा (झाडली)	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
3	श्री इमामुददीन	शा.शि., रा.मा.वि., मोरला	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
4	श्री भंवर लाल गुर्जर	अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., थड़ी	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
5	श्री नवल शर्मा	आयुर्वेद कम्पाउण्डर, आयुर्वेदिक औषधालय, सोडाबावडी	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
6	श्री रमेश शर्मा	आयुर्वेद कम्पाउण्डर, आयुर्वेदिक औषधालय, सोडाबावडी	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	मय पद व विभाग	कार्मिकों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का ब्यौरा
7	श्री रामकिशन जाट	अध्यापक, रा.उ.मा.वि., मोर	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
8	श्री तुलसीराम जाट	सी.आर.सी.एफ., संकुल लावा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
9	श्री भागीरथ जाट	सी.आर.सी.एफ. संकुल, कलतण्डा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
10	श्री सलीम अहमद	अध्यापक, पब्लिक स्कूल, बैरवा ढाणी, अम्बापुरा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
11	श्री अब्दुल वहाब	अध्यापक, पब्लिक स्कूल, मीर नगर, मालपुरा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
12	श्री अब्दुल हमीद	अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, इस्लामनगर	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
13	श्री रामगोपाल चौधरी	अतिरिक्त बी.ई.ई.ओ., मालपुरा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
14	श्री श्रवण लाल चौधरी	कनिष्ठ लेखाकार, डी.पी.ई.पी., मालपुरा	मुख्यालय टोंक किया गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही ड्रॉप की गई।

क्र. सं.	**कर्मचारी का नाम**	**मय पद व विभाग**	**कार्मिकों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का ब्यौरा**
15	श्री जतन लाल जाट	अध्यापक, रा.प्रा.वि., टाउन नं. 2, मालपुरा	दौराने चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये एवं कार्मिक की बार-बार शिकायत आने एवं शिकायत की पुष्टि होने के कारण निलम्बन आदेश जारी किया गया।
16	श्री गुलाब चन्द आर्य	वरिष्ठ लिपिक, रा.उ.मा.वि., मालपुरा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
17	श्री पुरूषोत्तम शर्मा	पटवारी, तहसील, मालपुरा	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।
18	श्री छीतर मल बैनवाल	व्याख्याता, रा.उ.मा.वि., दतोब	दौरान चुनाव कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रखा गया एवं जांच के दौरान दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की गई।

प्रदेश में वृद्धा आश्रमों की स्थापना

30. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सीनियर सिटीजन बोर्ड का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्य कौन-कौन हैं?

(2) उक्त बोर्ड द्वारा प्रदेश में क्या-क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा गत दो वर्षों में उक्त बोर्ड के माध्यम से क्या कार्य किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था आश्रम संचालन की योजना रखती है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कब-कब से?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 05 जून, 2002 को ''राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड'' का गठन किया गया है।

वर्तमान में उक्त बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त बोर्ड का कार्य वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में सरकार को परामर्श देना तथा सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन तथा उसके संबंध में विशेष रूप से बनाये गये कार्यक्रमों के संबंध में अवगत कराना है। बोर्ड द्वारा राज्य में गतिविधियों/कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जाता है। कार्यक्रमों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था आश्रम संचालन की योजना रखती है, परन्तु भूमि, भवन एवं बजट प्रावधान की उपलब्धता के आधार पर ही प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम संचालन की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	**पद**		**बोर्ड के पदाधिकारियों का विवरण**
1	अध्यक्ष	-	माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2	उपाध्यक्ष	-	मंत्री/राज्यमंत्री, समाज कल्याण
3	कार्यकारी अध्यक्ष	-	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
सरकारी सदस्य :-			
1	सदस्य	-	दो संभागीय आयुक्त
2	सदस्य	-	अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)/प्रमुख सचिव, गृह विभाग
3	सदस्य	-	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
4	सदस्य	-	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5	सदस्य	-	शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग
6	सदस्य	-	शासन सचिव, स्वायत्त शासन/शहरी विकास एवं आवास विभाग
7	सदस्य	-	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग
8	सदस्य	-	शासन सचिव, परिवहन विभाग
9	सदस्य	-	शासन सचिव, जन सम्पर्क विभाग
10	सदस्य	-	शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग
11	सदस्य	-	शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
12	सदस्य	-	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
13	सदस्य	-	प्राचार्य, एस.एम.एस. मेडीकल कालेज, जयपुर
14	सदस्य	-	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
गैर सरकारी सदस्य :-			
वरिष्ठ विधायक - दो			
1	सदस्य	-	श्री अलाउद्दीन आजाद। (विधायक- सवाई माधोपुर)
2	सदस्य	-	श्री शंकर लाल अहारी। (विधायक, चौरासी- डूंगरपुर)
संभाग स्तर का प्रतिनिधि - एक			
1	सदस्य	-	श्री सवाई सिंह, समग्र सेवा संघ, जयपुर

क्र.सं.	पद		बोर्ड के पदाधिकारियों का विवरण
वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुडी स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि - दो			
1	सदस्य	-	श्री त्रिलोकीदास खण्डेलवाल, सोशियल सिक्यूरिटी फाउंडेशन, जयपुर
2	सदस्य	-	श्रीमती अनुराधा अडवानी, अनुबंध, जोधपुर
अवकाश प्राप्त राजकीय अधिकारियों के संगठन के प्रतिनिधि - दो			
1	सदस्य	-	श्री भागीरथ शर्मा, से.नि. आई.ए.एस.।
2	सदस्य	-	श्री बद्री प्रसाद ढाका, से.नि., निदेशक पेंशन विभाग।
सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता - दो			
1	सदस्य	-	श्री सलीम कागजी, पूर्व अध्यक्ष हज कमेटी, जयपुर।
2	सदस्य	-	श्री परमानन्द पंवार, पूर्व उपाध्यक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान।
एक सदस्य चिकित्सा संकाय से (अवकाश प्राप्त चिकित्सक)			
1	सदस्य	-	डा. श्री विश्वनाथ मेहरा, जोधपुर।
राज्य मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित प्रतिनिधि - एक			
1	सदस्य	-	श्री पुखराज सीरवी
विधि सेवा/व्यवसाय से वरिष्ठ सदस्य - एक			
1	सदस्य	-	श्री भागचन्द जैन, एडवोकेट, टोंक

बायतू (बाड़मेर) तहसील मुख्यालय पर आवासीय कन्या छात्रावास

31. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार उप खण्ड स्तर पर आवासीय कन्या छात्रावास खोल रही है? यदि हां, तो तत्संबंधित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर में कहां-कहां आवासीय छात्रावास खोले जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले की बायतू पंचायत एवं तहसील मुख्यालय पर आवासीय कन्या छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2009-10 में की गई घोषणा संख्या 97 के अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर बाबू जगजीवनराम योजनान्तर्गत 26 जिला मुख्यालयों पर भारत सरकार के सहयोग से छात्राओं के लिए छात्रावासों का भवन निर्माण करवाये जाने का प्रावधान है। घोषणा के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2010-11 में 16 जिला मुख्यालयों पर भवन निर्माण करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। जिनमें से एक छात्रावास का भवन निर्माण जिला बाड़मेर मुख्यालय पर करवाया जा रहा है। छात्रावासों की भवन निर्माण होने के पश्चात छात्रावास प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत राज्य के जिन 33 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। इस वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति/जनजाति के 11 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। बायतू में वर्ष 2004-05 से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनुसूचित जाति) जिसकी स्वीकृत क्षमता 25 छात्रों की है, संचालित हो रहा है। अत: इस वित्तीय वर्ष 2010-11 में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन छात्रावास खोले जाने का कोई विचार नहीं है। वित्तीय संशोधन उपलब्ध होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

शेरगढ़ (जोधपुर) तहसील में नये छात्रावास

32. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर में कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में कितने छात्रों की प्रवेश क्षमता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक, वार्डन व अन्य कितने पद स्वीकृत, कितने कार्यरत तथा कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 26 राजकीय तथा 3 अनुदानित कुल 29 छात्रावास संचालित हैं। तथा उक्त छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 1310 है। छात्रावासों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जोधपुर जिले में कुल 26 छात्रावास अधीक्षकों के तथा 54 पद रसोइये/चौकीदारों के स्वीकृत हैं। जिनमें से 22 पद छात्रावास अधीक्षकों के तथा 48 पद रसोइये/चौकीदारों के भरे हुए हैं एवं कार्यरत हैं। इनमें से 4 पद छात्रावास अधीक्षकों के तथा 6 पद रसोइये/चौकीदारों के रिक्त हैं।

(3) उक्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति/जनजाति के 11 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। अत: नवीन छात्रावास खोलने हेतु इस वित्तीय वर्ष 2010-11 में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन छात्रावास खोले जाने का कोई विचार नहीं है। तहसील मुख्यालय शेरगढ़ में राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट 'अ'

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जोधपुर जिले में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का विवरण

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	योजना	बालक/ कन्या	स्वीकृत क्षमता
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मल्लार	अनु. जाति	बालक	45
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बालेसर	अनु. जाति	बालक	60
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बाप	अनु. जाति	बालक	60

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	योजना	बालक/ कन्या	स्वीकृत क्षमता
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बेलवा	अनु. जाति	बालक	35
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भगत की कोठी	अनु. जाति	बालक	100
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भोपालगढ़	अनु. जाति	बालक	45
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बिलाड़ा	अनु. जाति	बालक	60
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बीसलपुर	अनु. जाति	बालक	35
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झंवर	अनु. जाति	बालक	35
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कैरू	अनु. जाति	बालक	35
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, करवड़-I	अनु. जाति	बालक	35
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लूणी	अनु. जाति	बालक	35
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओसियां	अनु. जाति	बालक	35
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, फलौदी	अनु. जाति	बालक	90
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सालवां कलां	अनु. जाति	बालक	60
16.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सेतरावा	अनु. जाति	बालक	35
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चामू (शेरगढ़)	अनु. जाति	बालक	25
18.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नागौरी गेट जोधपुर	अनु. जाति	कन्या	35
19.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पीपाड़शहर	अनु. जाति	कन्या	35
20.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, फलौदी	अनु. जाति	कन्या	50
21.	राजकीय कन्या महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास, जोधपुर	अनु. जाति	कन्या	75
22.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मगरा पूंजला	अन्य पिछडा वर्ग	बालक	35
23.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपाड़शहर	अन्य पिछड़ा वर्ग	बालक	60
24.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भदवासियां	स्वच्छकार	बालक	35

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	योजना	बालक/ कन्या	स्वीकृत क्षमता
25.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नागौरी गेट	स्वच्छकार	बालक	35
26.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भदवासियां	स्वच्छकार	कन्या	35
कुल				**1220**
जोधपुर जिले में संचालित अनुदानित छात्रावासों का विवरण :-				
क्र. सं.	**छात्रावास का नाम**	**योजना**	**बालक/ कन्या**	**स्वीकृत क्षमता**
1	अनुदानित अम्बेडक्र अनु. जाति छात्रावास, लोहावट	अनु. जाति	बालक	40
2	अनुदानित अम्बेडकर अनु. जाति छात्रावास, केशवनगर, पालरोड	अनु. जनजाति	बालक	25
3	अनुदानित अम्बेडकर अनु. जाति. छात्रावास, पीपाड़शहर	अनु. जनजाति	बालक	25
योग				**90**
महायोग				**1310**

ऋण राहत योजनान्तर्गत माफ किये गये ऋणों की वसूली

33. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा ऋण राहत योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति से जिस किसान द्वारा ऋण लिया गया था, को माफ कर दिया गया था? यदि हां, तो इसके बावजूद राज्य में सहकारी समितियों द्वारा ऋण वसूली की किस-किस जिले में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?

(2) क्या सरकार जिन किसानों से ऋण वसूली कर ली गई है, उसे पुन: किसानों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी/राहत

(सहकारिता मंत्री)

योजना 2008 के अन्तर्गत केवल उन्हीं लघु एवं सीमान्त कृषकों के ऋण माफ किये गये थे जो कि योजना प्रावधानों के अन्तर्गत ऋण माफी हेतु निर्धारित पात्रता शर्तों/मापदण्डों को पूरा करते थे।

(2) ऐसे ऋण जो कि योजना प्रावधानों के अनुरूप ऋण माफी की पात्रता रखते थे उन्हें ऋण माफी प्रक्रिया के दौरान यदि 29.02.2008 के बाद पूर्ण या आंशिक रूप से वसूल भी कर लिया गया था तो भी उसे ऋण माफी के योग्य समझा जाकर की गयी वसूली की जमा सम्बन्धित कृषक के खाते में 30 सितम्बर, 2008 तक दिये जाने के निर्देश भारत सरकार/नाबार्ड/शीर्ष बैंक द्वारा जारी किये हुए हैं। उक्त निर्देश की अनुपालना में बैंकों के स्तर पर ऐसे पात्र प्रकरणों के सन्दर्भ में की गयी वसूली राशि की जमा सम्बन्धित कृषक के खाते में जमा कराने का निर्देश दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य के सभी केन्द्रीय सरकारी बैंकों से सूचना प्राप्त की जा रही हैं, तथा जिन बैंकों के स्तर पर ऐसी जमा नहीं दी गयी हैं उनके स्तर पर 30 अक्टूबर, 2010 तक ऐसी पात्र राशि की जमा कर दिया जाना सुनिश्चित कर लिया जावेगा।

जोधपुर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

34. श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 व 2010-11 में जिला जोधपुर में सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त क्षेत्र के कुल कितने गांवों में चारा डिपो खोले गये तथा कितनी राशि अनुदान हेतु जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की कितनी पंजीकृत गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान दिया गया व इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिला जोधपुर के कुल कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा कितने गावों में चारा डिपो खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील शेरगढ़ में पेयजल हेतु किस-किस संवेदक को कितना-कितना भुगतान सहायता एवं आपदा प्रबंधन से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 2009-10 व 2010-11 (अभाव सम्वत 2066 में) 374 गांवों में चारा डिपो स्वीकृत किये गये। वर्ष 2009-10 में 28.53 लाख व वर्ष 2010-11 में 1358.00 लाख रु. की राशि सब्सिडी हेतु जारी की गयी।

(2) जोधपुर जिले में 122 पंजीकृत गौशालाओं को वर्ष 2009-10 में 48600923 रु. व वर्ष 2010-11 में 113080710 रु. का अनुदान दिया गया।

(3) अभाव सम्वत 2066 में जोधपुर जिले के जोधपुर, बासनी चौहाना व बासनी बैदा ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी 1817 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा उनमें से 374 गांवों में चारा डिपो स्वीकृत किये गये। चारा डिपो की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(4) तहसील शेरगढ़ में पेयजल हेतु संवेदकों को किये गये भुगतान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

निजी ट्रेवल एजेंसियों द्वारा अनियमित बसों से निगम को क्षति

35. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियों को परमिट जारी करने के क्या नियम एवं शर्तें हैं? संबंधित आदेशों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्राइवेट बस आपरेटर्स एवं ट्रेवल एजेंसियों द्वारा रोडवेज बस स्टेण्डों के पास ही कार्यालय खोले हुए हैं एवं यात्रियों को कम किरोय पर ले जाया जाता है, जिससे निगम को करोड़ों रुपयों का प्रति वर्ष नुकसान उठाना पड़ता है? क्या सरकार इन प्राईवेट ट्रेवल्स माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्राइवेट ट्रेवल एजेसियों ने शहरों/कस्बों के साथ ही गांव तक में भी अपने बुकिंग आफिस व काउन्टर खोल रखे हैं? क्या सरकार अवैध रूप से प्राइवेट बसों हेतु बुकिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ट्रेवल एजेंसियों को, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 93 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 5.73 के प्रावधानों के तहत अभिकर्ता के रूप कार्य करने हेतु लाइसेंस दिया जाता है। संबंधित आदेशों/परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) हां यह सही है प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एवं ट्रेवल एजेंसियों द्वारा कुछ शहरों में अधिकृत रोडवेज बस स्टेण्डों के पास ही कार्यालय खोले हुए हैं। यात्रियों का किराया बस आपरेटर्स द्वारा ही निश्चित किया जाता है। इनके द्वारा राज्य सरकार/राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित किराये से कम या अधिक किराये वसूलने संबंधी सूचना सरकार/ निगम द्वारा संधारित नहीं की जाती है। अवैध रूप से संचालित बसों के विरुद्ध सरकार द्वारा नियमित रूप से व अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है, जिसमें परमिट निलम्बन, जुर्माना, सीजर की कार्यवाही सम्मिलित है। वैध लाइसेंस के बिना संचालित ट्रेवल्स एजेन्सियों के विरुद्ध भी वर्ष 2009-10 में 83 ट्रेवल्स एजेंसियों के मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 93/193 के अन्तर्गत चालान बनाये जाकर न्यायालय में इस्तगासा पेश किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(3) प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियों के केवल श्रीगंगानगर के गांवों में बुकिंग आफिस व काउन्टर खोले जाने की जानकारी मिली है। अन्य स्थानों से ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। गांवों में अवैध रूप से खुली ट्रेवल एजेंसी की जानकारी मिलने एवं सत्यापन पर सही पाये जाने पर नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बस स्टैण्ड देवली (टोंक) में समुचित सुविधाओं का अभाव

36. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है बस स्टैण्ड देवली (टोंक) की समुचित देखभाल तथा रख-रखाव के अभाव में यात्रियों एवं आम नागरिकों के लिए स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के

(श्री रामनारायण मीणा)

निर्धारित बस स्टैण्डों तथा डिपो के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के लिए निगम एवं सरकार द्वारा निर्देश/परिपत्र जारी किए हुए हैं? क्या उक्त आदेशों के अनुरूप बस स्टैण्ड देवली के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बस स्टैण्ड देवली राजस्थान परिवहन निगम द्वारा निर्मित है जहां यात्रियों के बैठने हेतु यात्रीशेड, यात्रीशेड में कुर्सियां, पंखे, प्याऊ आदि उपलब्ध हैं। निगम द्वारा मूलभूत सुविधाएं पुरुष/महिलाओं को उपलब्ध शौचालय/ मूत्रालय नगरपालिका देवली द्वारा निर्मित की हुई है। जिसकी सफाई व्यवस्था नगरपालिका देवली द्वारा की जाती है। इस संबंध में नगरपालिका अधिकारियों को समय-समय पर सफाई-व्यवस्था/कार्यवाही हेतु लिखा जाता रहा है।

(2) राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्डों पर यात्री मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। इनकी साफ-सफाई के लिये निगम द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र जारी किये गये हैं (प्रति संलग्न) । देवली बस स्टैण्ड पर बुकिंग, यात्री शेड, पंखे, रोशनी, शौचालय/मूत्रालय, समय सारिणी, पीने के पानी की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई हुई है।

संलग्नक-1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक :- मु./का./ज.सु. एफ-82/09/507 दिनांक : 7.8.09

परिपत्र

निगम बस स्टैण्ड के नियमित सफाई हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1053 दिनांक 27.10.2007 के क्रम में बस स्टैण्ड की सफाई के लिए विशेष ध्यान देते हुये सभी स्टेशन इंचार्ज का यह कर्त्तव्य होगा कि वे पूरी चौकसी रख कर प्रतिक्षालय, प्लेटफार्म, बस खड़ी करने का स्थान, पार्किंग स्थल व जन सुविधाओं तथा शैचालय/मूत्रालय की सफाई जिम्मेदारी पूर्वक करवायें।

बस स्टैण्ड परिसर में स्थान-स्थान पर कचरा पात्र रखवाये जावें एवं इनकी सफाई की जाती रहे। कचरा संग्रहण हेतु कचरे को अलग-अलग कचरा पात्र में संग्रहण करवायें। निगम बस स्टैण्डों एवं बसों में बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है जिसमें पैकिंग अपशिष्ट (कागज एवं प्लास्टिक दोनों) खाद्य

अपशिष्ट इत्यादि शामिल है एवं प्रभावी कचरा प्रबंधन प्रणाली में उत्पन्न कचरे की मात्रा एवं प्रकृति का निर्धारण एवं इसका पृथक्कीकरण एवं निस्तारण सम्मिलित है। ठोस कचरे का कचरा संग्रहण के लिए अलग-अलग कचरा पात्र उपलब्ध करवाकर जैव अपघटनीय एवं अजैव अपघटनीय रूप में विभाजित करावें, पुनर्चक्रीय हो या अपुनर्चक्रीय हो, का एक ही प्रकार के कचरा पात्र में संग्रहण नहीं किया जावे।

अतः सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ बस स्टैण्डों पर कचरा पात्रों की सुरक्षा एवं उनकी सफाई पूर्ण रूप से सुनिश्चित करावें एवं इसकी कठोरता से पालना करें।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

संलग्नक-2

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक-एफ(4)/मु./प्रशा./ज.सु./सम्पत्ति/2010-578 दिनांक 30-3-2010

परिपत्र

निगम के विभिन्न स्टैण्डों पर यात्रियों को स्वच्छ व शीतल जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की मांग अधिक होने के कारण इस समबन्ध में विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है।

स्थान-स्थान पर इस प्रकार की समाज सेवा/धार्मिक संस्थायें व निजी दानदाता उपलब्ध हो सकते हैं जो कि सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ का निर्माण/संचालन व वाटर कूलर इत्यादि लगाने व अन्य जनोपयोगी कार्य करने के लिये उत्सुक रहते हैं। केवल उनसे सम्पर्क करने की आवश्यकता है।

अतः समस्त मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ स्टैण्डों पर यात्रियों की सुविधायें पेयजल, वाटर कूलर इत्यादि की व्यवस्था हेतु उक्त प्रकार की संस्था/व्यक्तियों से निजी सम्पर्क कर प्याऊ/वाटरकूलर लगाने की व्यवस्था करें। तथा दानदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये, जो वाटर कूलर खराब पड़े हैं उन्हें भी ठीक करवाने की व्यवस्था करवायी जावे।

यह ध्यान रखा जावे कि कच्ची प्याऊ के लिये स्थान अप्रैल से जुलाई अर्थात अधिकाधिक 4 माह के लिये ही दिया जावे। दानदाताओं द्वारा वाटर कूलर लगाने बाबत प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश इस कार्यालय के पत्रांक 82 दिनांक 22.4.98 द्वारा प्रसारित किये गये हैं। अतः तदानुसार प्राप्त प्रस्ताव पर मुख्यालय से इस हेतु स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

निगम के द्वारा जलधारी लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो एक सीजन के लिये सेवा उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त अधिकाधिक कुल 1000/- रुपये पर अनुबन्ध किया जावे तथा इनके लिये पूर्णकालिक/अंशकालिक/दैनिक वेतन भोगी आदि किसी भी स्वरूप की नियुक्ति न की जावें। निगम के स्तर पर उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था अपवाद स्वरूप ही होनी चाहिए। निर्धारित अवधि उपरान्त इस व्यवस्था को समाप्त कर दिये जाने की रिपोर्ट भी मुख्यालय में भिजवाई जावे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर यात्रियों पर अधिभार

37. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर यात्रियों पर अधिभार लगाया गया है? यदि हां, तो कितना अधिभार किस दिनांक से लगाया गया? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा यात्रियों पर लगाये गये अधिभार की सरकार द्वारा स्वीकृति ली गई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ह्यूमन रिसोर्स के नाम से यात्रियों पर दिनांक 29.6.2010 से अधिभार निम्नानुसार लगाया गया है :-

कि.मी.	मानव संसाधन अधिभार प्रति यात्री (रुपये)
0 से 50 तक	निल
51 से 100 तक	02.00
101 से अधिक	03.00

इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (Ceiling) में ही किराया वृद्धि के अनुरूप मानव संसाधन अधिभार लिया जा रहा है।

(2) निगम को यह अधिकार है कि निर्धारित सीमा तक किराये की वृद्धि एवं प्राप्त राशि का Appropriation स्वयं करें तथा उक्त वृद्धि राज्य

(यातायात एवं परिवहन मंत्री)

सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत ही है। फिर भी निगम मण्डल द्वारा एक योजना बनाकर इस अधिभार की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की गई है जो कि विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा/2010/428　　　　दिनांक 27.06.2010

कार्यालय आदेश

उप शासन सचिव (मुख्यालय) परिवहन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-7(100)(71) परि/नियम/2002/ii जयपुर दिनांक 25.5.2010 से निर्धारित अधिसूचित दरों को दृष्टिगत रखकर निगम द्वारा यात्री किराया दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

सेवा	वर्तमान किराया प्रति यात्री, प्रति कि.मी. (पैसों में)	परिवर्तित किराया प्रति यात्री, प्रति कि.मी. (पैसों में)
साधारण	45	49
द्रुतगामी	52	53
सेमीडीलक्स	55.5	59
डीलक्स (राज्य के मार्गों पर)	60.5	65
डीलक्स (अन्तर्राज्यीय मार्गों पर)	83	85
वातानुकूलित (राज्य के मार्गो पर)	91	95
वातानुकूलित (अन्तर्राज्यीय मार्गों पर)	111	115
वातानुकूलित सुपर लक्जरी	136	140

उक्त परिवर्तित यात्री किराया दरों के अतिरिक्त यात्रियों से वसूल किये जाने वाले दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार तथा मानव संसाधन अधिभार की दरों का निर्धारण भी निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	किमी.	दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार प्रति यात्री		मानव संसाधन अधिभार प्रति यात्री	
		वर्तमान प्रभावी दर रु.	वसूल की जाने वाली दर रु.	वर्तमान प्रभावी दर रु.	वसूल की जाने वाली दर रु.
1	0 से 50 तक	0.00	0.00	0.00	0.00
2	51 से 100 तक	1.00	2.00	0.00	2.00
3	101 से अधिक	2.00	5.00	0.00	3.00

जयपुर-दिल्ली के मध्य अखिल भारतीय अनुज्ञा-पत्रों पर संचालित विशिष्ट सेवाओं में प्रति यात्री किराया दर, समस्त अधिभार एवं टौल टैक्स सहित, निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

सेवा	वर्तमान यात्री किराया प्रति यात्री रु.	परिवर्तित यात्री किराया प्रति यात्री रु.
डीलक्स	300	325
वातानुकूलित	400	425
वतानुकूलित सुपर लक्जरी	550	600
वातानुकूलित सुपर लक्जरी मय टी.वी.	-	650
वातानुकूलित सुपर लक्जरी मय टी.वी., पैन्ट्री एवं टायलेट	-	700

उक्त परिवर्तित यात्री किराया दरें, दिनांक 28.06.2010-29.06.2010 की मध्य रात्रि से प्रभावी होगी। जिनका रेडीरेकनर स्टेजवार तैयार कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है जिसके आधार पर अपने आगार के अधीनस्थ मार्गों की स्टैण्डवार क्रोस किराया तालिका तैयार कर लागू की जावे। प्रत्येक मार्ग की किराया तालिका की दो-दो प्रतियां सात दिवस में सहायक लेखाधिकारी (यातायात) को प्रेषित की जावें।

परिवर्तित यात्री किराये के अनुसार नई टिकिटें मुद्रित करानी होगी

जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। अत: इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. वर्तमान यात्री किराये की मुद्रित टिकिटों पर परिवर्तित यात्री किराये की रबड़ मोहर अंकित करके ही बेचान किया जावे।

2. मुख्य प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ बुकिंग घरों से टिकिटों पर परिवर्तित यात्री किराये की रबड़ मोहर लगाकर ही विक्रय की जावे, इसकी समुचित व्यवस्था करें। आगार कार्यालयों से भी बुकिंगघरों को टिकिट जारी करने से पूर्व परिवर्तित यात्री किराये की रबड़ मोहर प्रत्येक टिकिट पर लगाकर ही जारी किये जावें।

3. आपके अधीनस्थ बुकिंग एजेन्टों द्वारा भी परिवर्तित यात्री किराये के अनुसार प्रभावी दिनांक से टिकिट विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें। यदि पूर्व यात्री किराया दरों के अनुसार कमीशन का भुगतान कर दिया गया है तो उसके समायोजन/वसूली की व्यवस्था की जावे।

4. आगार के अधीन बुकिंगघरों पर प्रयोग में आने वाले गन्तव्य स्थानों के टिकिटों की मांग परिवर्तित यात्री किराया दर्शाते हुये, निम्न प्रोफोर्मा में तुरन्त प्रभाव से लेखाधिकारी (टिकिट स्टोर) मुख्यालय जयपुर को आवश्यक रूप से भेजें :-

प्रोफार्मा

आगार का नाम.......................

क्र. सं.	**स्टैण्ड का नाम**	**दूरी कि.मी.**	**यात्री किराया राशि (रुपये)**	**दैनिक खपत**	**आवश्यकता**

5. मार्गवार किराया तालिका तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे :-

5.1 वयस्क यात्रियों से 5 कि.मी. की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 3/- रुपये प्रति यात्री होगा लेकिन बालक यात्रियों के मामले में 2/- रुपये प्रति बालक होगा।

5.2 साधारण, द्रुतग्रामी एवं सेमी डीलक्स सेवा वाहनों में यात्री किराया राशि 1/- रुपये के गुणनखण्ड में निर्धारित की जावेगी अर्थात 49 पैसे या कम राशि छोड़ दी जावेगी तथा 49 पैसे से अधिक कोई भी राशि 1.00 रु. तक

पूर्णांकित की जावेगी। पूर्णांकित यात्री किराया राशि में प्रत्येक यात्री से दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार, मानव संसाधन अधिभार एवं टौल टैक्स राशि निर्धारित दरानुसार पृथक से वसूली योग्य होगी।

5.3 साधारण सेवा वाहनों के समान ही समस्त अन्य श्रेणी की सेवा वाहनों में केवल 100 कि.मी. की दूरी तक, यात्री किराया राशि को बिन्दु संख्या 5.2 के अनुसार संगणित किया जावेगा तथा निर्धारित दरानुसार, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार, मानव संसाधन अधिभार एवं टौल टैक्स राशि भी यात्री किराये के साथ यात्री से वसूली की जावेगी।

5.4 साधारण, द्रुतग्रामी एवं सेमी डीलक्स सेवा वाहनों के अलावा अन्य श्रेणी की वाहनों यथा डीलक्स, वातानुकूलित वाहनों में 100 किमी. से अधिक दूरी की यात्रा के लिये, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार तथा मानव संसाधन अधिभार को किराया राशि में जोड़कर अगले 5.00 रु. के गुणनखण्ड में पूर्णांकित किया जावेगा।

उपरोक्त सभी श्रेणी में पूर्णांकित किराया राशि के साथ प्रत्येक यात्री से टौल टैक्स की राशि निम्नानुसार पृथक से वसूली योग्य होगी :-

क्र.सं.	**यात्रा दूरी (किमी.)**	**टौल टैक्स राशि प्रति टौलगेट (रु.)**
1	0-30	0.00
2	31-50	1.00
3	51-100	2.00
4	100 से अधिक	3.00

5.5 विशिष्ट सुपरलग्जरी सेवाओं में यात्री किराया राशि को 5.00 रु. के गुणनखण्डों में पूर्णांकित नहीं किया जावेगा।

5.6 यात्री भाड़ा पूर्वानुसार 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा।

यह आदेश वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किराये में वृद्धि से नुकसान

38. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पवन दुग्गल)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. द्वारा किराया बढ़ोत्तरी से निगम को नुकसान हुआ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने किराया बढ़ोत्तरी को क्यों जारी रखी जबकि निजी आपरेटर निगम की किराया राशि की तुलना में कम किराया लेकर भी लाभ में रहते हैं? निगम द्वारा अधिक किराया राशि वसूलने के उपरान्त भी नुकसान में रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा दिनांक 29.6.2010 से किराया वृद्धि की गई है। यद्यपि माह जुलाई से सितम्बर तक वर्षाकाल होने के कारण आय में गिरावट रहती है तथापि माह जुलाई 2009 की तुलना में जुलाई 2010 के सकल राजस्व में 517.88 लाख रुपयों की वृद्धि हुई है जो गत वर्ष से (जब कम किराया था), इस वर्ष 5.80 प्रतिशत की सकल वृद्धि दर्शायी है। इससे स्पष्ट है कि यात्री किराया वृद्धि से निगम को कोई हानि नहीं हुई है।

(2) निजी आपरेटर की तुलना में निगम के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का बढ़ा हुआ वेतन देने तथा माह जुलाई 2010 में सभी कर्मचारियों को एक साथ एक ही माह में वार्षिक वेतन वृद्धियां जारी करने से, स्थाई लागत में अत्यधिक वृद्धि होने से, जितना किराया बढ़ाया है, उसके अनुपात में अधिक स्थाई लागत बढ़ने से निगम को निजी आपरेटर की तुलना में हानि हो रही है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा यात्री सुरक्षा हेतु व्यय किया जाता है तथा यात्री सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो निजी आपरेटरों द्वारा नहीं किया जाता। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार को देय पूर्ण टैक्स भी जमा कराया जाता है। अन्तत: निगम द्वारा कई मार्गों पर जनहित में बस सेवा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि उक्त मार्ग अलाभप्रद है। इन कारणों से निगम एवं निजी बस संचालकों की तुलना नहीं की जा सकती है।

प्रदेश में निर्मित नई हवाई पट्टियां

39. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 एवं 2010 में प्रदेश में नई हवाई

(श्री ओम बिरला)

पट्टियों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में वन भूमि पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो किस स्थान पर व उस पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वन भूमि पर वन विभाग की इजाजत के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता? यदि हां, तो वन भूमि पर हवाई पट्टी के निर्माण हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार व्यय की गई राशि दोषी अधिकारियों से वसूल करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में बिना तकनीकी सलाह या उपादेयता का ध्यान रखे ही हवाई पट्टियों का निर्माण कराया गया है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वन भूमि पर वर्ष 2009 एवं 2010 में किसी भी हवाई पट्टी का निर्माण नहीं कराया गया।

(4) जी नहीं।

बायतू विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डियों द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण

40. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बायतू में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बायतू में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा 11 निर्मित सड़कों में से निम्न 2 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं :-

सड़क का नाम	लम्बाई	निर्माण वर्ष
सम्पर्क सड़क खरटिया	3.00 कि.मी.	1999-2000
सम्पर्क सड़क जाखडा	4.25 कि.मी.	1999-2000

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित समस्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। अब इन सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-16 की सूचियां)

परिशिष्ट-1

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा.82(1)सविरा/प्लान II /67 दिनांक 6.10.08

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में यह अनुभव किये जाने पर कि विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को साख सुविधा प्राप्त करने में आ रही कठिनाई दूर हो सके, पूर्व में मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 96/89 दिनांक 16.7.89 द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु इसमें मंत्रीमण्डल में पुन: परीक्षण किया गया एवं मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 193/91 दिनांक 10.10.1991 द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 16.7.89 को निरस्त कर दिया गया। अब मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 183/2008 दिनांक 6.10.2008 द्वारा नई पैक्स/ लैम्पस के गठन की आज्ञा दे दी गई है, अत: उक्त आज्ञा की अनुपालना में निम्न निर्देश दिये जाते हैं। चूंकि मंत्रीमण्डल आज्ञा दिनांक 6.10.2008 द्वारा कतिपय मानदण्ड/शर्तों के साथ नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आज्ञा दी गई है, अत: निम्न की अनुपालना सुनिश्चित की जावे :-

1. नव गठित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 2 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो तथा उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 5 हजार हो किन्तु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि व जनसंख्या कम होने पर भी आवश्यकतानुसार समिति गठित की जा सकेगी। बशर्ते कि ऐसी समिति आर्थिक रूप से स्वयं स्वावलम्बी बन सके।
2. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 15.00 लाख हो।
3. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये होगी, किन्तु अमानत लेने के लिए अमानतदाता को समिति का सदस्य बनाना आवश्यक होगा।

1\. किसी भी एक पंचायत में दो ग्रामसेवा सहकारी समितियां नहीं होंगी।

2. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 20,000/- रुपये का प्रावधान किया जाना होगा, जो फैक्स डवलपमेन्ट फण्ड से किया जा सकेगा। यह फण्ड स्वयं समितियों द्वारा निर्मित कोष है।

3. नव गठित सहकारी सिमतियों के लिये स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम 5 वर्ष हेतु भवन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही गोदाम निर्माण हेतु नि:शुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी जावेगी।

4. उक्त मापदण्डों के अनुसार नई सहकारी समितियों के पंजीयन की सम्भावनाओं का परीक्षण करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया जावेगा, जो संबंधित जिले में नई समितियों के गठन संबंधी प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण कर अपने प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करेंगी।

5. वर्तमान में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायनाधीन हैं, जिनके क्षेत्रों के काश्तकारों को समीपवर्ती समिति से साख सुविधा दिये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है वहां पर भी यदि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी नई समिति के गठन की अनुशंषा करती है तो ऐसे स्थान पर अवसायनाधीन समिति के पुराने सदस्यों को नई समिति का सदस्य तभी बनाया जावेगा, जब पुरानी समिति का अपना ऋण/ दायित्व (पुराना खाता) चुकता कर दे। यही शर्त एक कार्यशील समिति के कार्यक्षेत्र में दूसरी समिति के प्रस्तावित होने पर भी पूर्व सदस्यों के लिये रहेगी।

उक्त मानदण्डों/शर्तों को पूरा करने वाली प्रस्तावित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पंजीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा तथा कमेटी की अनुशंषा के पश्चात ऐसे प्रकरण विभाग को अनुमोदन के लिए भिजवाये जायेंगे। कमेटी के गठन/स्वरूप के बारे में निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस सिद्धांत को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना है कि इन समितियों के सृजन एवं संचालन में किसी भी प्रकार की राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं की जाये। प्रस्तावित फैक्स/लैम्प्स पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम आर्थिक यूनिट एवं स्वयं स्वावलम्बी होना अपेक्षित रहेगा।

रजिस्ट्रार

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां

राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट-2

क्रमांक : प.82(1)सविरा/योजना-।।/08 दिनांक 14.12.2009

संशोधन आदेश

शासन उप सचिव मंत्रिमण्डल सचिवालय की अ.शा.टीप क्रमांक 2(1) मंमं/2009 दिनांक 07 दिसम्बर, 2009 के क्रम में दिनांक 30 नवम्बर एवं 01 दिसम्बर, 2009 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 113/2009 के बिन्दु संख्या 3 के (घ) के तहत मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 183/2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में विभाग के आदेश क्रमांक फा. 82(1)सविरा/योजना-।।/67 दिनांक 6.10.08 के बिन्दु संख्या 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम सेवा सहकारी समिति के सन्दर्भ में 15 लाख रुपये अंशदान को घटाकर 7 लाख रुपये किया जायेगा।"

शेष मानदण्ड/शर्तें विभागीय आदेश क्रमांक फा. 82(1)सविरा/योजना-।।/67 दिनांक 6.10.2008 के अनुसार यथावत रहेगी।

अत: उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार

परिशिष्ट-2

परिशष्ट-अ

इकाई पाली

(तारांकित प्रश्न संख्या-17 की सूची)

औद्योगिक क्षेत्र चतुर्थ चरण, पाली में अतिक्रमियों की सूची

(अ) रहवासीय मकान

क्र. सं.	अतिक्रमियों का नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल (व.मी.)	पक्का निर्माण का क्षेत्रफल (व.मी.)	विशेष विवरण
1	हजारी राम	1170.83	60.29+79.81=140.10	
2	जीवन दास	1119.65	78.88	
3	चांद गिरी	5447.56	31.57+14.42=45.99	
4	गिरधारी लाल सारड़ा	217.35	217.35	
5	सरदार जोगीन्दर सिंह	217.35	217.35	
6	भंवरी देवी	216.16	35.92+8.78+44.70	
7	राम सिंह	181.97		
8	लालगिरी जी	191.17	191.17	
9	लालगिरी जी	192.14	192.14	
10	पुखराज जी	190.73	42.75	
11	भंवर सिंह जी	112.40	112.40	
12	धन्ना राम जी	196.99	196.99	
13	रामलाल जी	101.49	101.49	
14	विमला देवी	86.49	86.49	
15	जितेन्द्र सिंह जी	105.23	105.23	
16	मन्दिर	10.33	10.33	
17	दौलत सिंह गहलोत	92.17	92.17	
18	लुम्बाराम जी	94.04	94.04	

क्र. सं.	अतिक्रमियों का नाम	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल (व.मी.)	पक्का निर्माण का क्षेत्रफल (व.मी.)	विशेष विवरण
19	लुम्बाराम जी	190.33	190.33	
20	लक्ष्मण जी	95.49	11.98	
21	खेताराम जी	78.95	78.95	
22	मुकेश जी	99.38	12.46	
23	रतनलाल	83.94	83.94	
24	दानी देवी	81.35	22.38+30=26.68	
25	उषा देवी	106.71	106.71	
26	मन्दिर	107.42	107.42	
27	राजू पुरोहित	13.33	13.33	
28	कैलाश सिंह	129.26	14.51	
29	मांगीलाल मेघवाल	167.24	167.24	
	योग	**11097.45**	**2783.12**	

ह.
स. सलाहकार

ह.
सं. क्षेत्रीय प्रबन्धक (आर)

ह.
स. क्षेत्रीय प्रबन्धक (बी)

ह.
क्षेत्रीय प्रबन्धक
